महानगर नई दिल्ली शनिवार 15 फरवरी, 2020, रु. 5.00 (24+4 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

दूरसंचार कंपनियों पर एजीआर के बकाया का मामला

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जागी सरकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 फरवरी।

दूरसंचार विभाग ने वैधानिक बकाया समय पर नहीं लौटाने को लेकर दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को लेकर जारी आदेश वापस ले लिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अक्तूबर में दिए गए निर्णय के अनुपालन को लेकर तत्काल जरूरी कार्रवाई करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश के अनुपालन नहीं होने को लेकर कड़ा रुख अपनाया जिसके बाद विभाग ने यह कदम उठाया। दूरसंचार विभाग ने आदेश में कहा कि 23 जनवरी 2020 के आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।

अवमानना की चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और अन्य कंपनियों से कहा कि उसके आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर उनके खिलाफ क्यों नहीं अवमानना की कार्रवाई की जाए?

दूरसंचार विभाग ने कंपनियों पर कार्रवाई न करने का आदेश वापस लिया

बकायेदारों को नोटिस भेज तत्काल भुगतान का आदेश

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हरकत में आई सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को आदेश दिया कि वह शुक्रवार की रात 12 बजे से पहले ही 1.47 लाख करोड़ (एजीआर बकाया) का भुगतान करे। दूरसंचार विभाग ने कंपनियों को जोन और सर्किल आधारित बकाया नोटिस भेजे और सभी बकाएदारों से 11.59 बजे रात तक भुगतान करने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति एमआर शाह के पीठ ने आदेश का अनुपालन नहीं होने को लेकर कड़ा रुख अपनाया और दूरसंचार विभाग के एक डेस्क अधिकारी द्वारा जारी आदेश पर नाराजगी जताई। आदेश में वैधानिक बकाया समय पर नहीं लौटाने को लेकर दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया था।

शीर्ष अदालत के कड़े रुख के तुरंत बाद विभाग ने अपने ताजा आदेश में कहा- सुप्रीम कोर्ट के 24 अक्तूबर 2019 के फैसले के अनुपालन को लेकर तत्काल कदम उठाए जाने का निर्देश दिया जाता है। इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और अन्य कंपनियों के प्रबंध निदेशक और निदेशकों से कहा कि वे यह बताएं कि उसके आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर उनके खिलाफ क्यों नहीं अवमानना की कार्रवाई की जाए? हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि बकाया राशि में से कितने का भुगतान मध्य रात्रि तक करने को कहा गया है। सभी 15 इकाइयों पर लाइसेंस शुल्क के रूप में 92,642 करोड़ रुपए और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के रूप में 55,054 करोड़ रुपए बकाया हैं।

वोडाफोन-आइडिया सर्वाधिक प्रभावित

वोडाफोन-आइडिया सर्वाधिक प्रभावित वोडाफोन आइडिया पर 53,000 करोड़ रुपए का बकाया है। इसमें 24,729 करोड़ रुपए स्पेक्ट्रम बकाया और 28,309 करोड़ रुपए लाइसेंस शुल्क के रूप में बकाया है। भारतीय एअरटेल पर देनदारी करीब 35,586 करोड़ रुपए है। शेष बकाया बीएसएनएल/एमटीएनएल और कुछ बंद/दिवालिया हो चुकी दूरसंचार कंपनियों पर है।

एअरटेल 10 हजार करोड़ चुकाएगा

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एअरटेल ने कहा कि वह 20 फरवरी तकर 10 हजार करोड़ रुपए का भुगतान कर देगा। कोर्ट ने इसके भुगतान के लिए 17 मार्च तक का समय दिया है। इस 1.47 लाख करोड़ की रकम में 92642 करोड़ लाइसेंस फीस है और बकाया 55054 करोड़ रुपए स्पेक्ट्रम शुल्क हैं।

प्रधानमंत्री को केजरीवाल का न्योता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 फरवरी।

शपथ ग्रहण समारोह

अरविंद केजरीवाल रविवार को रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे

गोपाल राय बोले, दिल्ली के आम लोगों को किया गया है आमंत्रित

चुनावी जीत की हैट्रिक बनाने के बाद अरविंद केजरीवाल रविवार को रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आम आदमी पार्टी (आप) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस समारोह में शामिल होने का न्योता भेजा है। 'आप' के प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने बताया कि शपथ ग्रहण के लिए प्रधानमंत्री सहित करीब 50 विशिष्ट लोगों को न्योता भेजा गया है। इसमें शिक्षक, किसान, मजदूर समेत अन्य विशेष श्रेणियों के लोग शामिल हैं। इनके लिए एक विशेष मंच भी मैदान में तैयार किया जा रहा है।

हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे या नहीं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने तय कार्यक्रम के अनुसार रविवार को 30 से अधिक परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे। गोपाल राय ने बताया कि भाजपा के विधायकों और दिल्ली के सातों सांसदों को भी यह आमंत्रण भेजा जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे होगा और जहां अरविंद केजरीवाल अपनी मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे। राय ने कहा कि दिल्ली वालों ने एक बड़ी लड़ाई जीती है। मतदाताओं ने नकारात्मक मत से परहेज किया और सकारात्मक विकास के लिए वोट दिया है।

चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद रामलीला मैदान और दिल्ली सचिवालय में भी तैयारियां शुरू हो गई बाकी पेज 8 पर

विशेष पन्ना राजकाज पेज 7 पर

आलू-प्याज ने बढ़ाई महंगाई, थोक मुद्रास्फीति 3.1 फीसद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 फरवरी।

थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर जनवरी में बढ़कर 3.1 फीसद हो गई है, जो इससे पिछले महीने में 2.59 फीसद थी। प्याज और आलू जैसी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते यह इजाफा हुआ है।

सब्जियों की कीमतें 52.72 फीसद बढ़ीं

प्याज की कीमतों में 293 फीसद बढ़ोतरी

मासिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति एक साल पहले इसी महीने (जनवरी 2019) के दौरान 2.76 फीसद थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा बाकी पेज 8 पर

निर्यात में लगातार छठे महीने गिरावट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 फरवरी।

वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक देश के निर्यात में लगातार छठे महीने गिरावट का रुख जारी रहा। इस साल जनवरी के दौरान निर्यात सालाना आधार पर 1.66 बाकी पेज 8 पर

आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए कदम उठाने को सरकार तैयार : सीतारमण -बाकी पेज 8 पर

सारा अब्दुल्ला की अर्जी पर जम्मू कश्मीर प्रशासन को नोटिस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 फरवरी।

सुप्रीम कोर्ट में दी है उमर अब्दुल्ला की नजरबंदी को चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कांफ्रेंस के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की जन सुरक्षा कानून के तहत नजरबंदी को चुनौती देने वाली उनकी बहन सारा अब्दुल्ला पायलट की याचिका पर शुक्रवार को जम्मू कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति इंदिरा बाकी पेज 8 पर

प्रधानमंत्री तीस से अधिक परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 फरवरी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा 16 को

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के एक दिवसीय दौरे में 30 से अधिक परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में बाकी पेज 8 पर

कफील पर अब रासुका, जेल में ही रहना होगा

लखनऊ, 14 फरवरी (भाषा)।

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मथुरा जेल में बंद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के निलंबित प्रवक्ता डॉक्टर कफील खान पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बाकी पेज 8 पर

आधार से नहीं जुड़ा तो 31 मार्च के बाद निष्क्रिय हो जाएगा पैन

नई दिल्ली, 14 फरवरी (भाषा)।

पैन और आधार को जोड़े जाने की समयसीमा पहले ही कई बार बढ़ाई जा चुकी है

आयकर विभाग ने कहा है कि अगर स्थायी खाता संख्या (पैन) को 31 मार्च 2020 तक आधार से नहीं जोड़ा जाता है, वह निष्क्रिय हो जाएगा। पैन और आधार को जोड़े जाने को लेकर समयसीमा कई बार बढ़ाई गई है बाकी पेज 8 पर

पुलवामा बरसी : सीमापार से नापाक हरकत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 फरवरी।

पुलवामा हमले की बरसी पर नियंत्रण रेखा पार से पाकिस्तान सेना ने शुक्रवार को नापाक हरकत की और पुंछ सेक्टर के गांवों एवं भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों पर मोर्टार के गोले दागे। इस गोलाबारी में एक ग्रामीण की मौत हो गई एवं चार अन्य घायल हो गए।

पाकिस्तानी गोलाबारी में ग्रामीण की मौत

पुंछ के गांवों पर दागे मोर्टार के गोले

सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक, पाकिस्तानी सेना ने पुंछ के शाहपुर और करनी इलाकों में गांवों और अग्रिम चौकियों को निशाना बनाकर मोर्टार दागे और छोटे हथियारों से गोलीबारी की। पाकिस्तानी फौज ने गांवों को निशाना बनाने के लिए बाकी पेज 8 पर

कांग्रेस ने पूछा, किसे हुआ सबसे ज्यादा फायदा

नई दिल्ली, 14 फरवरी (भाषा)।

राहुल गांधी व कांग्रेस नेताओं ने पुलवामा हमले की बरसी पर शुक्रवार को केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अपनाते हुए सवाल किया कि इस घटना से सबसे ज्यादा फायदा बाकी पेज 8 पर

राहुल की सहानुभूति जैश व लश्कर से : भाजपा

नई दिल्ली, 14 फरवरी (भाषा)।

भाजपा ने पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शुक्रवार को उनपर आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा व जैश-ए-मोहम्मद बाकी पेज 8 पर

जनसत्ता रविवारी
16 फरवरी, 2020

कोख, किराया और कानून

किराए की कोख (सरोगेसी) को लेकर संसद में समय-समय पर बहस और चर्चाएं होती रही हैं। इसके लिए बने कानूनों में संशोधन भी हुए, लेकिन अभी भी देश में सरोगेसी का दुरुपयोग रुका नहीं है। बता रही हैं सुजाता माथुर।

- **कहानी**/ राजेंद्र जोशी • **भाषा**/ आलोक कुमार सिंह
- **योग दर्शन**/ डॉ. वरुण वीर • **शख्सियत**/ रुक्मिणी देवी अरुंडेल
- **दाना-पानी**/ मानस मनोहर • **सेहत**/ रविवारी डेस्क

परीक्षा में सफलता के लिए नींद जरूरी • दीप्ति अंगरीश

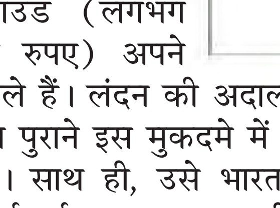

- **कविता**/ गौरव वाजपेयी 'स्वप्रिल'
- **कहानी**/ दिनेश चमोला 'शैलेश'

तारीखी मुकदमा लंदन की अदालत में भारत की जीत

भारत लाया जाएगा हैदराबाद के निजाम का खजाना

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 फरवरी।

35 मिलियन पाउंड लंदन से आएगा

2.8 मिलियन पाउंड का हर्जाना भरेगा पाक

भारत ने निजाम के खजाने का बहुचर्चित केस जीत लिया है। भारत को 35 मिलियन पाउंड (लगभग 325 करोड़ रुपए) अपने हिस्से के मिले हैं। लंदन की अदालत में चल रहे 70 साल पुराने इस मुकदमे में पाकिस्तान हार गया है। साथ ही, उसे भारत को केस लड़ने में खर्च हुई रकम का 65 फीसद रकम (26 करोड़ रुपए) भी बतौर हर्जाना देना पड़ा है। निजाम के खजाने को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लंदन की अदालत में मुकदमा चल रहा था।

हैदराबाद के निजाम के धन को अदालत के आदेश पर लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग को दे दिया गया है। लंदन के एक बैंक में करीब सात दशक से कई सौ करोड़ रुपए फंसे हुए थे। 70 साल पुराना विवाद बाकी पेज 8 पर

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,Sunita jindal @Sunita Garg W/o Pardeep Jindal R/o-B-213,Street.no.6,Hardev Puri,Mandoli,Delhi-110093,have changed my name and,shall hereafter be known as-Sunita Garg for all,future purpose. 0040532013-5

I,Sanjana Wife of Shri Sanjay R/o House No.Q-23, Budhvihar Phase-1 Delhi-86, have changed my name to Rachna for all purposes. 40531995-10

I,Pradeep Jindal @Pardeep Garg S/o Mukut Lal R/o-B-213,Street.no.6,Hardev Puri,Mandoli,Delhi-110093,have changed my name and,shall hereafter be known as-Pradeep Garg for,all future purpose. 0040532013-7

I,Manminder Kaur,W/O Parvinder Singh,R/O-Govt college Road opposite Ram Garh Mohalla,Hoshiarpur Punjab-146001,have changed my name and shall hereafter be known as Manvinder kaur. 0040532013-3

I, hitherto known as Rati Ram S/o Late Sh.Pala Ram R/o-D-1/115, K.S.Nagar, Nangloi, Nilothi, West-Delhi, Delhi-110041,have changed my name and shall hereafter be known as RATI RAM SHARMA. 0040531989-10

I, Subham Kumar Singh S/o KaushalKishore Singh R/o TF2, E1A, Sai Upwan Society, Chipyana Khurd Urf Tigri,Gautam Budh Nagar, UP have changed my name to Shubham Kumar Singh. 0040531084-4

I, Solonie Sagar Bowrie W/o Rajiv Chitkara R/o PD-76B, Pitampura Delhi-110034. changed my name to Salonie Chitkara for all purposes. 0040531986-3

I, Sneha Sharma W/O Sachin Kumar Sharma R/O A-7/3, Yadav Nagar, Samay Pur, Delhi-110042, have changed my name to Veena Kumari. 0040532013-1

I, Shynee R/o 1026, Near Madanta Hospital, Sector 46, Gurgaon, Haryana 122001 have changed my name to Shynee Malhotra. 070698391-1

I, Shiv Saran Babbar S/O Rakesh Babbar R/O-5A/88, G.F. Vishnu Garden, N.Delhi-110018 Have Changed My Name To Shiv Sharan Babbar. 0040531986-5

I, Shankar S/O Ved Prakash Sharma R/O-J-6, Gali No-6, 4th-Pusta, Kartar-Nagar Delhi-110053 have Changed my Name to Raj Kamal Sharma. 0040531986-6

I, Seema Chenan W/o Rajiv Chennan H.No.1/6251, Street No.3, East Rohtash-Nagar, Shahdara Delhi-110032 have changed my name to Seema Chennan. 0040531989-6

I, Santosh Kumar Jangid S/o Prabhu Dayal Sharma R/o-Ward No.07, Mohalla Khatiyan, Shri-Madhopura, Khatkar, Sikar, Ajitgarh, Amarsar, Rajasthan-332701, have changed my name to Santosh Kumar Sharma. 0040532019-7

I, Sanjay S/O, Lakhan Singh Karoriya R/o Wz 89a, 3rd Floor, Dayal Sar Road, Uttam Nagar West ND-59 have changed my name to Sanjay Karoriya for all purposes. 0040531989-1

I, Sanjay Kumar S/o Ram Lal R/o C-211, Second Floor, Tagore Garden Extn., New Delhi-110027 have changed my name to Sanjay Kumar Vohra S/o Ram Lal Vohra for all legal purposes. 0040531907-1

I, Ritu Verma R/o B7/99/2, Safdarjung Enclave New Delhi-110029 have changed my minor son's name from Siddhant Srivastav to Siddhant Verma for all purposes. 0040531946-1

I, Ritu Verma R/o B7/99/2, Safdarjung Enclave New Delhi-110029 have changed my minor son's name from Saaransh Srivastav to Saaransh Verma for all purposes. 0040531953-1

I, Ravinder Kumar S/O Late Pratap Singh R/O Flat No.121 SF. Maharaja Saini, Cghs, Plot-25, Dwarka,Sector -12, New Delhi 110078. inform that Ravinder Kumar Gaur Wrongly Mentioned School 10th Certificate Actual Name Ravinder Kumar. 0040531995-2

I, Rajkumar S/o Sh. Zile Singh R/o Chaura Raghunathpur, Sector-22, Noida, have declared that Rajkumar & Rajkumar Verma both are the same person's name. 0040531958-1

I, Rajiv Kumar Chenan S/o Krishan Kumar Chenan H.No.1/6251, Street No.3, East-Rohtash-Nagar, Shahdara Delhi-110032 have changed my name to Rajiv Chennan. 0040531989-5

I, Puran Chand S/O, Manohar Lal R/o D-15, First Floor, The Palladians, May Field Garden, Sector-50, Gurugram-122018 have changed my name to Puran Chand Kapila for all purposes. 0040531986-1

I, Papita Jat @Papita Kumari Jat D/o Kalu Ram W/o Kailash Chand R/o-Jeenjwadia Ward-21, Devan Road, Jeenjwadia Bhawan, Shahpura, Rajasthan-303103 have changed my name to Meenu Choudhary. 0040532019-6

I, Nizamuddin S/o Fazal Karim Saifi H.No.V-391, Street No.26, Vijay Park, MaujPur, Delhi-110053 have changed my name to Nizamuddin Saifi. 0040531989-2

I, Nisha Qwamrum W/o Zabiullah Ansari R/o-531, Second-Floor, Block-B, Pocket-11, DDA Janta Flat, Jasola, N.Delhi-110025,have changed my name to Qamarunnisa. 0040531989-4

I, Neelam Kumari D/o Murli Ram Yadav R/o-H.No.2, Block-B, Gali No.5/7, Guru-Nanak Dev-Colony, Bhalaswa-Dairy, Delhi-110042, have changed my name to Neelam,for all purposes. 0040531995-9

I, Naresh Ranjitmal Sekhani/ Naresh Kumar Sekhani S/o Ranjitmal Sekhani R/o B-184, Sector-26, Noida(U.P.) have changed my name to Naresh Sekhani for all future purposes. 0040531994-1

I, Murari Lal Singhal S/o Mahavir Parsad R/o C-11, 60-61, Sector-3,Rohini, Delhi-110085 have changed my name as Murari Lal for all record and future purposes. 0040531900-2

I, Mohammad Saifuddin Siddiqui S/o Mehboob Ahmed R/o 14, Fourth Floor, Zakir Nagar West, Okhla, New Delhi-110025 have changed my minor daughter's name from Tuba Fatima Siddiqui to Tuba Fatima for all purposes. 0040531945-1

I, Meenu Lamba W/o Arshdeep Singh Lamba R/o-J-24, Rajouri-Garden, New Delhi-110027 have changed my minor daughter's name Arshmeen Lamba to Arshmeen Kaur (aged-14-years). 0040531986-4

I, Manpreet Singh S/O Joginder Singh R/O-D-680, C.R.Park, N.Delhi-110019, Have Changed My Minor Son's Name Manvir Singh Khurana To Veer Singh Khurana. 0040532019-4

I, Pardeep Kumar S/o Ramesh Kumar R/o Pocket-18/238, Sector-24, Rohini, Delhi-110085. have changed my name to Pradeep Kumar. 0040532019-2

I, Madiha Fatima Siddiqui D/o Mohammad Saifuddin Siddiqui R/o 14, Fourth Floor, Zakir Nagar West, Okhla, New Delhi-110025 have changed my name to Madiha Fatima for all purposes. 0040531945-2

I, Kiran Rani Sachdeva W/o Late Vinod Kumar Sachdeva R/o 119, Second Floor, West Mukherji Nagar, Delhi-110009 have changed my name from Kiran Rani Sachdeva to Kiran Sachdeva for all future purposes. 0040531925-1

I, Jyoti Chawla D/o Jagatri Lal Chawla R/o B-36, Ground Floor, Ardee City, Sector-52, Gurgaon, Haryana have changed my name to Shreya Chutani W/o Sh. Kamal Kant after marriage (both are same person). 0040531921-1

I, Jyoti @Lakhi Devi W/o Gaur Singh R/o-518/A Banjare Wali Gali, Jwala-Nagar, Shahdara Delhi-110032, have changed my name to Lakhi Devi,for all purposes. 0040531986-7

I, Jahid S/o Aas Mohammad, H.No.227, Ward No.4 Nuh-Road Near Badi-Masjid Tauru Mewat (HR)-122105 changed my name to Jahid Ali. 0040531989-7

I, Harpeet Singh Panesar S/o Balwinder Singh R/o 5-C-33, Vishnu Garden, New Delhi-110018 have changed my name to Harpeet Singh. 0040532019-3

I, Gagandeep Singh S/o Urvinder Singh Gujral R/o-H.No.68 Block-I, Kirti-Nagar Ramesh Nagar, West Delhi-110015, have added my surname as Gujral and New name as Gagandeep Singh Gujral for all purposes. 0040531898-1

I, Dropati Devi W/O Shri Pritam Dass Bhutani R/O B-207, Ashok Vihar, Phase-1, Delhi-110052, have changed my name to Dropty Devi . 0040532013-2

I, Dipti Kumari D/o Dharma Nath Jha H.No.15A, 1st-Floor, Azadpur, Gali.No.24, Mahendra-Park, Delhi-110033 have changed my name to Dipti Jha. 0040531989-3

I, Bhajendra Chand Rajwar inform that in my son's Devansh Rajwar school records my name is written as Bhajendra C.Rajwar. The correct name is Bhajendra Chand Rajwar. 0060072885-2

I, Baljit Singh Gill R/o Flat 9087 Dda Lig Flat Sector-b/9, Vasant Kunj New Delhi-110070 have changed my minor daughter's name from Hamreet Kaur to Hamreet Kaur Gill for all purposes. 0040531967-1

I, Arti(Aarti) Singh W/O Ranjeet Ranjan R/O Ramrati Sadan, Baba Barfani Nagar, Village+post-Kandawa, Chitaipur, Varanasi UP-221106, Changed my name to Arti Ranjan. 0040531995-3

I, Anshumita Ashish Singh D/O, Arun Pratap Singh R/o Aruneer Farm House, Plot No-3, Suraj Nagar, Sports Authority Of India Road, Bhopal 462044 have changed my name to Anshumita Singh. 0040531995-1

I, Ankit Singhal S/o Murari Lal R/o C-11,60-61, Sector-3, Rohini,Delhi-110085 have changed my name as Ankit Singal for all record and future purposes. 0040531900-1

I, Anil Kumar Talwani S/o Raj Kumar Talwani R/o-M2/D8 Jhule Lal Flats Pitampura Delhi-110034, changed my name to Anil Talwani. 0040532019-1

I Vinit Kumar S/O, Sriram Prasad R/o Rc 944, Gali No. 4, Prakash Nagar, Khora Colony, Gzb, Up have changed my name to Vinit Kumar Prasad for all purposes. 0040532056-1

I Sushila Kumari W/o Ashok Kumar R/o 9/13 Ashok Nagar Tehar Tilak Nagar Delhi-18 have changed my name to Suman. 0040531995-7

I Vikash Chand S/O, Tara Chand R/o S/O Tara Chand, Village Uttrala Post Office Madhonagar, Teh. Baijnath, District Kangara, Himachal Pradesh-176115 have changed my name to Vikas Chand for all purposes. 0040532052-1

I Vandana w/o Diwaker Prakashanand Jain R/O-B-31 shubham-ENCLAVE paschim VIHAR New Delhi-110063. Have correct/changed my name Vandana Jain.for all purpose. 0040531995-4

I Reenu Khanna W/O, Yogesh Kumar R/o Rz-16, t-extn., near Vishwas Park, Uttam Nagar, New Delhi-110059 have changed my name to Renu Ghuliani for all purposes. 0040531969-1

I Rakesh Kumar S/O Prasada Ram R/O-1a/106, Rang Rasayan Apartment, Near Bhagwati-Hospital, Sector-13, Rohini, Delhi-110085. Changed My Name To Rakesh Jain. 0040531986-8

I Raj Kuamr Dhingra alias Raj Kumar Dhingra alias Raj Kumar S/o Sh.Mulwa Ram Dhingra R/o H.No.210-A, Flat No.B-3, First Floor, Ward No.2, Mehrauli, South Delhi, Delhi-110030 have changed my name to Raj Kumar for all purposes. 0040531902-2

I Preeti Upadhyay W/O, Devendra Mohan Upadhyay R/O K-36, Mahindra Enclave, Opp Sm-block, Ghaziabad (up)-201002 have changed my name to Manju Sharma for all purposes. 0040531966-1

I Parmod Kumar S/O Gopal Dass Bajaj Add-Flat No-A-1, Colony-Behind Old-Iti-Rohtak Haryana-124001, Changed My Name To Parmod Kumar Bajaj. 0040531986-10

I Manoranjan Kumar S/o-Kusheshwar Thakur R/0-Plot-16 U.G.Floor Raja-Harish Chander-Road Pkt-1 Sector-A9 Vtc-Narela Delhi-110040. Changed My Name to Manoranjan Kumar Thakur. 0040532019-11

I Manik Mohan Painuli S/O, Chatram R/o C-373 Sector-22 Noida Gautam Buddh Nagar Uttar Pradesh-201301 have changed my name to Manik Lal Panuli for all purposes. 0040532062-1

I Jagdish Prasad Bansal S/o Ram Chander Bansal R/o-303/304 Bharat-Nagar Ashok Vihar Delhi-52 have changed my name to Jagdish Bansal. 0040531986-2

I Hitherto Known As Manpreet Singh Alias Anmol Ahdi S/O Bhupinder Singh R/O-Z-69, 2nd-Floor, Front Portion, Rajouri-Garden, Delhi-27, Have Changed My Name And Shall Hereafter Be Known As Anmol Ahdi. 0040531995-6

I Gulshan Kumar Gupta S/O Santosh Kumar Gupta, R/O Plot-No-523, First-Floor, Sector-4, Vaishali, Ghaziabad, U.P.201010. Changed My Name To Gulshan Gupta. 0040532019-5

I Diwakar Prakashanand Jain s/o Prakash chand Jain, R/O-B-31 Shubham ENCLAVE Paschim VIHAR New Delhi-110063.Have correct/ changed my name Diwakar prakashanand Jain for all purpose. 0040531995-5

I Dipli Singh D/O Service No.722510-H Mwo Raju Singh R/O Vpo-Mukhrera Distt-Chhapra, Bihar-841301 Have Changed My Name From Dipli Singh To Deepali Singh For All Future Purposes Vide-Affidavit Before Notary Public-Delhi. 0040531995-8

I Devender Kumar S/o Sh.Jai Narain Sagwan R/o 85, Subhash Khand, Giri Nagar, Kalkaji, New Delhi-110019 also at C-59A, Third Floor, Freedom Fighters Enclave, Neb Sarai, Delhi-110068 is also known as Davender Kumar Sagwan, Devender Kumar Sangwan, Davinder Kumar, Davendra Kumar. All names are of one and the same person. 0040531902-1

I Narendra Singh S/O Gyan Singh, F-6/168, SF, Sector-16 Rohini Delhi-85 Have Changed My Name To Narinder Singh Permanently. 0040531989-8

I Neelima D/O, Kamal Kant R/O L-2/20 A First Floor Kant Kuteer Shastri Nagar, Delhi-52 have changed my name to Neelima Kant for all purposes. 0040531972-1

I Chudasama Dipaben Manharbhai W/O, Hitesh Gohil R/O Flat No.105 First Floor, Plot No.16 and 17, Jain Colony Part-1, Opp Durga Mandir, Uttam Nagar, Delhi-110059 have changed my name to Dipa 0040531948-1

I Bhagwat Singh Rawat S/O Ganga Singh Rawat R/O Khasra.No-8/24 Gali.No-19 C-Block KamalPur Kamal-Vihar Burari-110084. Have Changed My Name To Bhagwat Singh. 0040531986-9

I Balvinder W/O Narinder Singh, F-6/168, SF, Sector-16, Rohini Delhi-85 Have Changed My Name To Balwinder Kaur Permanently. 0040531989-9

I hitherto known as Asha Rani D/O Daya Nand and W/O Ramesh Kumar Thakkar R/O B-1/119, Ashok Vihar, Phase-2, Delhi-110052, occupation House wife have changed name and shall hereafter be known as Taruna Thakkar. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection 0040531230-10

I, Raghav Agrawala S/o Sh. B.L. Agrawala, R/o AN-39/B, Shalimar Bagh, New Delhi-110088 state that I have changed my name to Raghav Agrawal. In future, I will be known as Raghav Agrawal for all purposes. 0040531555-1

खोया+पाया

I, Rajeev Kumar Gaggi S/o O.P. Jaggi, have lost my GPA of Property No. II-O/43, Third Floor (With Terrace), Lajpat Nagar, New Delhi-110024. If found Please Contact: 9871089066 or above address. 0040531899-1

Lost bundle of file which include papers of property owned by M/s.Resham Singh Sons & HUF at-Plot No.A-11, Farm-House, Ansal-Aravali Retreat. Finder-Contact Jitender Singh s/o Late.Resham Singh R/o-5/21, Punjabi Bagh Extn., New Delhi-110026. 0040532019-9

I, Mrs.RAJ RAKHEJA, have lost the Original Possession Letter issued by D.D.A. bearing File No.F16(178A)1982/MIG/G of my MIG Flat bearing No.136-A, G.F, A-2,B, Paschim Vihar, N.D-110063. 0040532019-10

I, Kapil Gupta S/o Bihari Lal Gupta R/o-351 Main Kanti Nagar, Gali No.2 Delhi-110051, lost My-X Pass Duplicate Certificate Year-1994 Roll No.6104047 CBSE,Delhi. 0040532019-8

LOST & FOUND

I, Rajeshwar Kumar S/o Hira Lal Gupta, 56 Nilgiri Apartment, Alaknanda, New Delhi-110019, Have Lost my original papers issued by VVA Developers Pvt Ltd, A) Provisional Allotment Latter dated 06/05/2014 and 18/06/2014, B) Receipt No: VVP/PR/228 dated 20-01-14 and AH-0095/2/200 dated 01/03/2014, C) Change of Unit Latter dated 18/04/2015 have been lost/misplaced or not traceable, finder please contact 9811504321

PUBLIC NOTICE

Under instructions from my client Shri Gulzar Singh S/o Late Sh. Harbhajan Singh through his attorney Smt. Avneet Kaur W/o Shri Gulzar Singh R/o G-82, Sant Nagar Extension, New Delhi-110018, I hereby inform to the public at large that my client (supra) has filed a civil suit bearing No. 715/2019 against (1) Smt. Balbir Kaur, (2) Sh. Gurjeet Singh, (3) Smt. Sarabjeet Kaur, (4) Smt. Paramjit Kaur and (5) Smt. Surinder Kaur for partition with other ancillary reliefs qua the property bearing No. A-90/5, Block-B, Wazirpur Industrial Area, measuring 200 sq. yds. and the said civil suit is pending in the court of Sh. Ajay Pandey, Ld. ADJ, NW, Rohini Courts, Delhi whereby the Hon'ble Court restrained the above said persons/ defendants from alienating, selling, transferring or creating any third party interest in the said property. Any person whosoever deals with the above said persons as regard to the above mentioned property shall deal with the said persons with his own risk and responsibility and my client shall not be liable for any loss incurred to him/her/them.

Sd/- **(Sumesh Gandhi)**
Advocate
Off. G-184, Basement
Naraina Vihar, New Delhi

PUBLIC NOTICE

This Notice is hereby given to general public that Mrs. Neeru Goyal & Mr. Deepak Goyal, who claimed to be owner and in possession of Entire Third Floor without roof rights **"said floor"** Part of Residential Property Bearing No.E-254, area measuring 213 Sq. Yds., Situated at Greater Kailash-I, Delhi and same was purchased from Mr. Alok Mathur(Vendor) AND Mrs. Anjana Chopra & Ms. Ranjana Seth by virtue of Sale Deed dated-11/07/2017. And now Mrs. Neeru Goyal & Mr. Deepak Goyal have approached to IDBI Bank Ltd. for financial assistance and therefore shall be mortgaged with the said Bank. All person's having any claim regarding in respect of the said property or any part, are hereby requested to notify the same in writing to undersigned with supporting documentary evidence at the address mention below within 15 days from the date of publication of this notice, failing which claim, if any, of such persons will be consider to have been waived and/or, abandoned and our client shall proceed with the disbursement of loan against the said property and subsequent creation of Mortgage in respect thereof.

Sunil Parsad (Advocate)
For Juris NextGen Law Offices
E-56, Greater Kailash Enclave Part-1
New Delhi-110048

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that Share Certificate No. 003014989 for 500 Equity Shares of Rs. 2/- (Rupees Two only) each (Now split into 1000 Equity Shares of Rs. 1/- each) bearing Distinctive Nos 14733136 - 14733635 of **HDFC Bank Ltd.**, having its registered office at HDFC Bank House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (W), Mumbai - 400013 jointly registered in the name of **V R Sathyan Pillai** and **Santha Sathyan** have been lost. Further a request for issue of duplicate Share certificate and change in name has been made to the Company. Any person who has any claim in respect of the said share certificate should lodge such claim with the Company within 15 days of the publication of this notice.

Sd/-
Sathyan Pillai /
Santha Sathyan
New Delhi
Dated: 14-2-2020

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed that my client Sh. Mahender Singh Rathore S/o Late Sh. Sendi Lal R/o E-27, Bhagat Singh Park, Libas Pur, Delhi-110042 has debarred his sons namely Neeraj Singh Rthore along with his wife namely Smt. Jyoti from his all the movable and immovable properties as they are not in control of my client and their disobedience towards my client. If anyone dealing with aforesaid, they will may deal at his/ her own peril, risk and consequences and my client and other members of his family shall not be liable and responsible for any such dealing.

Jitendra Kumar (Advocate) Ch.4, Tis Hazari Court, Delhi-54

Notice Regarding Lost Share Certificate(s) of Igarashi Motors India Limited, Redg Office:Plot No B-12, B-15, Phase-II MEPZ Tambaram, Chennai-600045.

I, Chandra Mohan Garg S/o Late Sh O.P Garg,R/o G-127,Pushkar Enclave,Paschim Vihar,N.Delhi-63 the registered holder of the under mentioned shares held in the above said company hereby give notice that the share certificate(s) in respect of the said shares have been lost & I have applied to the Company for issue of duplicate certificate (s). Any person having claim in respect of the said shares should lodge such claims with the Company at its above referred address within 15 days from this date, else the Company will proceed to issue duplicate certificate(s) and no further claim will be entertained by the Company thereafter.

Folio No-00017485 Certificate No-17491, Distinctive Nos. 8977301-400, No.of Shares-100, Date: 14.02.20
Place: New Delhi, Chandra Mohan Garg (Name of Shareholder)

PUBLIC NOTICE

This is to bring to the notice of the general public that One (01) ID Card of **Mr. Mahfooj Hassan** issued by **ICICI Bank Ltd**. having ID card no.**02628** has been found missing and/or lost on **30.01.2020.** Anyone who finds the said ID card is requested to return the said ID card to the Manager Debt Services & Management Group, ICICI Bank Limited, **Gurman Industries**, Therefore all the customers of ICICI Bank Limited are hereby notified not to make any payment to any unauthorised person holding the said ID card no. **02628**. Please take further notice that anybody making payment to any person holding the said ID card shall do so at his/her own costs, risk and peril and ICICI bank shall not be bound and / or responsible for any payment.

Date: 30.01.2020 **SD/-**
Place: Delhi **For ICICI Bank Limited**

My Clients Radhey Shyam S/o Sh. Chhaju Ram and Smt. Uganti Devi W/o Sh. Radhey Shyam R/o BG-3/2c, Paschim Vihar New Delhi-110063, have severed all relationships and disowned their son namely Sonu Navriya and Daughter-in-law Rajni Biwal and debarred them from their all moveable and immovable properties due to their cruel behavior toward my clients and due to their antisocial and anti family activities. My clients are not having even taking terms with their above noted son and daughter-in-law and my clients have no control over them. My clients shall not be responsible for their acts, deeds and things if any as my clients have nothing to do with their businesses, liabilities and acts what so ever.

AMAR PHOGAT & ASSOCIATES
Lawyer's ch. No.16 Patiala house courts ND

PUBLIC NOTICE

I, Bhawna Sharma D/o Sh. Rati Ram Sharma R/o H. No. D-115, Kunwar Singh Nagar, Nangloi, West West Delhi, Delhi-110041 declare that name of mine has been wrongly written as BHAWNA in my OBC Certificate No.OBC/03/31/13606/30/07/2010/8931027300 The actual name of mine is BHAWNA SHARMA, which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed that my clients Sh. Dharampal S/o Sh. Jaggu and Smt. Kiran W/o Sh. Dharampal both R/o H.No.395, Block-B-2, Raghubir Nagar, Tagore Garden, Delhi-110027 have debarred/disowned their son Shivam Tanwar and daughter-in-law Priya W/o Shivam Tanwar from all their moveable and immoveable properties due to their, misbehaviour, quarrelsome nature and atrocities/cruelties committed upon my clients. My clients have also severed all their relations with them. If any one deals with them, he/she/they will be doing so at his/her/their own risk and consequences and my clients shall not be responsible in any manner and shall have no liability and responsibilities in any manner in future for the acts/deeds/things of their abovenamed son and daughter-in-law.

JANKIDAS BANSAL ADVOCATE
Chamber No.371 & 372, WW, Tis Hazari Court, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

Be it known that my client SMT. SUMITRA RANI SEHGAL W/o LT. SH. UDAI BHAN SEHGAL R/o B-36 DERAWAL NAGAR, New Delhi-110009 has disowned and severed all their relations with their son MR. OM PRAKASH SEHGAL alias TITU S/o Late UDAI BHAN SEHGAL AND SUMITRA RANI SEHGAL debarred them from their movable and immovable properties/assets and their personal life. Anybody dealing with them in civil and criminal matter shall be doing at his/ her/ their own risk, cost and responsibility.

Sd/-
SURENDER KUMAR
(Advocate)
En. No. D/152/88,
Shop No. RU-6, Pitam Pura, Delhi

PUBLIC NOTICE

It is publically informed that my client Shivrudra Yadav S/o Sh. Bhagwat Yadav owner of Property No. K-1/179, area 25 Sq. Yds., Kh. No.35/16, Village Mohammadpur Majri, Rama Vihar, Delhi, have lost original file (GPA, Agreement Set), Dt.15.01.2018, in the name of my client alongwith previous original documents & he has also got a N.C.R. for the same, vide NCR/LR No:156137/2020, Dt.13.02.2020. Any person who founds the same or any person who claims to be the owner of the said property in part or full then he/she/they shall contact me at my number i.e. 9811800549, within three days from the date of this notice otherwise such claim shall be treated as null and void.

DILIP KUMAR (Advocate)
Off.: C-1/124, G.F., Sector-11, Rohini, Delhi

सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को व्यापक तौर पर इस तथ्य के साथ सूचना दी जाती है कि श्री सुधान्सु सेखर मिश्रा जो कि फ्लैट संख्या ए–112 भा.ति.सी. पुलिस सहकारी आवास समिति, सेक्टर पाई, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश (जिसे संपत्ति कहा जायेगा) के स्वामी और कब्जेदार हैं, यह कि श्री सुधान्सु सेखर मिश्रा के पक्ष में संपत्ति के मूल दस्तावेज यथा शेयर प्रमाणपत्र (Share Certificate) दिनांक 21.08.2000 एवं मूल फ्लैट आवंटन पत्र (Allotment of Flat Latter) दिनांक 27.11.2001 दोनों ही भा.ति.सी. पु. सहाकारी आवास समिति सेक्टर पाई ग्रेटर नोएडा द्वारा जारी किये गए थे, जो कही गुम होगए हैं। उपरोक्त दस्तावेज कि गुमशुदी के बाबत ऍफ.आई. आर/एन.सी.आर उत्तर प्रदेश पुलिस के पास पहले ही दर्ज कराई जा चुकी है जिसका L.A.R. 065589/2020 दिनांक 28.01.2020 है। अगर कोई भी व्यक्ति गुम हुए दस्तावेजों के आधार पर उक्त संपत्ति के साथ किसी भी रूनप में संव्यवहार करता है तो वह विधिक रूप से निरर्थक माना जायेगा और वह अपने जोखिम पर ऐसा करेगा। उपरोक्त कागजातों के आधार पर दावा, हित, स्वामित्व आदि दर्शाने वाला या इन्हें प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति कृप्या श्री रोहित कुमार अधिवक्ता से उनके कार्यालय, चैम्बर नम्बर ऍफ़–712, कडकडडूमा कोर्ट, दिल्ली–110032 पर तथा उनके मोबाईल नं. 9718703803 व 8368713222 पर इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर लिखे पते पर संपर्क करें।

निर्भया मामले के दोषी विनय की याचिका खारिज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 फरवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा पाए दोषी विनय कुमार की याचिका खारिज कर दी। विनय कुमार ने राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना के पीठ ने विनय कुमार शर्मा की याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसमें दया याचिका खारिज करने के आदेश की न्यायिक समीक्षा का कोई आधार नहीं है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति के समक्ष शर्मा की मेडिकल रिपोर्ट सहित सारी सामग्री पेश की गई थी और उन्होंने दया याचिका खारिज करते समय सारे तथ्यों पर विचार किया था। शीर्ष अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट के मद्देनजर शर्मा की इस दलील को भी अस्वीकार कर दिया कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और कहा कि इस रिपोर्ट के अनुसार उसकी सेहत ठीक है।

निचली अदालत ने 31 जनवरी को अगले आदेश तक के लिए चारों दोषियों मुकेश कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनय कुमार शर्मा और अक्षय कुमार को फांसी देने पर रोक लगा दी थी। ये चारों दोषी इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं। निर्भया से 16–17 दिसंबर, 2012 को दक्षिणी दिल्ली में चलती बस में छह लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था और दरिंदगी के बाद उसे सड़क पर फेंक दिया था। निर्भया की बाद में 29 दिसंबर, 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी।

इन छह आरोपियों में से एक राम सिंह ने तिहाड़ जेल में कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी। जबकि छठा आरोपी किशोर था जिसे तीन साल सुधार गृह में रखने के बाद 2015 में रिहा कर दिया गया।

न्यायाधीश अदालत कक्ष में हुईं बेहोश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 फरवरी।

सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर भानुमति शुक्रवार को अदालत कक्ष में उस समय बेहोश हो गईं जब वे निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड के चार दोषियों को अलग-अलग फांसी दिए जाने की केंद्र की याचिका पर आदेश सुना रही थीं। हालांकि न्यायमूर्ति भानुमति जल्द ही होश में आ गईं और वहां डायस पर बैठे अन्य न्यायाधीशों व सुप्रीम कोर्ट के कर्मियों ने उन्हें चैंबर में पहुंचाया। न्यायमूर्ति को व्हील चेयर पर ले जा गया।

न्यायमूर्ति भानुमति की हालत अब बेहतर हैं और उनका उपचार हो रहा है। सूत्रों ने बताया कि उन्हें तत्काल उपचार के लिए ले जाया गया और अब उनकी हालत स्थिर है।

जनसंख्या विस्फोट पर राजनीतिक दलों का चर्चा से कतराना दुर्भाग्यपूर्ण : उपराष्ट्रपति

नई दिल्ली, 14 फरवरी (भाषा)।

उपराष्ट्रपति एम.वेंकैया नायडू ने देश की बढ़ती आबादी पर चिंता जताते हुए शुक्रवार को कहा कि राजनीतिक दलों, नेताओं व सांसदों का इस बारे में चर्चा करने से बचना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राजनेता, राजनीतिक दल और सांसद देश में बढ़ती आबादी की समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि इसके कारण खाद्य सुरक्षा समेत कई चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं।

उपराष्ट्रपति ने भारतीय कृषि शोध संस्थान के 58वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक भूख सूचकांक की सूची में भारत का निम्न श्रेणी में होना चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि नीति निर्माताओं और कृषि वैज्ञानिकों को आत्मचिंतन करना चाहिए और देश में खाद्य व पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए इस मुद्दे का हल निकालना चाहिए। इसी संदर्भ में देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'बढ़ती आबादी वाले भारत जैसे देश में, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी जनसंख्या की समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है। राजनीतिक दल मुंह छुपा रहे हैं, नेता भी मुंह छुपा रहे हैं, संसद में भी इस मुद्दे पर पर्याप्त चर्चा नहीं होती है।' उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में आबादी बेतहाशा बढ़ रही है और यातायात जैसी समस्याएं उत्पन्न कर रही है।

उन्होंने कहा, 'आबादी की समस्या और कृषि उत्पादन बढ़ाना न सिर्फ हमारी खाद्य सुरक्षा बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यदि आबादी इसी तरह से बढ़ती रही और आपने इसी हिसाब से उपज में वृद्धि नहीं की, आने वाले समय में समस्या उत्पन्न होगी।' नायडू ने कहा, 'देश का खाद्यान्न उत्पादन 2,833.7 लाख टन है और इस हिसाब से भारत अच्छी स्थिति में है। हालांकि भारत वैश्विक भूख सूचकांक में 102वें स्थान पर है। यह चिंता का विषय है।' उन्होंने कहा, 'नीति निर्माताओं, राजनेताओं, सांसदों, कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि वैज्ञानिकों को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए कि हम अभी भी वैश्विक भूख सूचकांक में 102वें स्थान पर क्यों हैं।' उन्होंने कहा, 'क्या नीति में कहीं कमी है, या कार्यप्रणाली में खामी है, या क्रियान्वयन अथवा प्राथमिकताओं के साथ समस्या है, हमें गंभीरता से विचार करने व चिंता को दूर करने की जरूरत है।' उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 1950–51 के 510 लाख टन से बढ़कर 2,833.7 लाख टन पर पहुंच गया है। चावल और गेहूं का उत्पादन कृषि वर्ष 2018–19 में 1,000 लाख टन से अधिक रहा है। उन्होंने कहा, 'हमने खाद्य के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली लेकिन महज खाद्य सुरक्षा पर्याप्त नहीं है। हमें पोषण की सुरक्षा की जरूरत है। हर व्यक्ति में विटामिन की कमी है। हमें पोषण की दिक्कत को निश्चित दूर करना चाहिए।'

PUBLIC NOTICE

My clients Shri Vinod Kumar S/o Late Shri Jai Lal and Smt. Bala W/o Shri Vinod Kumar, R/o H.No. 1559, Nawada Mohalla, Main Najafgarh, Delhi-110043, has disowned their both sons and daughters in law, namely Mr. Rahual aged about 29 years and his wife Mrs. Neetu D/o Shri Prakash aged about 34 years, and Mr. Pradeep aged about 23 years and his wife Mrs. Komal D/o Shri Khajan aged about 29 years for the misconduct and threat done by their sons Rahul and pradeep and their wife Mrs. Neetu and Komal on various occasions, from my client's all movable and immovable property/ properties. That they shall not inherit any of my client's property/ properties and shall not be entitled to agrant of probate to my client's will. Anybody transacting any business with Mr. Rahul and Pradeep and their wife Mrs. Neetu and Komal in respect to my client, is doing that in his or her own risk, my clients and his family shall not be responsible at all, General Public take notice.

Sd/-
BALRAM
Advocate
169, Sector-IX, R.K. Puram, New Delhi-22

PUBLIC NOTICE

It is Publically informed that my client Shri Talwinder Singh S/O Shri Jaswinder Singh R/o M-568 Ist Floor Back Side Guru HarKrishan Nagar Paschim Vihar, Delhi-110087 have Lost/Misplaced the Original GPA, WILL AGREEMENT TO SELL ON DT. 24.09.85 executed by Mrs. Satyavati in favour of Mrs. Inderjit Kaur in respect of Western-Northern side area measuring 100 Sq yds. of Prop No. WZ-283/43, Gali No. 4 West Block Vishnu Garden New Delhi. If anyone found it contact me our my client 9810089598.

Sd/-
ANKUR MEHTA
(ADVOCATE)
Office No. 11 RU-Block Market,
Pitampura, Delhi
M-9990980625

UNIQUE SHIKSHA
India's top-ranked* Civil Services Preparations' & Coaching Institute
WE ARE GROWING & NEED THE BEST TEACHERS TO TRAIN INDIA'S FUTURE
Great Communication
Strong Knowledge
Innovative teaching
To apply mail resume to info@uniqueshiksha.in
• Call 9999 794 360
• Walk-in during 10 am-6 pm
*as recognised by Indian Education Congress Awards - 2016-20
For Admission
www.uniqueshiksha.com
8287 360 360

Classifieds
EXPRESS EDUCATION
McGraw-Hill writer RAMESH SINGH'S GS ECONOMY
Basics+Current
updated with the latest Survey 2019-20 and Budget 2020-21
New batch: Mar. 02-Apr. 20 (2.30-4.45pm)
86/41, Old Rajinder Nagar, Bada Bazar Road, Near Shankar Road, N. Delhi-60 www.rameshsingh.org | ph. 98182-44224; 80767-48812

M. PURI ONLINE GS PAPER 2
ADMISSIONS OPEN in the latest batch
100+ LECTURES UPDATED WITH LATEST CURRENT AFFAIRS
A course without which your GS Paper 2 preparation is incomplete

Stellar IAS ACADEMY
www.stellariasacademy.online
CALL: 99152-14599

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service 23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841

www.readwhere.com

गुरुद्वारा कमेटी ने की पूर्व अध्यक्ष की सदस्यता रद्द

मनजीत सिंह जीके पर गबन का आरोप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 फरवरी।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी की आम सभा ने शुक्रवार को विशेष सत्र बुलाकर गुरुद्वारा के मद में गबन के आरोपी दिल्ली कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके की सदस्यता रद्द कर दी। उन्हें गुरुद्वारा का पैसा व जायदाद वापस करने के लिए एक माह का समय दिया गया है। कमेटी की आम सभा के फैसले की यह जानकारी गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी। इसके तुरंत बाद मनजीत सिंह जीके ने प्रेस कांफ्रेस कर इसका विरोध किया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा – मेरे खिलाफ अगर हेराफेरी के आरोप साबित हुए तो मैं दोगुना रुपए लौटाऊंगा।

मौजूदा अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा–दिल्ली कमेटी ने आम सभा को बताया गया था कि मनजीत सिंह जीके ने करोड़ों रुपए गुरु के गोलक का चूना लगाया हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व अध्यक्ष पर अपने शासनकाल में अलग–अलग समय पर 80 लाख रुपए, 50 लाख, 51 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 13 लाख 65 हजार रुपए गैर वाजिब तरीके से भी निकलवाने के सबूत हैं। उन्होंने दावा किया कि जीके ने अपने परिजनों और रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया। बकौल सिरसा बैठक में 24 बिंदुओं पर पूरे विस्तार से दो घंटे विचार–विमर्श हुआ। सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के सदस्यों की ओर से जिसमें पूर्व अध्यक्ष व मौजूदा सदस्य जीके सदस्यता खारिज किया गया। अध्यक्ष ने बताया कि आम सभा ने मनजीत सिंह को एक महीने की मोहलत दी है कि वे कमेटी की जायदाद वापस करें। महासचिव हरमीत सिंह कालका ने कहाकि मनजीत सिंह अपना पक्ष रखने मौका देने के बावजूद सभा में नहीं आए।

बिफरे जीके ने कहा कि आरोप साबित हुए तो दोगुना लौटाऊंगा

हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. (हडको),
(भारत सरकार का उपक्रम)
आई एस ओ 9001:2015 प्रमाणित कम्पनी
हडको भवन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर – 302005
अचल सम्पत्तियों के लिए कब्जे का नोटिस

यतः ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति–हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002'' की धारा 13(2) के अधीन हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेषन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने मांग नोटिस दिनांक 09.09.2019 को जारी करते हुए ऋणी/जमानतदार – (1) श्री मदन लाल खटीक पुत्र श्री भैंरू लाल खटीक, पता (i)– ग्राम पोस्ट पराना, तहसील टोंक, जिला टोंक, पता (ii)– प्लॉट/ब्लॉक नं. 10/85, दूसरी मंजिल, पुलिस अकादमी, शास्त्री नगर, जयपुर, पता (iii)– प्लॉट नं. 16, बालाजी विहार, अनिता कॉलोनी, रामपुरा रोड, साँगानेर रेलवे स्टेशन, जयपुर (2) श्री मदन लाल खटीक (बेल्ट नं. 7290) पुत्र श्री भैंरू लाल खटीक, पता– रिजर्व पुलिस लाईन्स, चाँदपोल, जयपुर (3) श्री भँवर लाल (कॉस्टेबल बेल्ट नं. 7223) पुत्र श्री रामस्वरूप खटीक, पता (i)– रिजर्व पुलिस लाईन्स, जयपुर शहर, चाँदपोल, जयपुर, पता (ii)– ग्राम पोस्ट सोनवा, तहसील एवं जिला टोंक को रूपये 17,29,285/–(अक्षरे रूपये सत्रह लाख, उनतीस हजार, दो सौ पिच्यासी मात्र) दिनांक 30.09.2019 (09.09.2019 तक ब्याज सम्मिलित) एवं इसके पश्चात के ब्याज व खर्च अतिरिक्त का भुगतान, नोटिस की दिनांक से 60 दिनों के भीतर, करने की मांग की थी। ऋणी द्वारा सम्पूर्ण राशि के भुगतान करने में असफल होने पर, ऋणी/आमजन को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त एक्ट की धारा 13 (4) व नियम 8 (1) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अधीन, अधोहस्ताक्षरी ने आज दिनांक 11.02.2020 को निम्नलिखित सम्पत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है एवं आमजन को सावधान किया जाता है, कि इस सम्पत्ति बाबत् कोई व्यवहार नहीं करें और किये गए व्यवहार पर हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूपये 17,29,285/– (अक्षरे रूपये सत्रह लाख उनतीस हजार दो सौ पिच्यासी मात्र) दिनांक 30.09.2019 तक एवं इसके पश्चात् के ब्याज व खर्च अतिरिक्त की राशि का भार होगा।

आपका ध्यान उक्त अधिनियम 2002, की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार यदि बैंक द्वारा किये सभी लागतों, व्यवहारों और खर्चों के साथ उसके बकायों को विक्रय सूचना के प्रकाषन की तिथि के पहले बैंक को चुकाया जाता है तो प्रतिभूत आस्ति को ऋण मुक्त करा सकते हैं। सूचित हो विक्रय सूचना के प्रकाशन के पश्चात् प्रतिभूत आस्ति को ऋण मुक्त कराने का अधिकार नहीं रहेगा।

बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण :–
ग्राम पोस्ट– पराना, तहसील एवं जिला– टोंक में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 61' x 20' वर्ग फिट जो कि श्री मदनलाल खटीक पुत्र श्री भैरूलाल खटीक के नाम से है।
चतुर्थ सीमा :–
पूर्व– रघुनाथ खटीक का मकान | पश्चिम– धूलिलाल खटीक का मकान
उत्तर– मुख्य सड़क | दक्षिण– रामदेव खटीक की भूमि
दिनांक: 11.02.2020
स्थान: टोंक
प्राधिकृत अधिकारी
एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)
निगम एवं पंजीकृत कार्यालय : महानगर दूरसंचार सदन, 5वां तल, 9, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
वेबसाइट : www.mtnl.net.in फोन (कार्या.) : 011–24319020, फैक्स : 011–24324243 सीआईएन : L32101DL1986GOI023501

31.12.2019 को समाप्त हुई तिमाही एवं नौ माह के एकल एवं समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश
(रु. करोड़ में)

	विवरण	एकल				समेकित			
		समाप्त तिमाही		समाप्त नौ माह	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही		समाप्त नौ माह	समाप्त वर्ष
		31.12.2019 को समाप्त तिमाही	31.12.2018 को समाप्त पिछले वर्ष की तदनुसार तिमाही	31.12.2019 की समाप्ति पर वर्तमान अवधि के वर्ष के आंकड़े	31.03.2019 की समाप्ति पर पिछला वर्ष	31.12.2019 को समाप्त तिमाही	31.12.2018 को समाप्त पिछले वर्ष की तदनुसार तिमाही	31.12.2019 की समाप्ति पर वर्तमान अवधि के वर्ष के आंकड़े	31.03.2019 की समाप्ति पर पिछला वर्ष
		अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित
1.	प्रचालनों से कुल आय	383.64	514.50	1,165.31	1,987.80	407.95	545.75	1,230.33	2,085.41
2.	अपवादात्मक मदों और कर से पूर्व की अवधि में शुद्ध लाभ/(हानि)	(1,068.50)	(832.26)	(3,071.34)	(3,390.20)	(1,065.32)	(825.68)	(3,070.09)	(3,387.20)
3.	कर से पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादात्मक मदों के बाद)	(1,068.50)	(832.26)	(3,071.34)	(3,390.20)	(1,065.32)	(825.68)	(3,070.09)	(3,387.20)
4.	कर के पश्चात अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)	(1,068.50)	(832.26)	(3,071.34)	(3,390.20)	(1,065.32)	(825.68)	(3,070.09)	(3,388.07)
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (कर के पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि) और कर के पश्चात अन्य व्यापक आय सहित)	(1,068.50)	(832.26)	(3,071.34)	(3,397.58)	(1,065.34)	(830.89)	(3,071.84)	(3,395.82)
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी				630.00				630.00
7.	पुनर्मुल्यन आरक्षितों को छोड़कर अन्य इक्विटी				(10,364.94)				(10,357.83)
8.	चालू और बंद किए गए परिचालनों के लिए प्रति शेयर (रु. 10) उपार्जन (अवार्षिकीकृत)								
	1. मूल	(16.96)	(13.21)	(48.75)	(53.81)	(16.91)	(13.11)	(48.73)	(53.78)
	2. तनुकृत	(16.96)	(13.21)	(48.75)	(53.81)	(16.91)	(13.11)	(48.73)	(53.78)

नोट : 1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण एवं अन्य उदघोषणा आवश्यकताएं) नियमन, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में दर्ज 31 दिसम्बर 2019 की समाप्ति पर विस्तृत तिमाही तथा नौ माह के वित्तीय परिणामों का सारांश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, कम्पनी की वेबसाइट www.mtnl.net.in और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर उपलब्ध है।
2. लेखा परीक्षा समिति ने 14.02.2020 को आयोजित अपनी बैठक में उपरोक्त परिणामों की समीक्षा तथा उन्हें अपनाने की अनुशंसा की है और कम्पनी के निदेशक मंडल ने इसी तिथि को आयोजित अपनी बैठक में इसे अनुमोदित किया है।
3. कम्पनी के लेखा परीक्षकों ने 31.12.2019 को समाप्त तिमाही के उपरोक्त वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है।
4. कम्पनी ने यह वित्तीय परिणाम कम्पनीज़ अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित कम्पनीज (इंडियन एकाउंटिंग स्टैन्डडर्स) नियम, 2015 के अनुरूप तैयार किए हैं।

कृते तथा बोर्ड की ओर से
(सुनील कुमार)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06628803

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 14.02.2020

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

दिल्ली विकास प्राधिकरण

घोषणा करता है
एक भव्य वाणिज्यिक संपत्ति की ई-नीलामी
पीरागढ़ी में एक विशाल एकीकृत वाणिज्यिक विकास के लिये

दिल्ली में एक प्रतिष्ठित भू-भाग के सृजन का स्वर्णिम अवसर

क्षेत्र: 1,15,843 वर्ग मीटर*
कवर्ड एरिया: 2,29,948 वर्ग मीटर
ग्राउंड कवरेज: 76,649 वर्ग मीटर
अनिवार्य हरित क्षेत्र: 12,537 वर्ग मीटर
*स्वीकृति योग्य (@375) 26250 वर्ग मीटर के एफएआर व अधिकतम 2800 वर्ग मीटर स्वीकृत ग्राउंड कवरेज सहित होटल के लिये निर्धारित 7000 वर्ग मीटर क्षेत्र के साथ

शॉपिंग | सेलिब्रेशन्स | सोशलाइज़िंग | विशाल हरित क्षेत्र | मनोरंजन | विश्व-स्तरीय लोकेशन | बड़े डिस्काउंट स्टोर | कला व संस्कृति | विश्व-स्तरीय विशेषताएं

एयरपोर्ट तक सुगम पहुंच | 2 मेट्रो लाइन संपर्क | रिंग रोड संपर्क | सुगम व आसान पहुंच

प्लॉटों एवं प्रक्रिया के विस्तृत विवरणों के लिए कृपया ई–ऑक्शन वेबसाइट www.tenderwizard.com/DDAAUCTION देखें या हमारी वेबसाइट www.dda.org.in पर उपलब्ध ई–ऑक्शन लिंक पर क्लिक करें तथा ई–ऑक्शन पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध नये लिंक ''ई–ऑक्शन ऑफ प्रोपर्टीज'' के माध्यम से इसे डाउनलोड करें। इच्छुक बोलीदाता '' न्यू रजिस्ट्रेशन' लिंक के माध्यम से उपरोक्त साइट पर ऑनलाइन स्वयं/अपनी फर्म का पंजीकरण करा सकते हैं। कृपया नोट करें कि डीडीए की ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सभी इच्छुक बोलीदाताओं का डिजिटल सिग्नेचर होना अनिवार्य है। ई–नीलामी की प्रक्रिया को समझाने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं की सहायता हेतु नागरिक सुविधा केन्द्र, भूतल, 'डी' ब्लॉक, विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली में एक हेल्प डेस्क खोला गया है। भावी बोलीदाता डिजिटल सिग्नेचर और पंजीकरण/प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं ई–नीलामी प्रक्रिया पर किसी अन्य स्पष्टीकरण के लिए कृपया हमारे हेल्प डेस्क नं. 011–49424365/8800991846/8800378610 पर प्रातः 11.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक (सभी कार्य दिवसों) में या, twhelpdesk831@gmail.com व twhelpdesk603@gmail.com पर सम्पर्क करें।

सुबु आर
आयुक्त (भूमि निपटान)

अन्य विवरण के लिए संपर्क करें: आयुक्त (भूमि निपटान), विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली-110023
दिल्ली विकास प्राधिकरण
बेहतर कल की बुनियाद
कृपया Google play पर डीडीए एप पर अपनी प्रतिक्रिया दें
डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.in देखें या टोल फ्री नं. 1800110332 डायल करें
ddaofficial | official_dda

SBI

एसबीआई मेगा ई-ऑक्शन आ चुका है.
1,000+ संपत्तियों के लिए बोलियाँ खुल रही हैं.

ई-ऑक्शन का दिनांक: 26 फरवरी, 2020

पंजीकरण के लिए नीचे दी गई किसी भी वेबसाइट पर लॉग ऑन कीजिए:

वेबसाइट	हेल्पलाइन
https://ibapi.in	18001025026 / 011 41106131
www.sbi.auctiontiger.net	079 4000 5400 / 34 / 04
www.bankeauctions.com/sbi	0124 - 4302020 / 21 / 22 / 23 / 24
www.tenderwizard.com/SBIEAUCTION	18004256185

अनेक प्रकार के खुले भूखंडों, रिहायशी, औद्योगिक और कमर्शियल प्रापर्टीज की नीलामी.
सफल बोलीकर्ताओं के लिए लोन्स उपलब्ध, पात्रता के अधीन.

अधिक जानकारी के लिए:
https://bank.sbi/portal/web/home/bank-e-auctions &
https://bank.sbi/portal/web/home/mega-e-auction
https://ibapi.in

ओएनजीसी
ONGC

Great Place To Work. Certified

जहाँ तकनीकी ज्ञान ऊर्जा समृद्धि और निरंतरता की खोज का पूरक है

हर काम देश के नाम

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही और नौ महीने के वित्तीय परिणामों का सार
(₹ करोड़ में अन्यथा जब तक कथित न हो)

क्र. सं.	विवरण	एकल					समेकित				
		31.12.2019 को समाप्त तिमाही	31.12.2019 को समाप्त नौ महीने	31.12.2018 को समाप्त तिमाही	31.12.2018 को समाप्त नौ महीने	31.12.2019 को समाप्त वर्ष	31.12.2019 को समाप्त तिमाही	31.12.2019 को समाप्त नौ महीने	31.12.2018 को समाप्त तिमाही	31.12.2018 को समाप्त नौ महीने	31.12.2019 को समाप्त वर्ष
		अन-अंकेक्षित	अन-अंकेक्षित	अन-अंकेक्षित	अन-अंकेक्षित	अंकेक्षित	अन-अंकेक्षित	अन-अंकेक्षित	अन-अंकेक्षित	अन-अंकेक्षित	अंकेक्षित
1	प्रचालनों से कुल आय	23,710.05	74,757.41	27,694.09	82,896.09	1,09,654.55	1,09,443.39	3,20,512.47	1,17,305.75	3,41,144.12	4,53,460.57
2	अवधि के दौरान निवल लाभ/(हानि) (कर, असाधारण मदों के पहले)	5,988.57	24,094.04	12,062.99	34,374.78	39,954.03	8,834.02	29,430.44	13,479.69	43,273.45	56,358.16
3	अवधि के दौरान कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के पश्चात)	5,988.57	24,094.04	12,062.99	34,374.78	39,954.03	8,834.02	29,430.44	13,469.43	43,262.09	54,767.15
4	अवधि के दौरान कर उपरांत निवल लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के पश्चात)	4,151.63	16,319.01	8,262.70	22,671.19	26,715.79	5,383.80	17,913.04	9,561.73	27,610.22	33,886.93
5	अवधि के दौरान कुल व्यापक आय [अवधि के दौरान लाभ (हानि) (कर उपरांत) और अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) को मिलाकर]	1,048.83	10,129.12	6,112.61	18,311.67	24,917.03	2,998.74	13,165.01	5,681.06	24,163.31	32,990.40
6	इक्विटी शेयर पूंजी (₹5 प्रत्येक का अंकित मूल्य)	6,290.15	6,290.15	6,416.63	6,416.63	6,290.15	6,290.15	6,290.15	6,416.63	6,416.63	6,290.15
7	अन्य इक्विटी					1,96,702.40					2,11,850.61
8	प्रति शेयर अर्जन (₹5 प्रत्येक के अंकित मूल्य) वार्षिकीकृत नहीं										
	(क) मूल (₹)	3.30	12.97	6.44	17.67	20.86	3.90	13.41	7.31	20.21	23.81
	(ख) तनुकृत (₹)	3.30	12.97	6.44	17.67	20.86	3.90	13.41	7.31	20.21	23.81

टिप्पणी :
1) उपर्युक्त परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक (इंड–एएस) के अनुसार कर रहे हैं, इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों और अन्य लेखांकन सिद्धांतों जो आमतौर पर भारत में स्वीकार किए जाते हैं, के साथ पढ़ा जाए।
2) 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए प्रति शेयर अर्जन 22 फरवरी, 2019 को संपन्न 25,29,55,974 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों की वापसी खरीद पर विचार करते हुए अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या के आधार पर किया गया है।
3) उपरोक्त, दिनांक 31.12.2019 को समाप्त तिमाही और नौ महीने के अन–अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है जो सेबी (सूचीकरण और अन्य प्रकटन अपेक्षाएँ) अधिनियम 2015 के अधिनियम 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज है। 31.12.2019 को समाप्त तिमाही और नौ महीने के अन–अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का पूरा फॉर्मेट बीएसई (www.bseindia.com), एनएसई (www.nseindia.com) की स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट और कम्पनी की वेबसाइट (www.ongcindia.com) पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश से
सुभाष कुमार
निदेशक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14 फरवरी, 2019

ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड
Courage to Explore | Knowledge to Exceed | Technology to Excel
ओएनजीसी कंपनियों का समूह
पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड | रोहिणी हेलीपोर्ट
अनुषंगी कंपनी | संयुक्त उद्यम | सहयोगी कंपनी
सीआईएन सं. एल74899डीएल1993जीओआई054155, पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं. 5ए–5बी, नेलसन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली–110070, दूरभाष: 011-26754002, फैक्स: 011-26129091, ई–मेल: secretariat@ongc.co.in
www.ongcindia.com /ONGCLimited @ONGC_ company/ONGC

www.readwhere.com

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	25.4 डि.से.	25.4 डि.से.	24.5 डि.से.	25.5 डि.से.
न्यूनतम	13.7 डि.से.	13.7 डि.से.	13.7 डि.से.	13.7 डि.से.

विरोध कांग्रेस की युवा इकाई एलपीजी की कीमत में बढ़ोतरी के खिलाफ शुक्रवार को पेट्रोलियम मंत्रालय के दफ्तर के बाहर चूल्हे पर रोटियां सेंक कर प्रदर्शन करती हुई।

अगले चुनाव के लिए भाजपा ने कसी कमर

सीधी टक्कर की चुनौती के लिए खुद को करेगी तैयार

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 14 फरवरी।

विधानसभा चुनाव में बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अब पांच साल में होने वाले चुनाव की रणनीति पर मंथन कर रही है। इस बार के चुनाव परिणाम में पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान हर सीट पर हुई सीधी टक्कर से हुआ है। इसलिए भविष्य में होने वाले चुनाव के लिए भाजपा खुद को सीधी टक्कर के लिए तैयार करेगी। वहीं, इस चुनाव परिणाम पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का कहना है कि मेरे कार्यकाल में कुल चार चुनाव लड़े गए। इनमें से 2017 व 2019 हम जीते। और अब 2020 में भी हमारा मत फीसद बढ़ा है।

आम आदमी पार्टी (आप) ने इस पूरे चुनाव को बिजली-पानी और महिलाओं के मुफ्त सफर पर केंद्रित किया था। पार्टी सूत्र मानते हैं कि भाजपा के चुनाव में इसका कोई जिक्र नहीं था। इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए शुरू की गई

मुफ्त बस सेवा भी भाजपा के लिए चुनाव परिणाम में नुकसान का सबसे बड़ा कारण बनी।

महिलाओं व मुख्यतौर पर मुसलिम बहुल इलाकों में आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया और एक बार फिर से आप पार्टी को बहुमत का आंकड़ा मिला। ओखला, सीलमपुर जैसी सीटों का यह रुझान भाजपा नहीं समझ पाई। ऐसी करीब 17 सीट पर मतदान एकतरफा होने का असर देखा गया। इन सीटों में 6-7 प्रमुख ऐसी सीटें रही थीं, जिसमें 50 फीसद से अधिक मुसलिम बहुल क्षेत्र शामिल हैं। भाजपा सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस के बड़े चेहरे इस बार फिर से दिल्ली चुनाव मैदान में थे। इन चेहरों की विश्वनीयता के आधार पर यह माना जा रहा था कि दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन में सुधार होगा। ऐसे प्रमुख चेहरों वाली सीट में दिल्ली की करीब एक दर्जन सीट थी। जो इस चुनावी दंगल में भाजपा को फंसाने वाली सबसे बड़ी वजह बनी। आठ फीसद तक मत बैंक बढ़ने के बाद भी इन सीटों पर भाजपा का प्रदर्शन खराब रहा। संभावना जताई जा रही थी कि इन सीटों पर कांग्रेस का मत फीसद 10-12 तक रहेगा, लेकिन चुनाव परिणाम में यह मत फीसद केवल 4-5 फीसद पर ही आकर थम गया।

संकल्प पत्र में हुई देरी भी इस बार चुनाव में पार्टी के लिए नुकसान की वजह रही है। पार्टी सूत्र मानते हैं कि समय पर संकल्प पत्र आने की स्थिति में आम जनता को सभी तथ्यों को सही प्रकार से समझाया जा सकता था। संकल्प पत्र देरी से आने की वजह से पार्टी सभी मुद्दों को जनता के बीच नहीं ला पाई जबकि पार्टी ने जनता को लुभाने वाली कई घोषणाएं की थीं।

खबरों में शहर

अश्लील इशारे करने के आरोप में चालक गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 फरवरी।

एक महिला अधिवक्ता के सामने अश्लील इशारे करने के आरोप में 38 साल के एक कैब चालक को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान निलोठी निवासी सतीश शर्मा के रूप में की गई है। पुलिस ने बताया कि महिला अधिवक्ता ने गुरुग्राम से दिल्ली उच्च न्यायालय जाने के लिए कैब ली और जैसे ही वह उसमें सवार हुईं कैब चालक ने अश्लील इशारे करने शुरू कर दिए। इस पर अधिवक्ता ने पुलिस को फोन कर इसकी जानकारी दी और लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई थी। इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 506, 509 के तहत तिलक मार्ग पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

'हीर रांझा' पर संगीतमय वार्ता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 फरवरी।

भक्तिवर्सिटी ने 'हीर रांझा' पर एक संगीतमय वार्ता का आयोजन किया। कार्यक्रम में इतिहासकार और सामाजिक कार्यकर्ता सुमेल सिंह सिद्धू वारिस शाह की हीर की नई व्याख्या की। भक्तिवर्सिटी की संस्थापक मेधा ने आज के सवालों के उत्तर सूफी भक्ति परंपरा में पाने की बात की। राजस्थान के सूफी गायक मीर बसु मीर, जब्बार खान और क्रिएटिविटी अड्डा के मस्त मलंग बंद ने हीर रांझा पर लिखे सूफी कलाम से शामा बांध दिया। भक्तिवर्सिटी की संस्थापक डॉ मेधा ने प्रेम के ऊपर बात करते हुए मिर्जा गालिब को याद किया। उन्होंने कहा कि 150 साल पुराने मिर्जा गालिब के शेर से प्रेम की रवायत के मायने ढूंढे जा सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह रवायत कभी नहीं बदलती। उन्होंने कहा कि फिल्मों में और पुरानी कथाओं में दिखता है कि प्रेम में आप आत्मोत्सर्ग तक जाते हैं, लेकिन हीर रांझा के किस्से को समझने के लिए यह समझना होगा कि आधुनिक मनुष्य जिसकी बुनियाद ही शंका है, वह कैसे एकनिष्ठ हो, कैसे आत्मोत्सर्ग तक पहुंचे? इस कार्यक्रम में पंजाब के इतिहासकार और कार्यकर्ता सुमेल सिंह सिद्धू ने वारिस शाह के हीर रांझा की नई व्याख्या प्रस्तुत की।

करोड़ों ठगने के आरोप में तीन गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 फरवरी।

दिल्ली में अपने घर की तलाश कर रहे लोगों के साथ ठगी का एक और मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शखा (ईओडब्लू) ने गुरुवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के नाम पर हजारों लोगों से करीब 400 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने रेवांता मल्टी स्टेट सीजीएचएस प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी बनाई हुई थी। आरोपियों की पहचान कंपनी के पूर्व अध्यक्ष सतेंद्र मान, अध्यक्ष प्रदीप सहरावत और सचिव सुभाष चंद के तौर पर हुई है। इन आरोपियों ने करीब 3997 निवेशकों के साथ ठगी की है। ये आरोपी लोगों को द्वारका में घर बनाकर देने का सपना दिखाते थे।

गार्गी कॉलेज मामला

सीबीआइ जांच की मांग पर अदालत 17 को करेगी सुनवाई

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 फरवरी।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के गार्गी कॉलेज में पिछले हफ्ते एक सांस्कृतिक समारोह के दौरान छात्राओं के साथ छेड़खानी की कथित घटना की अदालत की निगरानी में सीबीआइ जांच की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। साथ ही शुक्रवार को ही दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में सैकड़ों छात्रों ने गार्गी कॉलेज की इस घटना के खिलाफ और छेड़छाड़ का सामना करने वाली छात्राओं से एकजुटता जताने के लिए एक मार्च निकाला। इस बीच मामले में गिरफ्तार दस आरोपियों को अदालत से शुक्रवार को जमानत मिल गई।

बता दें कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद याचक दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे।

छोटे-बड़े नेताओं की नेतागिरी से दिल्ली में हारी भाजपा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 फरवरी।

छोटे-बड़े नेताओं की नेतागिरी ने दिल्ली से भाजपा को बहुमत से दूर कर दिया है। शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में सीट हारने का ठीकरा भाजपा के नेता एक-दूसरे पर फोड़ते नजर आए। हार के कारणों में सबसे बड़ी वजह से पार्टी की अंदरूनी कलह और केंद्रीय नेतृत्व के सक्रिय होने के बाद स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता को माना जा रहा है। इसके प्रमाण भी पार्टी के प्रत्याशी साथ लेकर घूम रहे हैं। हालांकि बैठकों में सामने आ रहे इन तथ्यों से पार्टी के नेता चुप्पी साध रहे हैं। यह चुप्पी ही इस बड़े घमासान का बड़ा संकेत है। जल्द ही इसकी विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपी जाएगी।

शुक्रवार को राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशानिर्देशों के बाद दिल्ली भाजपा कार्यलय पर पार्टी के नेताओं ने समीक्षा बैठक शुरू की। इन बैठकों में पार्टी के नेताओं ने हार के कारण जानने की कोशिश की। हार के कारणों को लेकर एक-दूसरे की राजनीति को लेकर घमासान हुआ। बैठक में उपस्थित नेताओं ने निगम के खराब प्रदर्शन और जमीनी स्तर पर सहयोग नहीं करने को इसका एक बड़ा कारण बताया है। सूत्र बताते हैं कि कई सीटों पर भी सामने आया है कि विधानसभा के लिए तैनात किए गए प्रभारी व प्रत्याशी में ही तालमेल नहीं था। सबसे पहली कड़ी की यह चूक भाजपा को हार का बड़ा दर्द दे गई। इन बैठकों में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, राष्ट्रीय महासचिवों अरुण सिंह, सह प्रभारी चुनाव नित्यानंद राय, अनिल जैन व सिद्धार्थन समेत अन्य नेता शामिल हुए। पहली बैठक में उम्मीदवारों, पार्षदों और स्थानीय नेताओं ने भी शिरकत की।

बैठक में शामिल एक नेता ने बताया कि शाहीन बाग से शुरू हुई राजनीति की आंच भी भाजपा पर भारी पड़ी है। इस पूरे घमासान में मुसलिम वोट एक हो गया था, लेकिन हिंदू वोट को भाजपा अपने पक्ष में नहीं कर पाई।

राष्ट्रपति ने केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 फरवरी।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री की सलाह पर छह विधायकों को मंत्री भी नियुक्त किया है। 16 फरवरी को केजरीवाल के साथ जो छह मंत्री भी शपथ लेंगे उसमे मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और राजेंद्र गौतम शामिल हैं। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) ने हाल के विधानसभा चुनाव में 70 में से 62 सीटें जीती हैं।

अधिसूचना में कहा गया है, 'राष्ट्रपति को अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त करते हुए खुशी हो रही है। उनकी नियुक्ति शपथ ग्रहण के दिन से प्रभावी होगी।' एक अन्य अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने अपने मंत्रिपरिषद के साथ केजरीवाल द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से दिए गए इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया है।

'समारोह में शामिल होने के लिए शिक्षकों पर डाला जा रहा दबाव'

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कैबिनेट के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के लिए आने वाले अतिथियों को लेकर वार-पलटवार शुरू हो गया है। इस मामले में दिल्ली सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में रविवार को शिक्षकों को भी रामलीला मैदान पहुंचने के लिए कहा गया है।

इस आदेश में शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारियों को कहा गया है कि वह शिक्षकों की उपस्थिति को निर्धारित करें। उधर, इस मामले में भाजपा के प्रवीण शंकर कपूर ने इस आदेश की निंदा की है। उन्होंने कहा कि अपने शपथ ग्रहण समारोह में भीड़ एकत्र करने के लिए 30,000 सरकारी शिक्षकों आदि पर दबाव डाला जा रहा है।

फिर वही कहानी पर बदले चरित्र

लव आजकल

रेटिंग- ★★½

निर्देशक- इम्तियाज अली

कलाकार- कार्तिक आर्यन, सारा अली खान, आरुषि शर्मा, रणदीप हुडा।

दूसरे लोगों की तरह फिल्मकार और निर्देशक भी आत्मसम्मोहन के शिकार होते हैं और अपने ही किए पर फिदा होते रहते हैं। बीता वक्त उनके ऊपर हावी रहता है। शायद इम्तियाज अली के साथ भी यही बात है। 2009 में उन्होंने सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण के साथ 'लव आजकल' बनाई थी जो सफल हुई थी। ग्यारह साल तक वे अपनी ही बनाई इस फिल्म से इतने मुग्ध रहे कि इसे फिर से बना डाली। उसी नाम से। यानी 'लव आजकल'। और कहानी भी वही है। बस स्थान और किरदार बदल गए हैं। इस बार नया यह भी है कि सैफ अली खान की बेटी हीरोइन बन के आ गई हैं। यानी सारा अली खान। और सैफ की जगह कार्तिक आर्यन आ गए हैं। हां, डायलाग भी बदल गए हैं। इसलिए कि 2009 के बाद जमाना बदल गया है। युवा लड़के और लड़किया खुल कर और उन शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं जिनको आम तौर पर गाली कहा जाता हैं। यौन व्यवहार में भी अधिक उन्मुक्तता आ गई है। वह सब भी इस फिल्म में है। पर कुलमिलाकर फिल्म में नया पन कम है।

पुराने 'लव आजकल' की तरह नए 'लव आजकल' में भी दो वक्तों की कहानी है। एक वक्त है रघु (कार्तिक आर्यन) और लीना (आरुषि शर्मा) का जो 1990 के करीब का है। और दूसरा वक्त है आज का यानी 2020 का जिसमें वीर (कार्तिक आर्यन) और जोए चौहान

(सारा अली खान) में हैं। उदयपुर में रहनेवाला 1990 का प्रेमी वीर इतना लल्लू और झेंपू है कि अपनी प्रेमिका के साथ छत पर पकड़े जाने पर लोगों से बचने के लिए भाग भी नहीं पाता। और लीना भी सकुचाई सी रहनेवाली लड़की है। मानो, जबर्दस्ती प्रेम की गली में धकेल दी गई है। तीस बरस के बाद की कहानी में वीर कुछ कुछ, पर पूरी तरह से नहीं, लल्लू जैसा ही है, पर लड़की यानी जोए एकदम बोल्ड है। ब्यूटीफुल भी। किससे और कब प्रेम किया जाए इसे लेकर उसके फंडे साफ है। वह बाईस साल की है और अभी करिअॅर पर ध्यान देना चाहती है और पांच साल के बाद किसी लड़के के साथ सेटल होना चाहती है। इसलिए जब तक करिअॅर सेटल न हो जाए बॉयफ्रेंड रखने में परहेज नहीं है। लेकिन लव ऐसी चीज है जो हो जाता है और इसी के कारण वो वीर से फ्लर्ट करते करते प्रेम भी करने लगती है। पर फिर करिअॅर का विचार आता है ओर वह उसे छोड़कर चली भी जाती है। क्या वह फिर उससे मिलेगी और दोनों एक दूजे के होंगे? फिल्म में रणदीप हुडा की एक अच्छी भूमिका है। लव गुरु राज के रूप में। असल में तीस साल पहले का वीर ही अब राज बन चुका है। वह एक कैफे चलाता है जहां युवा लोग मिलते हैं और वो उनको कब किससे प्रेम किया जाए इसके बारे में बिना मांगे सलाह दिया करता है। वो अपनी कहानी भी जोए को सुनाता है।

सारा ने वो भूमिका निभाई है जिससे जवान लड़के और लड़कियां अपने दौर को महसूस करेंगे, लेकिन कार्तिक आर्यन फीके लगे हैं। दोनों ही भूमिकाओं में। यानी दौर में वे झेंपू लगे हैं। इम्तियाज अली ने उनके कॉस्ट्यूम पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। इम्तियाज अली ने 1990 के 1960 समझ लिया है जिसके कारण उस वक्त का समय प्रामाणिक यहां नहीं दिखता है।

शहरी विकास मंत्रालय के एलएंडडी कार्यालय की कार्रवाई

पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के सेंटर फॉर अप्लाइड पॉलिटिक्स से कब्जा हटाया

निर्भय कुमार पांडेय
नई दिल्ली, 14 फरवरी।

- एलएंडडी कार्यालय ने 12 फरवरी को दिए थे सेंटर खाली करने के आदेश
- आइटीओ स्थित नरेंद्र निकेतन में चल रहा था पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर सेंटर

आइटीओ स्थित नरेंद्र निकेतन में चल रहे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के सेंटर फॉर अप्लाइड पॉलिटिक्स (सीएपी) में शुक्रवार को शहरी विकास मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) ने कब्जा ले लिया है। बताया जा रहा है कि 12 फरवरी को सेंटर से जुड़े पदाधिकारियों को पत्र लिखकर एलएंडडीओ की ओर से परिसर को खाली करने का आदेश दिया था। एलएंडडीओ की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि शुक्रवार सुबह 11 बजे अधिकारी मौके पर पहुंचकर कब्जा लेंगे। आदेश के अनुसार तय समय पर पहुंचे अधिकारियों ने कब्जा ले लिया। इस भवन में चंद्रशेखर के सेंटर फॉर अप्लाइड पॉलिक्टिस के अलावा नरेंद्र निकेतन केंद्र और समाजवादी जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय भी संचालित किया जा रहा था। साल 1978 में इस भवन की स्थापना की गई थी।

सेंटर फॉर अप्लाइड पॉलिक्टिस संस्था के महासचिव एचएन शर्मा का कहना है कि कुछ लोगों ने इस कार्यालय में अवैध रूप से कब्जा जमाया हुआ था और उनके साथ दिल्ली के कुछ बड़े बिल्डर भी मिले हुए थे। आखिरकार शुक्रवार को कब्जा को हटा लिया गया है। भविष्य में यदि केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय उनकी संस्था को भूमि आबंटित करता है तो वह सभी कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे और इस जमीन पर सेंटर फॉर अप्लाइड पॉलिटिक्स का कार्यालय खोलेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग फर्जी दस्तावेज के आधार पर इस भूमि पर कब्जा जमाना चाह रहे थे। साथ ही कुछ लोगों ने कब्जा जमा भी रखा था। इसकी शिकायत उन्होंने कई बार संबंधित विभाग से की थी। साथ ही कई लोगों ने फर्जी दस्तावेज जमाकर अदालत को भी गुमराह करने की कोशिश की थी। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने जिस समाजवादी जनता पार्टी की स्थापना की थी। उसके महासचिव श्याम जी त्रिपाठी का कहना है कि यहां पर लंबे समय से कार्यालय चल रहा था। साथ ही सेंटर फॉर अप्लाइड पॉलिटिक्स के कार्यालय के साथ ही यंग इंडिया पत्रिका का भी प्रकाशन यहीं से होता था।

असर | आगजनी से अभी तक नहीं उबरा एम्स

दो घंटे का रास्ता तय कर हरियाणा जा रहे खून के नमूने

प्रतिभा शुक्ल
नई दिल्ली, 14 फरवरी।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में पिछले साल हुई आगजनी का व्यापक असर पड़ा है। मरीजों की जांच के लिए खून के नमूने एम्स से हरियाणा के झज्जर स्थित नेशनल कैंसर सेंटर भेजा जा रहा है। दो घंटे का सफर कर 60 से 77 किलोमीटर दूर स्थित इस सेंटर पर नमूने भेजे जाने से इसके खराब होने का खतरा रहता है। हालांकि कई पालियों में खून के नमूने भेजने के बावजूद इनमें गड़बड़ी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जिससे मरीजों के इलाज पर भी फर्क पड़ सकता है। रोजाना करीब छह से सात सौ नमूने इसके सीएन सेंटर पर लिए जाते थे जो अब यहां से बाहर भेजा जा रहा है।

एम्स के हृदय वक्ष व तंत्रिका विज्ञान केंद्र (सीएन सेंटर) में पिछले दिनों लगी आग के कारण यहां खून के जांच वाली प्रयोगशाला जल कर खाक हो चुकी है। जिससे हृदय व न्यूरो विभाग के भर्ती व ओपीडी मरीजों के खून में लिपिड प्रोफाइल (कोलेस्ट्राल , एचडीएल, एलडीएल, ट्राईग्लिसराइड वगैरह) की जांच के लिए जा रहे नमूनों की यहां पर जांच नहीं हो पा रही है। पहले कुछ दिन मरीज जांच के लिए इधर-उधर भटकते रहे क्योंकि जांच प्रयोगशाला की जगह आवाजाही बंद थी। तो मरीजों ने तमाम जांच मजबूरन बाहर से कराए। बाद में वैकल्पिक इंतजाम के तहत जांच के लिए नमूने तो यहां निकाले जाने लगे। लेकिन प्रयोगशाला व मशीनें जल चुकी होने की वजह से जांच यहां संभव नहीं हो पा रही।

मुश्किल है नमूनों की सही जांच

सैद्धांतिक रूप से तो यह कोशिश हो रही है कि नमूने खराब होने से पहले जांच प्रक्रिया शुरू हो जाए लेकिन व्यवहारिक तौर पर यह संभव नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह है कि एक रास्ते से झज्झर की एम्स से दूरी करीब 63 से 68 किलोमीटर व एक अन्य रास्ते से करीब 77 किलोमीटर है। इसमें दो से तीन घंटे पहुंचने में लगते हैं। फिर नमूना वहां पहुंचने पर तुरंत मशीन पर लग जाए यह भी जरूरी नहीं। कई बार दूसरी या तीसरी बार में भेजा जाने वाला नमूना इतनी देर से पहुंचता है कि उस दिन उसे जांच के लिए मशीन पर नहीं लगा पाते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि जांच में लगे कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी ऑफ करने के लिए एम्स के मुख्य परिसर आना पड़ता है। इसलिए उनको अपनी पांच बजे खत्म होने वाली ड्यूटी के लिए झज्जर से करीब डेढ़ से दो घंटे पहले निकलना पड़ता है। इसलिए भी वे नमूने को मशीन पर नहीं लगाते क्योंकि फिर उसकी जांच पूरी होने तक रुकना पड़ेगा।

नतीजे गलत आने की आशंका

पैथलैब के जानकारों के मुताबिक, उस दिन नमूने की जांच न होने पर उसके खराब होने या नतीजे गलत आने की आशंका रहती है। इससे मरीज के इलाज पर भी फर्क आ सकता है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि मरीज की क्लीनिकल आब्जर्वेशन व जांच रिपोर्ट दोनों को मिलाकर ही इलाज की राय बनाई जाती है लेकिन कुछ मरीजों में बीमारी के लक्षण देखकर पहचान में नहीं आ पाते , उनमें पैथलैब के नमूने अहम होते हैं। यह हाल तब है जबकि इन जांच के लिए सीएन सेंटर में शुल्क जमा होता है। जबकि मुख्य इमारत में आने वाले मरीजों के लिए यह जांच मुफ्त में होती है।

www.readwhere.com

सज्जन कुमार की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 फरवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में उम्रकैद की सजा पाए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को अंतरिम जमानत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया और कहा कि वह गर्मियों की छुट्टियों में उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत के पीठ ने यह भी कहा कि वह सबरीमला संदर्भ मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद कुमार के स्वास्थ्य पर एम्स की चिकित्सा रिपोर्ट पर विचार करेगी। कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

इस मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया और सजा दी गई वह एक-दो नवंबर 1984 को दिल्ली छावनी के राज नगर पार्ट-1 इलाके में पांच सिखों की हत्या और राज नगर पार्ट-2 में एक गुरुद्वारे को जलाने से संबंधित है। गौरतलब है कि 31 अक्तूबर 1984 को दो सिख अंगरक्षकों द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे।

कुंभ कार्यों का मुख्यमंत्री रावत ने निरीक्षण किया

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून 14 फरवरी।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को हरिद्वार में 2021 में होने वाले कुंभ मेला के स्थायी निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बैरागी कैंप में चल रहे गंगा घाटों, नलकूपों, बस्तीराम की पाठशाला, धोबी घाट में बन रहे स्थायी पुल, श्मशान घाट, श्री यंत्र मंदिर कनखल में बन रहे स्थायी पुलों व गौरीशंकर द्वीप चंडी घाट में चल रहे कुंभ कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन गंगा घाटों का निरीक्षण करते समय उसमें लग रही निर्माण सामग्री के नमूने भी जांच के लिए भिजवाए।

उन्होंने कहा कि कुंभ कार्यों में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। लापरवाही बरतने के आरोप में सिंचाई विभाग के 3 इंजीनियर पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ क्षेत्र का समुचित विकास और विस्तार भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुंभ के कार्यों में गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं होगा। साधु संतों की भावना के अनुरूप कुंभ क्षेत्र में निर्माण कार्य कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने जल संस्थान द्वारा बनाए जा रहे नलकूपों की तारीफ की।

उन्होंने अपील की कि स्वयंसेवी संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं व उद्योगपति कुंभ क्षेत्र में घाटों के निर्माण व अन्य कार्यों के लिए बढ़-चढ़कर अपनी भागीदारी करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार का कुंभ ऐतिहासिक और भव्य दिव्य होगा।

महिला आइएएस के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला विधानसभा में उठा

जयपुर, 14 फरवरी (भाषा)।

भाजपा विधायक अनिता भदेल ने अजमेर में कार्यरत महिला आइएएस अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट का मुद्दा शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में उठाया और राज्य सरकार से इस मामले में आरोपी वकील के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भदेल ने शून्य काल के दौरान कहा कि पिछले दिनों एक वरिष्ठ वकील ने अजमेर में तैनात महिला आइएएस अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक व अभद्र टिप्पणी की।

विधायक के अनुसार इस पोस्ट के बाद महिला आइएएस अधिकारियों ने उक्त वकील के खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज करवाए। लेकिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। भदेल ने कहा, 'पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की जबकि इसी दौरान आरोपी अदालत से 'कार्रवाई नहीं करने का आदेश' ले आया। सरकार को अदालत के जरिए उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए।'

(This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated February 07, 2020 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the Stock Exchanges, namely BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE" and together with BSE, "Stock Exchanges") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI")

Brooks LABORATORIES LIMITED

BROOKS LABORATORIES LIMITED

Corporate Identification Number: L24232HP2002PLC000267

Our Company was originally incorporated as Brooks Laboratories Limited on January 23, 2002 under the Companies Act, 1956, vide Certification of Incorporation bearing registration number 24910 issued by the Registrar of Companies, Punjab, Himachal Pradesh and Chandigarh. We received Certificate of Commencement of Business dated February 19, 2002 issued by the Registrar of Companies Punjab, Himachal Pradesh and Chandigarh. There has been no change in the name of our Company since incorporation. For details of changes in registered office please refer 'History and Corporate Structure' on page 52

Registered Office: Village Kishanpura, Nalagarh Road, Baddi, Nalagarh – 174101, Himachal Pradesh, India | Tel: +91 1795 236939
Corporate Office: (Address where books of account and papers are maintained): 502, Kanakia Atrium-2, Andheri Kurla Road, Next to Hotel Courtyard Marriott, Andheri (East), Mumbai – 400093, Maharashtra, India | **Tel:** +91 22 6193 3100
Website: www.brookslabs.net | **E-mail:** cs@brookslabs.net | **Contact Person:** Jyoti Sancheti, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS: MR. ATUL RANCHAL AND MR. RAJESH MAHAJAN

ISSUE OF UP TO 76,66,390 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 20.00 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹10.00 PER RIGHTS EQUITY SHARE) FOR AN AMOUNT AGGREGATING UPTO ₹1,533.28 LAKHS ON RIGHTS BASIS IN THE RATIO OF 9 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 20 FULLY PAID UP EQUITY SHARES) HELD BY THE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, I.E. FEBRUARY 12, 2020. THE ISSUE PRICE IS 2 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE RIGHTS EQUITY SHARES.

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

ISSUE PROGRAMME	ISSUE OPENS ON: WEDNESDAY, FEBRUARY 19, 2020
	ISSUE CLOSES ON: WEDNESDAY, MARCH 04, 2020
	LAST DATE FOR RECEIVING REQUEST FOR SPLIT APPLICATION FORMS : TUESDAY, FEBRUARY 25, 2020

ASBA*	Simple, Safe, Smart way of Application- Make use of it!!!	*Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same.	For further details check section on ASBA below.

Please note that in accordance with provisions of applicable circulars issued by SEBI, all QIBs, Non-Institutional Investors and Retail Individual Investors complying with the eligibility conditions prescribed by SEBI, shall only invest in the Issue through ASBA process, unless otherwise permitted by regulatory authorities or under applicable law. Accordingly, all Eligible Equity Shareholders who (a) hold Equity Shares in dematerialized form, (b) have not renounced their Rights Entitlement in part or in full, and (c) are not Renouncees, shall use the ASBA process to make an application in the Issue. Eligible Equity Shareholders who have renounced their Rights Entitlement in part, Renouncees and Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form are not eligible ASBA Investors and must apply for Rights Equity Shares only through the non-ASBA process, irrespective of the application amounts/applicant category

ASBA Investors should note that the ASBA process involves application procedures that may be different from the procedure applicable to non-ASBA process. ASBA Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through the ASBA process. For details, see "Terms of the Issue - Procedure for Application" on page 177 of the LOF.

APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): The ASBA Investor is required to fill the Composite Application Form ("CAF") and submit the same to the SCSB. The SCSB will block the amount in the account as per the authority contained in the CAF and undertake other tasks as per the specified procedure. The balance amount remaining after the finalisation of the Basis of Allotment shall be unblocked by the SCSBs on the basis of the instructions issued in this regard by the Registrar and the Lead Manager to the respective SCSB. For details on the ASBA process, please refer to the details given in CAF and Abridged Letter of Offer ("ALOF") dated February 07, 2020 or to the Registrar and also please refer to the section "Terms of the Issue - Procedure for Application through the ASBA process" on page 177 of the LOF. The list of banks which have been notified by SEBI to act as SCSBs for the ASBA Process is provided on https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=34 or https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=35, as applicable. For details on Designated Branches of SCSBs collecting the CAFs, please refer the SEBI link.

IN ACCORDANCE WITH THE SEBI ICDR REGULATIONS, THE ALLOTMENT OF EQUITY SHARES WILL BE IN DEMATERIALIZED FORM ONLY. THE EQUITY SHARES ALLOTTED TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS APPLICANTS WHO DO NOT HAVE DEMAT ACCOUNTS OR WHO HAVE NOT SPECIFIED THEIR DEMAT DETAILS, WILL BE KEPT IN ABEYANCE TILL RECEIPT OF THE DETAILS OF THE DEMAT ACCOUNT OF SUCH APPLICANTS. SEE "RISK FACTORS – RISKS RELATING TO THE EQUITY SHARES AND THE ISSUE – INVESTORS WILL NOT HAVE THE OPTION OF GETTING THE ALLOTMENT OF EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM." ON PAGE 28 OF THE LETTER OF OFFER.

ELIGIBLE SHAREHOLDERS UNDER THE ASBA PROCESS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES UNDER THE ASBA PROCESS CAN BE ALLOTTED ONLY IN DEMATERIALIZED FORM AND TO THE SAME DEPOSITORY ACCOUNT IN WHICH THE EQUITY SHARES ARE HELD BY SUCH ASBA APPLICANT ON THE RECORD DATE.

DISPATCH OF THE ABRIDGED LETTER OF OFFER ("ALOF") AND COMPOSITE APPLICATION FORM ("CAF"): The dispatch of the ALOF along with the CAF for the Issue has been completed by Registrar to the Issue. i.e. Link Intime India Private Limited through Registered /Speed Post on Friday, February 14, 2020, to the Eligible Equity Shareholders of the Company, whose names appeared in the Register of Members/Beneficial Owners of the Company, on the Record date i.e. **FEBRUARY 12, 2020.**

The CAF duly completed, and in case of Non-ASBA application, the CAF together with the amount payable on application must be deposited with the collecting bank to the Issue indicated on the reverse of the CAF, and not with the Lead Manager or the Company, before the close of banking hours on or before the Issue Closing Date, i.e., March 4, 2020. Please note that those who are making the application otherwise than on original CAF shall not be entitled to renounce their rights and should not utilize the original CAF for any purpose including renunciation even if it is received subsequently. If the Eligible Equity Shareholder violates such requirements, he/she shall face the risk of rejection of both the applications. The Company shall refund such application amount to the Eligible Equity Shareholder without any interest thereon. Separate cheque or bank draft must accompany each CAF. Investors residing at places other than places where the bank collection centres have been opened by our Company for collecting applications, are requested to send their CAFs together with an account payee cheque/ demand draft for the full application amount, net of bank and postal charges drawn in favour of "**BROOKS LABORATORIES LIMITED-RIGHTS ISSUE-R**", in case of residents or Non-Residents applying on a non-repatriable basis crossed 'A/c Payee only' and payable at Mumbai directly to the Registrar by registered post so as to reach them on or before the Issue Closing Date. The envelope should be superscribed "Brooks Laboratories Limited – Rights Issue". Non-resident investors applying from places other than places where the bank collection centres have been opened by our Company for collecting applications, are requested to send their CAFs together with Demand Draft for the full application amount, net of bank and postal charges drawn in favour of "**BROOKS LABORATORIES LIMITED-RIGHTS ISSUE-NR**", in case of Non-residents applying on a repatriable basis crossed 'A/c Payee only' payable at Mumbai directly to the Registrar by registered post so as to reach them on or before the Issue Closing Date. The envelope should be superscribed "Brooks Laboratories Limited –Rights Issue". Such application sent to anyone other than Registrar to the Issue is liable to be rejected. If any portion of the CAF is detached or separated, such application is liable to be rejected.

Availability of duplicate CAF : In case the original CAF is not received, or is misplaced by the Investor, the Registrar to the Issue will issue a duplicate CAF on the request of the Investor who should furnish the registered folio number/DP and Client ID number and his/her full name and address to the Registrar to the Issue. Please note that the request for duplicate CAF should reach the Registrar to the Issue within eight days from the Issue Opening Date. Please note that those who are making the application in the duplicate form should not utilise the original CAF for any purpose including renunciation, even if it is received/found subsequently. If the Investor violates such requirements, he/she shall face the risk of rejection of both the applications. Our Company or the Registrar to the Issue or the Lead Manager, shall not be responsible for postal delays or loss of duplicate CAFs in transit, if any.

APPLICATION ON PLAIN PAPER :

In case of ASBA Process: An Equity Shareholder who has neither received the original CAF nor is in a position to obtain the duplicate CAF and who is applying under the ASBA Process may make an application to subscribe to the Issue on plain paper. The Equity Shareholder shall submit the plain paper application to the Designated Branch of SCSB for authorizing such SCSB to block an amount equivalent to the amount payable on the application in the said bank account maintained with the same SCSB. Applications on plain paper from any address outside India will not be accepted.

In Case of Non ASBA Process: An Equity Shareholder who has neither received the original CAF nor is in a position to obtain the duplicate CAF may make an application to subscribe to the Issue on plain paper, along with demand draft, net of bank and postal charges payable at Mumbai which should be drawn in favour of the "Brooks Laboratories Limited- Rights Issue – R" in case of the resident shareholders and non-resident shareholders applying on non-repatriable basis and in favour of the "Brooks Laboratories Limited – Rights Issue – NR" in case of the non-resident shareholders applying on repatriable basis and send the same by registered/speed post directly to the Registrar to the Issue so as to reach Registrar to the Issue on or before the Issue Closing Date.

1) Name of Issuer, being Brooks Laboratories Limited; 2) Name and address of the Equity Shareholder including joint holders; 3) Registered Folio Number/DP and Client ID no.; 4) Number of Equity Shares held as on Record Date; 5) Number of Rights Equity Shares entitled to; 6) Number of Rights Equity Shares applied for; 7) Number of additional Rights Equity Shares applied for, if any; 8) Total number of Rights Equity Shares applied for; 9) Total amount paid at the rate of ₹ 20 per Rights Equity Share; 10) In case of non-resident eligible equity shareholders making an application from an Indian address, details of NRE/FCNR/NRO A/c No, name and address of the bank and branch; 11) Details of ASBA Account such as account number, name, address and branch of relevant SCSB for applicants applying through ASBA. 12) Particulars of cheque/demand draft in case of Non ASBA Applications 13) Savings/Current Account Number and name and address of the bank where the Equity Shareholder will be depositing the refund order. In case of Equity Shares allotted in demat form, the bank account details will be obtained from the information available with the Depositories; 14) Except for applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and the officials appointed by the courts, PAN number of the Investor and for each Investor in case of joint names, irrespective of the total value of the Equity Shares applied for pursuant to the Issue. Documentary evidence for exemption to be provided by the applicants; 15) Share certificate numbers and distinctive numbers of Equity Shares, if held in physical form; 16) Allotment is only in demat form. Hence applicant to provide demat accounts details (including DP ID and Client ID); 17) Signature of the Equity Shareholders to appear in the same sequence and order as they appear in our records or the Depositories' records 18) In case of Non-Resident Equity Shareholders, NRE/FCNR/NRO A/c No. name and address of the bank and branch; 19) If payment is made by a draft purchased from an NRE/FCNR/NRO A/c No., as the case may be, an Account debit certificate from the bank issuing the draft, confirming that the draft has been issued by debiting NRE/FCNR/NRO A/c; and 20) The Applicant shall include the following statement "I/we hereby make the representations, warranties, acknowledgments and agreements set out in on page 170 (for Non ASBA Investors) and 180 (For ASBA Investors) of the Letter of Offer.

IF AN APPLICANT MAKES AN APPLICATION USING THE CAF AS WELL AS PLAIN PAPER, BOTH THE APPLICATIONS SHALL BE LIABLE TO BE REJECTED. OVERSEAS SHAREHOLDERS: The distribution of the LOF, ALOF and CAF and the issue of the Equity Shares on a rights basis to persons in certain jurisdictions outside India may be restricted by legal requirements prevailing in those jurisdictions. Persons into whose possession the LOF, the ALOF and the CAF may come are required to inform themselves about and observe such restrictions. Our Company is making this Issue on a rights basis to the Equity Shareholders of our Company and will dispatch the LOF, ALOF and CAF to Eligible Equity Shareholders who have provided an Indian address to our Company. Those overseas Shareholders who do not update the records with their Indian address, prior to the date on which we propose to dispatch the LOF/ALOF and the CAF, shall not be sent the LOF, ALOF and the CAF. **The LOF, ALOF and CAF shall be dispatched to non-resident Eligible Equity Shareholders at their Indian address only as provided to the Company.**

NO OFFER IN THE UNITED STATES

The Rights Entitlements and Equity Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the **"US Securities Act"**), or any U.S. state securities laws and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States of America or the territories or possessions thereof (the **"United States"** or **"U.S."**), except in a transaction exempt from the registration requirements of the US Securities Act. The Rights Entitlements and Equity Shares referred to in the LOF are being offered and sold outside the United States in offshore transaction in reliance with Regulation S of US Securities Act. The offering to which the LOF relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Equity Shares or rights for sale in the United States or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said securities. Accordingly, the LOF should not be forwarded to or transmitted in or into the United States at any time. For further details, please see chapter titles "Notice to Overseas Shareholders" on page 12 of the Letter of Offer.

Last date for Application : The last date for submission of the duly filled in CAF or plain paper application is March 4, 2020. Our Board of Directors may extend the said date for such period as it may determine from time to time, subject to the Issue Period not exceeding 30 days from the Issue Opening Date. If the CAF together with the amount payable is not received by the Banker to the Issue/Registrar to the Issue on or before the close of banking hours on the aforesaid last date or such date as may be extended by the Board or any committee thereof, the invitation to offer contained in the Letter of Offer shall be deemed to have been declined and the Board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Rights Equity Shares hereby offered. If the CAF together with the amount payable is either (i) not blocked with an SCSB; or (ii) not received by the Banker to the Issue or the Registrar on or before the close of banking hours on the Issue Closing Date or such date as may be extended by our Board or any Committee of Directors, the invitation to offer contained in the Letter of Offer shall be deemed to have been declined and our Board or any Committee of Directors shall be at liberty to dispose of the Equity Shares hereby offered, as provided under the section **"Terms of the Issue - Basis of Allotment"** on page 186 of the LOF.

ALLOTMENT ONLY IN DEMATERIALISED FORM: THE ALLOTMENT OF EQUITY SHARES WILL BE IN DEMATERIALIZED FORM ONLY. THE EQUITY SHARES ALLOTTED TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS APPLICANTS WHO DO NOT HAVE DEMAT ACCOUNTS OR WHO HAVE NOT SPECIFIED THEIR DEMAT DETAILS, WILL BE KEPT IN ABEYANCE TILL RECEIPT OF THE DETAILS OF THE DEMAT ACCOUNT OF SUCH APPLICANTS. SEE "RISK FACTORS – RISKS RELATING TO THE EQUITY SHARES AND THE ISSUE – INVESTORS WILL NOT HAVE THE OPTION OF GETTING THE ALLOTMENT OF EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM." ON PAGE 28 OF THE LETTER OF OFFER. INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM.

LISTING: The existing Equity Shares of our Company are listed on the BSE Limited ("BSE") and the National Stock Exchange of India Limited ("NSE", and together with BSE, the "Stock Exchanges"). Our Company has received "In-principle" approvals from BSE and NSE for listing the Rights Equity Shares through their letters dated October 14, 2019 and October 3, 2019 respectively. For the purposes of the Issue, the Designated Stock Exchange is BSE.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Submission of LOF to SEBI should not in any way be deemed or construed that SEBI has cleared or approved the LOF. The investors are advised to refer to the full text of the "Disclaimer Clause of SEBI" beginning on page 153 of the LOF.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" beginning on page 157 of the LOF.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer clause of NSE" on page 157 of the LOF.

BANKERS TO THE ISSUE: INDIAN BANK AND AXIS BANK LIMITED

REFUND BANKER: AXIS BANK LIMITED

PLEASE REFER TO THE REVERSE OF THE CAF FOR THE DETAILS OF THE BANKERS TO THE ISSUE AND ITS COLLECTION CENTRES. INVESTORS ARE ADVISED TO REFER TO THE LOF AND THE RISK FACTORS CONTAINED THEREIN BEFORE APPLYING IN THE ISSUE.

AVAILABILITY OF THE LOF: The LOF is available on the website of the Lead Manager viz. www.inventuremerchantbanker.com and website of BSE and NSE viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on SEBI's website: www.sebi.gov.in and a copy of the same can be downloaded from these websites.

ADDENDUM CUM CORRIGENDUM – NOTICE TO INVESTORS

This notice should be read in conjunction with the LOF filed by the Company with the Stock Exchanges and SEBI and the ALOF and CAF that have been sent to the Eligible Equity Shareholders of the Company. The Eligible Equity Shareholders are requested to please note the following:

Please note that in accordance with provisions of applicable circulars issued by SEBI, all QIBs, Non-Institutional Investors and Retail Individual Investors complying with the eligibility conditions prescribed by SEBI, shall only invest in the Issue through ASBA process, unless otherwise permitted by regulatory authorities or under applicable law. Accordingly, all Eligible Equity Shareholders who (a) hold Equity Shares in dematerialized form, (b) have not renounced their Rights Entitlement in part or in full, and (c) are not Renouncees, shall use the ASBA process to make an application in the Issue. Eligible Equity Shareholders who have renounced their Rights Entitlement in part, Renouncees and Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form are not eligible ASBA Investors and must apply for Rights Equity Shares only through the non-ASBA process, irrespective of the application amounts/applicant category. *Further, any reference to "All Retail Individual Investors complying with the eligibility conditions may optionally apply through the ASBA process or apply through the non-ASBA process.* Investors (i) who are not QIBs or Non-Institutional Investors, or (ii) whose application amount is not more than ₹ 200,000, can participate in the Issue either through the ASBA process or the non ASBA process." in the CAF shall stand deleted. The Letter of Offer stands amended to this effect including on page 159 and page 178 of the Letter of Offer. Further, LOF, ALOF and CAF shall stand amended to this effect notwithstanding anything contrary mentioned therein.

Accordingly, as of the date of this notice the LOF, CAF and ALOF stand amended to the extent stated hereinabove wherever such references appear in LOF, CAF and ALOF. This addendum cum corrigendum shall be available on the respective websites of SEBI at www.sebi.gov.in, the Stock Exchanges at www.bseindia.com, www.nseindia.com and the website of the Lead Manager at www.inventuremerchantbanker.com.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
INVENTURE MERCHANT BANKER SERVICES PVT LTD. **INVENTURE MERCHANT BANKER SERVICES PRIVATE LIMITED** 2nd Floor, Viraj Tower, Nr. Andheri Flyover (North End), Western Express Highway, Andheri (East) Mumbai – 400 069, Maharashtra, India. **Tel No:** +91 22 4075 1500 **Email:** compliance@inventuremerchantbanker.com Investor Grievance Email: redressal@inventuremerchantbanker.com **Website:** www.inventuremerchantbanker.com **SEBI Registration No:** INM000012003 **Contact Person:** Sabya Sachi Sarkar	LINK Intime **Link Intime India Private Limited** C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Maharashtra India. **Tel No:** + 91 22 4918 6200 **Email:** brooks.rights@linkintime.co.in **Investor Grievance Email:** brooks.rights@linkintime.co.in **Website:** www.linkintime.co.in **SEBI Registration Number:** INR000004058 **Contact Person:** Sumeet Deshpande	**Jyoti Sancheti** 502, Kanakia Atrium-2, Andheri Kurla Road, Next to Hotel Courtyard Marriott, Andheri (East), Mumbai - 400093, Maharashtra, India **Tel:** +91 22 6193 3100; **E-mail:** cs@brookslabs.net Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre- Issue/ post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA

For BROOKS LABORATORIES LIMITED
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Managing Director

Place: Mumbai
Date: February 14, 2020

BROOKS LABORATORIES LIMITED is proposing, subject to market conditions and other considerations, a rights issue of its Equity Shares and has in this regard filed a Letter of Offer dated February 7, 2020 with SEBI and the Stock Exchanges. The LOF is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, BSE Limited at www.bseindia.com and the website of the Lead Manager to the Issue, i.e., Inventure Merchant Banker Services Private Limited at www.inventuremerchantbanker.com. Investors should note that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" beginning on page 18 of the LOF.

The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or under any securities law of any state of the United State of America and may not be offered or sold the United States (as defined in Regulation S under the Securities Act ("Regulation S")) except pursuant to an exemption from, or a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and the applicable securties law of any state of the United States. The Rights Equity Shares are being offered and sold only outside the United States in reliance on Regulation S.

Raka

www.readwhere.com

जनसत्ता

महंगाई की मार

खुदरा और थोक मुद्रास्फीति के अब जो आंकड़े आए हैं, वे किसी बुरी खबर से कम नहीं है। जनवरी में भी महंगाई रिकार्डतोड़ स्तर पर बनी रही। रोजमर्रा के उपयोग वाली चीजों और खाने-पीने के सामान के दाम जिस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, उससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हाल में बिना सबसिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर के दाम डेढ़ सौ रुपए बढ़ा दिए गए। पिछले छह साल में एलपीजी के दाम में यह सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। करोड़ों परिवार हैं जो बिना सबसिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर उपयोग करते हैं। उनके लिए यह कोई मामूली बोझ नहीं है। इससे पहले कई महीने तक प्याज ने लोगों के आंसू निकाले थे। ऐसे में लोगों के पास कमरतोड़ महंगाई को झेलने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। लोग सस्ते और अच्छे दिन की उम्मीद में वक्त गुजारने को मजबूर हैं। हालांकि इस बात के संकेत आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई से थोड़ी राहत मिल सकती है, पर उतनी नहीं जितनी लोग उम्मीद कर रहे हैं। हाल में रिजर्व बैंक ने भी नीतिगत दरों में कटौती इसीलिए नहीं की थी कि कहीं महंगाई का ग्राफ और न चढ़ जाए। जाहिर है, रिजर्व बैंक को निकट भविष्य में महंगाई कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बढ़ती महंगाई बता रही है कि उस पर काबू पाने में सरकार लाचार ही है।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन (एनएसओ) के आंकड़े बता रहे हैं कि जनवरी में दालों, सब्जियों और मांस-मछली जैसे खाद्य पदार्थों के दाम चढ़ने से खुदरा महंगाई बढ़ी है। जनवरी में महंगाई दर 7.59 फीसद थी, जबकि पिछले साल दिसंबर में यह 7.35 फीसद दर्ज की गई थी, और दिसंबर 2018 में यह आंकड़ा मात्र 1.97 फीसद था। इससे यह साफ है कि बारह महीनों में 5.38 फीसद महंगाई बढ़ी है, जो साढ़े पांच साल साल में सबसे ज्यादा है। पर यह सिलसिला थम नहीं रहा और खुदरा महंगाई का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी थोक महंगाई के आंकड़े भी नींद उड़ाने वाले हैं। थोक मुद्रास्फीति जनवरी में 3.1 फीसद, जबकि दिसंबर में यह 2.59 फीसद रही थी और इसका सबसे कारण प्याज और आलू के दाम बढ़ना रहा। महंगाई चाहे थोक हो या खुदरा, पैसा तो उपभोक्ताओं की जेब से ही निकलता है। यही चिंता का विषय है।

मामला सिर्फ महंगाई तक ही सीमित नहीं है। एनएसओ ने औद्योगिक उत्पादन के जो आंकड़े बताए हैं, वे और चिंताजनक हैं। पिछले साल दिसंबर में औद्योगिक उत्पादन में 0.3 फीसद की गिरावट दर्ज की गई। जबकि संसद में बजट प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था में सुधार के दावे करते हुए कहा कि अब सब ठीक हो रहा है और औद्योगिक उत्पादन ने भी रफ्तार पकड़ी है। एनएसओ के आंकड़े सरकार के दावों की हकीकत को उजागर करने के लिए काफी हैं। सरकार बार-बार दावा कर रही है कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है और यह गिरावट थोड़े वक्त की है। सवाल यह है कि महंगाई पर सरकार काबू पाने के लिए उपाय क्या कर रही है? देश में इतनी ज्यादा महंगाई तब है जब पिछले सात महीनों से कच्चे तेल के दाम नहीं बढ़े हैं और पेट्रोल-डीजल के दाम एक तरह से स्थिर बने हुए हैं। लोग महंगाई से इसलिए भी त्रस्त हैं कि आबादी के बड़े तबके के पास जरूरी खर्च तक के पैसे नहीं हैं। पिछले एक साल में जिस तरह से लोगों की नौकरियां गई हैं, उसने संकट को और बढ़ा दिया है। ऐसे में लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो महंगाई से कैसे पार पाएंगे।

हिंसा का समाज

इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि जिस समाज को आगे का सफर तय करते हुए सभ्यता के रास्ते पर बढ़ कर ज्यादा से ज्यादा मानवीय होना चाहिए था, वहां उसमें ऐसी प्रवृत्तियों ने जड़ें जमाई हुई हैं, जिसने इंसान के भीतर से न्यूनतम संवेदना और समझ छीन ली है। अगर महज तीस हजार रुपए कर्ज के लेन-देन में देरी की वजह से किसी परिवार के पांच लोगों की हत्या कर दी जाती है तो यहीं ठहर कर सोचने की जरूरत है कि हमारा समाज कहां से चल कर कहां तक पहुंचा है और शासन से लेकर समुदाय किन स्तरों पर नाकाम है। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक व्यक्ति ने अपने ही एक संबंधी, उसकी पत्नी और उसके तीन बच्चों की हत्या कर दी। इस सामूहिक हत्याकांड की वजह यह थी कि हत्या के आरोपी ने अपने उस संबंधी से तीस हजार रुपए उधार लिए थे और उसे चुका नहीं पाया था। इसी क्रम में हुए झगड़े के बाद उसने एक-एक करके पांचों को मार डाला। यों पुलिस ने मामले जांच-पड़ताल के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल है कि कैसे एक व्यक्ति के भीतर पुलिस या कानून का खौफ नहीं रह गया और उसने बारी-बारी से पांच लोगों की हत्या कर डाली। वहीं यह भी सोचने की जरूरत है कि वे कौन-से हालात हैं जिसमें पैसे की वजह से हुए किसी सामान्य झगड़े के बाद एक व्यक्ति इस तरह की क्रूर और बेलगाम मनःस्थिति में पहुंच जाता है।

हालांकि इस तरह की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं, जिनमें मामूली बातों पर हुई कहा-सुनी या फिर बहुत कम रकम की लेन-देन के मसले पर हुई लड़ाई की वजह से किसी ने एक या इससे ज्यादा लोगों की हत्या कर दी। निश्चित रूप से इसे भी कानून-व्यवस्था की नाकामी के तौर पर ही देखा जाना चाहिए कि एक व्यक्ति अपनी हत्यारी मंशा को अंजाम देने में कामयाब हो जाता है। लेकिन यह कैसी सामाजिक परिस्थितियां हैं, जिनमें लोगों के भीतर धैर्य और संवेदना की जगह नहीं बची है। भजनपुरा की घटना का एक पहलू यह है कि इस हत्याकांड का पता तब चला जब पीड़ितों के घर के आसपास रहने वाले लोगों ने उस घर से बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी। उसके बाद पता चला कि ये हत्याएं तीन दिन पहले की गई थीं और बाहर से बंद घर में शव सड़ने लगे थे। सवाल है कि मृतक परिवार के घर के आसपास रहने वाले लोगों का ध्यान पहले इस ओर क्यों नहीं गया, जबकि वे वहां रोजाना ही किसी न किसी वजह से उन्हें देखते होंगे या बात करते होंगे! क्या पड़ोसी के रूप में लोग एक दूसरे से इस कदर कटते जा रहे हैं कि हमेशा चहल-पहल वाले घरों के कई दिनों तक बंद रहने और उसमें रहने वाले बच्चों या बड़े लोगों के दिखाई नहीं देने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता?

इसके अलावा, ऐसी प्रवृत्तियां किस समाज में हावी हो सकती हैं जो व्यक्ति को मामूली समस्याओं का हल हिंसा में ढूंढ़ने के लिए प्रेरित करें! इसमें कोई शक नहीं कि समाज की सामूहिक चेतना ऐसी नहीं होती है कि वह किसी व्यक्ति की हिंसा को औपचारिक रूप से स्वीकार करे, लेकिन यह सोचने की जरूरत है कि कोई व्यक्ति किन हालात में अपराध के रास्ते अपने सवालों का हल खोजने की कोशिश करता है। जाहिर है, इस तरह के मामले जितने कानून-व्यवस्था की प्रत्यक्ष-परोक्ष नाकामी से जुड़े हैं, उतने ही ये सामाजिक विकास नीतियों के न होने या फिर उसकी विफलता को भी दर्शाते हैं।

कल्पमेधा

नसीहत बर्फ की तरह है. जितना धीरे-धीरे गिरती है, उतनी ही ज्यादा स्थायी होती है और गहराई से मन में प्रवेश करती है।

- कॉलरिज

अपने-अपने गांधी

जगमोहन सिंह राजपूत

हाथ से कार्य कर कौशल सीखने की सार्वभौमिक आवश्यकता गांधी की शिक्षा संकल्पना का मूल आधार थी। कितनी देर लगी इसे पहचानने में! पांच वर्ष पहले देश में पहली बार कौशल विकास मंत्रालय बना। यदि कृषि के महत्त्व को स्वीकार किया गया होता, कौशल विकास को अपनाया गया होता, ग्राम समाज की मूलभूत आवश्यकताओं को पहचाना गया होता, तो आज देश में बेरोजगारी बढ़ नहीं रही होती, गांव खाली नहीं हो रहे होते और शहरों में झुग्गियां लगातार बढ़ नहीं रही होतीं।

उत्तर प्रदेश के अपने गांव में लगभग पांच वर्ष की आयु में मैंने जो अप्रत्याशित गतिविधियां देखी थीं, उनका कुछ स्मरण आज भी है। सभी दुखी और परेशान दिखाई देते थे। दूर से उनकी बातों में मुझे तब दो-तीन शब्द बार-बार सुनाई दे ही जाते थेः गांधी, महात्मा, गोली, हत्या! यह सब तो बाद में समझ में आया कि गांधी जी की हत्या ने हर घर और व्यक्ति को दहला दिया था। देश का बंटवारा हिंदू-मुसलमान के ही कारण हुआ था, दोनों संप्रदायों नें अप्रत्याशित दुख झेले थे, मगर गांधी के अवसान का दुख सारा देश साथ-साथ ही झेल रहा था। ग्यारह वर्ष की आयु में स्कूल में एक नाटक में मुझे गांधी की पोषक पहनाकर चार-पांच पंक्तियों का भाषण याद कराया गया। मुझे सिखाया गया था कि 'स' के स्थान पर 'श' ही बोलना है! अपेक्षित ही था कि मेरे सहपाठी इसके बाद मुझे बार-बार गांधी जी की याद दिलाते रहे। मेरे जैसों का समवयस्क ऐसा कौन भारतवासी होगा जो गांधी को कभी भुला पाया हो!

आज से पांच-छह दशक पहले मैं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ़ता था कि गांधी की वाणी, खादी और चरखा गांव-गांव तक उस समय कैसे पहुंचे, जब संचार, साक्षरता, प्रसारण, टीवी सभी सीमित थे। उस व्यक्तिगत खोज का निष्कर्ष यही था कि इसमें सबसे बड़ी भागीदारी स्कूलों के अध्यापकों की थी। वर्ष 2003-04 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने ऐसे बाईस अध्यापकों से व्यक्तिगत साक्षात्कार के बाद एक पुस्तक तैयार की- कैसे गांधी ने उनके जीवन को बदल दिया! उन्हें भी बदला जो कभी उनसे मिले नहीं थे, देखा नहीं था। गांधी हर घर परिवार में प्रविष्ट हो गए थे और 'अपने' बन गए थे। स्वतंत्रता के बाद भी उनके कितने अनुयायी त्याग और तपस्या के अद्भुत उदाहरण बने। उन्होंने सत्ता में रह कर जनसेवा के नए मापदंड स्थापित किए। लोगों नें डा. राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों को देखा था, जो बारह वर्ष राष्ट्रपति पद पर रहने के बाद पटना में कांग्रेस कार्यालय में एक सीलन भरे कमरे में रहे, जिनके बैंक खाते में कुछ सौ रुपए ही थे। देश का दुर्भाग्य था कि ऐसे लोग अपवाद बन गए।

समय के साथ गांधी के सहयोगियों की पीढ़ी भी ओझल होती गई। सामने वे आए जो अपने को उनका अनुयायी घोषित करते रहे, लोगों ने उन पर विश्वास किया, उन्हें सर आंखों पर लिया, बड़ी-बड़ी अपेक्षाएं कीं। अधिकांश ने बापू की ओर से मुंह मोड़ लिया। सत्ता के अपने प्रभाव होते हैं, लोगों ने देखा कि गांधी की मूर्तियां बन रही हैं, जन्मदिन मनाया जाता है, चित्र लगाए जाते हैं, मगर बहुत कुछ खोता भी जा रहा था। असमानता लगातार बढ़ती ही रही है। दस फीसद अमीर भारतीयों का देश की सतहत्तर फीसद से ज्यादा संपत्ति पर अधिकार है। साठ फीसद गरीब के पास केवल साढ़े चार फीसद संपत्ति है। यह स्थिति भी बहुतों को गांधी की याद दिलाती है। देश के युवाओं से जब मेरे जैसे लोग गांधी के मूल्यों और आदशी पर चर्चा करते हैं, तब वे अनेक ऐसे तर्क आंकड़ों सहित प्रस्तुत करते हैं, जो अकाट्य होते हैं। वे पूछते हैं- किसने गांधी को याद रखा है? कहां हैं वे लोग जो कह सकें कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है!

आज के युवाओं को बढ़ती असमानता, संवेदनहीनता और अधिकाधिक भौतिक संग्रहण का प्रवाह रुकने की कोई संभावनाएं दृष्टिगोचर नहीं हो रही हैं। उनकी सोच का आधार कमजोर नहीं होता है। गांधी जी ने जब यह कहा था कि प्रकृति में सभी की आवश्यकता पूर्ति के संसाधन हैं मगर किसी के भी लालच की पूर्ति के लिए नहीं हैं, तब वे प्राचीन भारत की संस्कृति की उन अवधारणाओं को ही दोहरा रहे थे, जो मनुष्य और प्रकृति के संबंधों की संवेदनशील और पारस्परिकता को बनाए रखने का उत्तरदायित्व मनुष्य के ऊपर डालती हैं। गूढ़तम ज्ञान को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचा देने की परंपरा इस देश ने हजारों साल पहले ही विकसित कर ली थी। गोष्ठी, परिषद्, शास्त्रार्थ से चल कर ज्ञान प्रवाह परिव्राजक साधु-संत, कथावाचक द्वारा हर घर-हर गांव तक पहुंचता था। इसका एक उदाहरण गांधी ने अपने उस पत्र में दिया था, जो उन्होंने यूनेस्को के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल को 1947 में लिखा था। उसका सार यह था कि 'यदि प्रत्येक व्यक्ति अपन कर्तव्य करे, तो किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा।' इतना सशक्त वाक्य कहीं अन्य नहीं मिलेगा। इस पत्र में गांधी ने यह बताया था कि उन्हें यह सीख 'मेरी अनपढ़ किंतु समझदार मां' ने दी थी।

गांधी जब गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और भारत में कार्य करने की इच्छा व्यक्त की, तो गोखले ने उन्हें कहा कि अभी वे इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। उन्हें भारत भ्रमण करना होगा, उसकी विविधता और एकता को समझ कर आत्मसात करना होगा। मोहनदास करमचंद गांधी ने इसे अक्षरशः स्वीकार किया। भारत की जो समझ गांधी ने इसके बाद प्राप्त की, वह अद्भुत थी। उन्होंने शिक्षा की सार्वभौमिक महत्ता को समझा। भारत के लिए उसका एक प्रारूप तैयार किया, उसकी उपयोगिता को लागू कर के दिखाया। ऐसा कोई विकल्प आज तक मेरे सम्मुख नहीं आया है, जिसमें अवसरों की समानता और सफलता की समानता की इतनी अधिक संभावना उभरी हो। गांधी के शैक्षिक चिंतन में भी पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति ही केंद्र बिंदु था। शिक्षा में ही उन्हें उसके जीवन को सम्माननीय स्तर तक लाने की संभावनाएं दिखाई दी थीं। हाथ से कार्य कर कौशल सीखने की सार्वभौमिक आवश्यकता गांधी की शिक्षा संकल्पना का मूल आधार थी। कितनी देर लगी इसे पहचानने में! पांच वर्ष पहले देश में पहली बार कौशल विकास मंत्रालय बना। यदि कृषि के महत्त्व को स्वीकार किया गया होता, कौशल विकास को अपनाया गया होता, ग्राम समाज की मूलभूत आवश्यकताओं को पहचाना गया होता, तो आज देश में बेरोजगारी बढ़ नहीं रही होती, गांव खाली नहीं हो रहे होते और शहरों में झुग्गियां लगातार बढ़ नहीं रही होतीं।

गांधी को समझने के प्रयास में बहुत कुछ नया तो हर बार मिलता ही है, एक तत्व बार-बार उभरता है कि किसी भी देश की विकास और प्रगति की अवधारणा उस देश की संस्कृति और ज्ञानार्जन की परंपरा को आधार मान कर ही विकसित की जा सकती है। गांधी इसके महत्त्व को स्थानीयता, क्षेत्रीयता और राष्ट्रीयता के स्तर पर क्रमिक रूप से उभारने के पक्ष में थे। किसी भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में शिक्षा को इतना अधिक महत्त्व नहीं दिया गया था, जितना गांधी के कारण भारत में दिया गया था। शिक्षा व्यक्ति को व्यक्तित्व में परिवर्तित कर देती है, सही शिक्षा व्यक्ति के सामने वृहत आकाश खोल देती है, जिसमें वह अपनी सृजनात्मकता का सदुपयोग करे, ज्ञानार्जन करे, और विवेक के साथ उसका उपयोग करे।

आज के भारत को गांधी को एक संवेदनशील महामानव के रूप में समझाना होगा, जिसने मनुष्य और मानवता के लिए अपना जीवन लगाया, जिसने माना कि विभिन्न धर्म एक वास्तविकता हैं और उनमें बराबरी के आधार पर सामंजस्य आवश्यक है, क्योंकि 'एक धर्म को छोड़ कर दूसरे धर्म को अंगीकार करने और प्रतिस्पर्धी का खंडन करने से ही परस्पर घृणा की भावना ही पैदा होती है।' आज की सबसे बड़ी आवश्यकता सामजिक एकता और पंथिक सद्भाव की है। उनके ही शब्दों में-'सांप्रदायिक समस्या के समाधान की कुंजी यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म की सर्वोत्कृष्ट बातों को माने और अन्य धर्मों तथा उनके मानने वालों को उतना ही सम्मान दे।' गांधी हर भारतवासी को अपने जीवन का एक अंश दे गए हैं। यह हमारे हृदय में बसता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कितना प्रस्फुटित कर पाते हैं!

भरोसे का प्रेम

सुरेश कुमार मिश्रा 'उरतृप्त'

दुनिया मेरे आगे

हालांकि प्रेम किसी खास दिन में सिमटा हुआ नहीं है, लेकिन समाज अपनी सुविधा के मुताबिक पैमाने गढ़ लेता है। इस लिहाज से देखें तो अपने आधुनिक स्वरूप में प्रेम-दिवस का प्रतीक बन चुका वेलेंटाइन दिवस गुजर गया, लेकिन प्रेम हर वक्त अपने मूल स्वरूप में बना रहेगा। इश्क, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, आप चाहे इसे जिस नाम से पुकारें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शब्दों के पर्याय हो सकते हैं, लेकिन पीड़ा के नहीं। यह तो दो हृदय के बीच का वह अहसास है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। गणित में एक और एक दो होते हैं, लेकिन प्रेम में एक और एक ग्यारह हो सकते हैं या दो हो सकते हैं या फिर शून्य हो सकता है। इसका गणित आज तक किसी के पल्ले नहीं पड़ा। जिसके पल्ले पड़ा या तो वे शाहजहां-मुमताज बन गए या फिर लैला-मजनूं। प्रेम में मिठास है तो कड़वाहट भी है। नजदीकी है तो दूरी भी है। चैन है तो बेचैनी भी है। हंसी है तो रोना भी है।

प्रेम में गजब शक्ति है। चुंबकीय नियम के अनुसार दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव इसके विपरीत विकर्षित करते हैं। इस नियम के अनुसार प्रेम में विजातीय लिंग का आकर्षण सहज है, लेकिन समलिंगीय प्रेम भी लिंग की प्रधानता से उठ कर दो हृदयों के मेल को महत्त्व देता है। प्रेम का रसायन शास्त्र आयु, लिंग, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, सभ्यता, रीति-रिवाज, परंपरा किसी भी बाधा की परवाह नहीं करता।

किसी दूसरे के प्रेम को देख कर कभी-कभार हम उसे बचकाना हरकत कह देते हैं। लेकिन वही प्रेम जब हमें होता है तो एक वटवृक्ष की तरह हृदय में उगने लगता है। उसकी जड़ें हमारे शरीर में धंसते-धंसते हमें पूरी तरह से अपने बस में कर लेता है। तब हमें दिन-रात का अंतर पता नहीं चलता। भूख-प्यास, नींद-चैन सब गंवा देते हैं। जिसके लिए प्रेम मधुर बना, उसके लिए यह जीवन क्षणिक लगता है और जिसके लिए यह कठोर है उसे एक पल भी युग-सा प्रतीत होता है।

सवाल है कि क्या प्रेम को परिभाषित किया जा सकता है? क्या इसका कोई रूप, स्वभाव या आभास होता है? प्रेम हमेशा पाने का नाम नहीं होता। कभी-कभी जो सुख खोकर मिलता है, वह पाकर नहीं। रूमी ने प्रेम को एक खामोश फसाना, एक निशब्द अहसास बताया है। प्रेम बस एक अगाध स्नेह का नाम है, जिसके भी जीवन में प्रवेश करता है, उसे सुवासित कर देता है। प्रेम चाहे क्षणिक हो या शाश्वत, सच्चा ही रहता है। प्रेम सच्चा नहीं तो केवल दिखावा बन कर रह जाता है। मात्र लेन-देन का व्यापार बन जाता है, जिसमें सुविधाओं और साधनों का आदान-प्रदान होता है। वास्तव में प्रेम एक शाश्वत भाव है। जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। प्रकृति के कण-कण में प्रेम समाया है। प्रेम की ऊर्जा से ही प्रकृति निरंतर पल्लवित, पुष्पित और फलती-फूलती है। युगों से चली आ रही प्रेम कहानियां आज भी बदस्तूर जारी हैं। प्रेम की अनुभूति अपने आप में अनोखी, अद्भुत और चमत्कारी हैं। किसी से प्रेम करना संसार की सबसे सुखद अनुभूति है।

वास्तव में यह क्यों होता है? कैसे होता है? कब होता है? किससे होता है? इन प्रश्नों के सटीक उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया है। कभी दुनिया प्रेम करने वालों को सिर-आंखों पर बैठा लेती है तो कभी प्रेम में तलवारें खिंच जाती हैं, गोलियां चल जाती हैं और खून की नदियां बह जाती हैं। यों तो प्रेम के सबके अपने-अपने मायने हैं। प्रेम को लेकर सबकी अपनी सोच है। माना जाता है कि प्रेम का संबंध आत्मा से होता है। प्रेम में समर्पण, विश्वास और वचनबद्धता की दरकार होती है। लेकिन आज समय बदल रहा है। भूमंडलीकरण ने दुनिया को मुट्ठी में भर दिया है। इस बदलते युग में प्रेम भी बदल रहा है, युवक-युवतियों का साथ में घूमना, प्रेम का प्रदर्शन सरेआम करना अब 'फैशन' कहलाने लगा है। प्रेम में पहले बरसों इंतजार में गुजार दिए जाते थे, लेकिन अब कोई इंतजार में वक्त 'जाया' नहीं करता। अब प्रेम के स्वरूप, स्थायित्व और उसे अभिव्यक्त करने के माध्यमों में बदलाव आ रहा है। मोबाइल और इंटरनेट के जरिए गली-मोहल्ले और परिचितों में सिमटे प्रेम के अवसर आज के युवाओं के लिए विश्वव्यापी हो गए हैं।

आज युवाओं की सोच बदल गई है, सामाजिक मूल्यों में बदलाव आ रहा है। अब प्रेम में भी युवा बहुत 'व्यावहारिक' हो चला है। मौसमों के बदलने की तरह उसका टूटना और फिर मिलना होता है। वह मानता है कि बिना 'गर्ल फ्रेंड' के कॉलेज जीवन में मजा नहीं है, लेकिन शादी के लिए वह घर वालों से बैर लेने के 'मूड' में नहीं होता और उनकी मर्जी को प्राथमिकता देता है। भोगवादी संस्कृति में पल रहा युवा भावों की गहराई को समझ ही नहीं पाता। प्रेम के लिए इस तरह की सोच कितनी सही और कितनी गलत है, इसका फैसला भी खुद युवाओं को ही करना होगा।

अपराध की सत्ता

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत ही सराहनीय और महत्त्वपूर्ण है, जिसमें राजनीतिक पार्टियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन के कारणों को अपलोड करें। देश की सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्देश है कि राजनीतिक पार्टियों को अड़तालीस घंटे के भीतर यह कार्य पूरा कर लेना है। साथ ही बहत्तर घंटे के भीतर इसका विवरण चुनाव आयोग को भी दिया जाए। फैसले से इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि माननीय न्यायालय देश मे बढ़ते अपराधीकरण के प्रति कितना चिंतित दिखाई दे रहा है। राजनीति से आपराधीकरण को रोकने के प्रयास पहले भी किए जाते रहे है, लेकिन 'ज्यों-ज्यों दवा की, रोग बढ़ता ही गया' वाली कहावत चरितार्थ होती रही है।

देश की अधिकतर राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवार के चुनाव में जीतने के लक्ष्य को लेकर टिकट वितरित करती है, बेशक टिकटार्थी कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो! उम्मीदवार पर कितने भी संगीन आरोप लगे हों , पार्टियों को इस बात से कोई भी लेना-देना नहीं रहता। ऊपर से तर्क यह दिया जाता है कि वह जनता द्वारा चुना गया जनता का जनप्रतिनिधि है, इसलिए वह दोषी या अपराधी नहीं है।

पिछले चार वर्षों के लोकसभा चुनावों की चर्चा की जाए तो जहां वर्ष 2014 में 21 फीसद दागी सांसद निर्वाचित हुए थे तो वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में 29 फीसद दागी सांसद निर्वाचित हुए। देश कहां जा रहा है? देश की अधिकतर राजनीतिक पार्टियों का लक्ष्य केवल सत्ता प्राप्त कर सत्ता सुख भोगना रह गया है। जनता के हितों से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। यह तो भविष्य में ही पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला कितना लागू हो पाएगा।

● *सुरेश गोयल, हिसार, हरियाणा*

जाति का दंश

भारतीय लोकतंत्र और इसके संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया है, लेकिन आजादी के बाद लंबे अंतराल के बाद भी जातिगत भेदभाव बड़ी बीमारी बनी हुई है। जातिगत भेदभाव को भेदभाव करने वाले ही खत्म कर सकते हैं। वह तभी संभव है, जब वे मानसिकता बदल लें। सवाल उठता है कि जो भेदभाव जातियों की वजह से कायम है, वह बिना जाति खत्म हुए कैसे खत्म होगा? उच्च कही जाने वाली जाति के लोगों को समझना होगा और उन्हें मानवता के चश्मे को पहन कर ही जीना होगा। यह जाति आधारित भेदभाव पीढ़ियों से जहर घोल रहा है। दलितों को घोड़ी चढ़ने से रोकना,उन्हें नीचे बिठाना, श्मशान में भी भेदभाव जैसी घटना भारत की छवि पर बट्टा लगा रही हैं। मानव समाज पहले से ही कई धर्मों में बंटा हुआ है, ऊपर से जातियों में बांटना बेहद त्रासद है। देश में अमीरी और गरीबी की खाई बहुत बड़ी है फिर जातियों की खाई ने भारतीय लोकतंत्र को कमजोर किया है। ऐसे ही चलता रहा तो तो देश महापुरुषों के सपने का भारत नहीं बन पाएगा।

● *रनजीत मीणा, अवंतिका रोहिणी, दिल्ली*

प्रेम का गणित

यह दुनिया बड़ी अजीब है। जो प्रेम के लिए मरते हैं, वे अमर हो जाते हैं और जो प्रेम के लिए जीना चाहते हैं, उन्हें मार दिया जाता है। जिन वेलेंटाइन के नाम पर पूरी युवा पीढ़ी प्रेम का जश्न मनाती है, वे इटली के एक ईसाई पादरी थे, जिन्हें अपने चर्च में प्रेमी युगलों की शादी करवाने के जुर्म में सम्राट ने मरवा दिया फरवरी के चौदहवें दिन। धीरे-धीरे वह दिन प्रेम का दिन बन कर दुनिया में छा गया। सुंदर बात है। लेकिन गुलाब के फूलों और छोटे-छोटे तोहफों में फंसा हुआ वेलेंटाइन वाला 'लव' प्रेम का आभास भर है। हिंसा और राजनीति से झुलसी हुई मनुष्यता को असली प्रेम की बहुत जरूरत है।

प्रेम जब यह आता है, हम इतने प्रेम से भर जाते हैं कि सोच भी नहीं सकते कि यह प्रेम कभी विदा भी हो सकता है। प्रेम का गहरा अनुभव करना हो तो प्रेम को संबंध न बनाएं। कोई आए या जाए, प्रेम की धारा आपके भीतर बहती रहे। पुरुष और स्त्री एक ही अस्तित्व के दो पहलू हैं। इसलिए लड़ाई झगड़े में समय नष्ट न करके एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करें।

प्रेम का गणित बहुत अलग होता है। यहां दो और दो हमेशा चार नहीं होते, वे एक भी हो सकते हैं या कभी शून्य भी। प्रेम की खासियत यह है कि वह बड़ी जल्दी नफरत में बदल जाता है। प्रेम को सफल बनाने के लिए नफरत से दूरी बनाना बेहद जरूरी है। आजकल के आशिक जिस प्रेम के दौर में जी रहे हैं, वे प्रेम की परिभाषा को सत्यार्थ नहीं करता है। ऐसे में प्रेमियों को प्रेम समझने की जरूरत है।

● *अभिनंदन भाई पटेल, लखनऊ*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

बदहाली का अर्थ

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अर्थव्यवस्था की दुर्दशा के पीछे केंद्र सरकार की तीन बड़ी गलतियों को जिम्मेदार माना है, जो सही भी प्रतीत होता है। इसमें नोटबंदी के रूप में ऐतिहासिक गलती और अनियोजित ढंग से जीएसटी का लागू करना और बैंकिंग क्षेत्र पर दबाव का बढ़ना, ये मोटे कारण रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को गहरा आघात पहुंचा है। इसलिए केंद्र सरकार को अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए अब नए सिरे से प्रयास करने चाहिए। लोगों के पास रोजगार और आय का जरिया नहीं होगा, उनकी क्रयशक्ति निम्न रहेगी, तब तक अर्थव्यवस्था में सुधार की ठोस उम्मीद कम ही होगी।

● *अली खान, जैसलमेर, राजस्थान*

परहित धर्म

'संवाद का सन्नाटा' (दुनिया मेरे आगे, 11 फरवरी), कमल कुमार का आलेख काफी विचारोत्तेजक लगा। सच्ची खुशी और आनंद सुख-सुविधा के साधन जुटाने में नहीं, बल्कि दूसरों का हित करने में है। 'जो सब प्राणियों के हित में रत होते हैं, वे मुझे प्राप्त होते हैं'- भगवान कृष्ण का गीता में दिया गया यह संदेश आज के भौतिकवादी युग में अवसाद ग्रस्त लोगों के लिए प्रेरणादाई साबित हो सकता है। हम जितने सुख-सुविधा के साधन जुटाते गए, उतने ही अवसाद ग्रस्त होते गए। जब हम समस्त प्राणियों के हित में रत होते हैं, तो आनंद को भी प्राप्त कर सकते हैं।

● *नवीन थिरानी, नोहर*

बेमानी मुद्दे

आजकल राजनीति का 'मुफ्त काल' शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक दल मुफ्त का फामूर्ला चुनाव के लिए अपनाते हैं। धर्म और मुफ्त की योजनाएं चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए।

● *निशा, बदरपुर बॉर्डर, नई दिल्ली*

www.readwhere.com

पचड़ा फिजूल का

राजस्थान में भाजपा सत्ता से बेदखली की पीड़ा झेल रही है तो सत्तारूढ़ कांग्रेस में भी अंदरूनी असंतोष कम नहीं। हर कोई मलाईदार ओहदे की चाहत पाले है। सवा साल तो अशोक गहलोत ने आश्वासनों के नाम पर बिता दिया। पर आगे भी तो उम्मीद नहीं दिखती। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। कई वरिष्ठ विधायक मंत्री पद नहीं मिलने से मुंह फुलाए हैं। जबकि सरकार का समर्थन कर रहे एक दर्जन निर्दलीय विधायकों की इनाम की चाह गैरवाजिब नहीं। बसपा के कांग्रेस में शामिल हुए छह विधायकों के सब्र का बांध भी टूटने लगा है। उन्हें मंत्री या मंत्री जैसी हैसियत देने के वादे के साथ लाया गया था। हां, एक बात जरूर दिखने लगी है। पूर्व में मंत्री रह चुके कांग्रेस के कद्दावर विधायक अब आस छोड़ने लगे हैं। मान रहे हैं कि शायद यह पारी बिन बंगले-गाड़ी के ही निपटेगी। सत्ता के इस बार दो केंद्र हैं वैसे भी पार्टी में। एक मुख्यमंत्री का तो दूसरा उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का। पार्टी की सूबेदारी भी अभी तक पायलट के पास ही है। दोनों गुटों ने मलाईदार कुर्सियों पर संभावित नियुक्तियों की अपनी अलग-अलग सूची कब से बना रखी है। एक सूची प्रभारी महासचिव अविनाश पांडेय की बताई जा रही है। सचिन पायलट से पांडेय की ज्यादा नहीं पटती। गहलोत की परिक्रमा कर रहे दावेदारों पर पायलट समर्थक तंज कस रहे हैं कि पायलट की मर्जी के बिना किसी को कोई पद मिलने से रहा। हकीकत उलट है कि आलाकमान अभी इस पचड़े में पड़ना ही नहीं चाह रहा।

बेबाक बोल

आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने लोगों से अपील की थी कि राष्ट्र निर्माण के नाम पर मिस्ड कॉल देकर आम आदमी पार्टी से जुड़ें। उन्होंने आंकड़ा भी दिया कि नंबर जारी होने के चौबीस घंटे के अंदर ग्यारह लाख लोग पार्टी से जुड़ गए। जीत के पहले और बाद भी केजरीवाल शाहीन बाग से दूर रहे। चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ मगर शाहीन बाग पर मुंह नहीं खोलने वाली आम आदमी पार्टी की तरफ। नागरिकता कानून और मुसलमानों पर खुल कर पक्ष रखने वाली कांग्रेस का लोप हो गया। राष्ट्रवाद और धर्म से इतर दिल्ली की जनता ने संदेश दिया है कि वह जनहितकारी योजनाओं को खोना नहीं चाहती है। यूपीए-दो की तरह ही राजग-दो ने निजी-निजी कर जनता के पांव के नीचे से सरकारी सुरक्षा की कालीन खींचनी शुरू कर दी। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की रियायती योजनाओं का मजाक उड़ाना महंगा पड़ा। दिल्ली में जनता के संदेश पर बेबाक बोल।

क्या समझे आप

मुकेश भारद्वाज

'दिल के दुकनदार हैं दूसरे भी
हम थोड़ा अच्छे हैं वो हैं फरेबी...
आज बाजार ही बिक गया रे...
दिल मेरा मुफ्त का...'

हिंदी फिल्म 'एजेंट विनोद' के इस मुजरे की पंक्तियों को चुनावी संदेशों से जोड़ कर देखें तो 2014 के आम चुनावों में राष्ट्रवाद का जो बाजार तैयार हुआ था वह 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी हिट है। जीत यहां भी राष्ट्रवाद की ही हुई है पर इस बार डिब्बाबंदी अलग है। 2014 में जो भाजपा के रणनीतिकार थे उनकी कंपनी के साथ छवि प्रबंधन का करार अरविंद केजरीवाल की अगुआई वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। भारत में चुनावी प्रबंधन वाली कंपनी का बाजार 2014 में भारी मुनाफे वाला साबित हुआ। राष्ट्रवाद और ध्रुवीकरण का प्रयोग महज संयोग नहीं था, भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के गहन विश्लेषण के साथ रचा गया था। इस प्रयोग का परिणाम था एक दल के पक्ष में प्रचंड बहुमत और विपक्ष पस्त।

पस्त विपक्ष ने इस ध्रुवीकरण की काट बिहार में खोजी और इसी भाषा में वहां विजय रथ रोका भी गया था। 'दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है' वाले तर्ज पर राजग की हार में खुश होने वाले विश्लेषक कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद और ध्रुवीकरण की काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती और दिल्ली में राष्ट्रवाद नहीं बिजली-पानी जैसे जनता के मूल मुद्दे की जीत हुई है। और यही तर्क उस चुनावी प्रबंधन कंपनी का सबसे बड़ा मुनाफा है जो पुरानी शराब को नई बोतल में बेच कर उसे सबसे बेहतर उत्पाद बताती है।

काम नहीं करने देते हैं जी वाले अरविंद केजरीवाल के लिए चुनावी प्रबंधन कंपनी की सबसे पहली सलाह यही थी कि केंद्र को खलनायक बनाकर आप नायक नहीं बन सकते हैं। आपकी भाषा होनी चाहिए कि हमने ऐसा-ऐसा कर डाला। भाजपा के खिलाफ भाजपा सा सुर, राष्ट्रवाद के सामने राष्ट्रवाद तो भक्तों के जय श्रीराम के बरअक्स राम भक्त हनुमान। सबसे अहम, जो केंद्र के उलट थी वह जनकल्याणकारी योजना। लोकसभा चुनावों में रियायती योजनाओं की खेप खत्म कर राजग द्वितीय निजी-निजी के माल को अपनी दुकान पर सजा चुका था।

दिल्ली के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने केजरीवाल ने 'आय लव यू' बोलने के साथ कहा कि यह भारत माता की जीत है। और भगवान जी तो पहले ही 'शोले' के बीरू की तरह बसंती को बोल चुके थे कि भक्त तुमने अपना काम कर दिया है और अब प्रसन्न होकर जाओ। अरविंद केजरीवाल ने भगवान जी के साथ अपने इस संवाद को ट्वीट भी किया पर शायद किसी ने उनसे यह नहीं पूछा कि जब भगवान जी से आवाज आई तो आपने बसंती की तरह अचरज में ये तो नहीं पूछा-यूं कि ये कौन बोला। नहीं, उन्हें अचरज नहीं हुआ होगा। यह ऐसी चुनावी पटकथा थी जिसके संवाद एक कंपनी लिख रही थी। नायक को तो संवाद याद भर करना होता है। और, जीत के बाद वही भगवान, लाल चुनरी और दूसरी तरफ शाहीन बाग की प्रदर्शनकारी महिलाओं का मौन व्रत बता रहा था कि जीता वही जो शाहीन बाग से दूर था। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह मिस्ड कॉल से राष्ट्र निर्माण

की खातिर लोगों को पार्टी से जुड़ने की अपील कर रहे थे और यह आंकड़ा भी प्रस्तुत किया कि महज चौबीस घंटे के अंदर ग्यारह लाख लोग पार्टी से जुड़ गए। इसी तरह मिस्ड कॉल से कार्यकर्ता बनाने के दावे भारतीय जनता पार्टी भी करती रही है।

2014 की चुनावी कंपनी का प्रयोग था ध्रुवीकरण। और, इस बार भी ध्रुवीकरण हुआ लेकिन उस मुसलमान का जो कह रहे थे कि केंद्र के नागरिकता कानून ने उनके अस्तित्व पर सवाल उठा दिया है। भाजपा ने शाहीन बाग पर मुखर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की लेकिन सफल हुई अरविंद केजरीवाल की चुप्पी। वो तीखा बोल रहे थे और ये मुंह नहीं खोल रहे थे। अपने अस्तित्व के मुद्दे पर नाराज और आहत जनता का केंद्र उस धुरी पर केंद्रित हो गया। तो क्या चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल ओखला विधानसभा के उन लोगों की उम्मीदों को पूरा करेंगे जिन्होंने 'आप' को एक लाख तीस हजार से ज्यादा वोट दिए। भाजपा के उम्मीदवार से इस जीत का अंतर 71, 827 वोटों का था। तो क्या अब वे उन लोगों का रास्ता खुलवाएंगे जिन्होंने इन्हें एकध्रुवीय वोट दिया। जीत के बाद 'आप' के रोड शो ने शाहीन बाग का रुख क्यों नहीं किया?

भाजपा ने अपनी दो नीतियों को मिश्रित किया था। पहला धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण का और दूसरा नवउदारवादी नीति को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने का। भाजपा सरकार ने खुद ही लोकसभा चुनाव में गैस सिलेंडर, शौचालय और मकान को एजंडा बनाया था। लेकिन दिल्ली में उन्हीं जनकल्याणकारी योनाओं के खिलाफ शाहीन बाग के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की। धार्मिक ध्रुवीकरण में नवउदारवाद का मिश्रण इनकी केंद्रीय थीम थी। आर्थिक मोर्चे पर एअर इंडिया को देखें या भारतीय जीवन बीमा निगम, भाजपा ने नवउदारवाद का प्रचंड रूप धर लिया। दूसरी पारी आते ही भाजपा आर्थिक मोर्चे पर इतनी निर्ममता से कैसे आगे बढ़ने लगी और उसका हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर क्या असर है? इसके बरअक्स यूपीए-दो को याद करें। यूपीए-एक में कांग्रेस की सीटें कम थीं। वामपंथी और अन्य पार्टियों के दबाव में उसे जनकल्याणकारी योजनाओं पर जोर देना पड़ा। मनरेगा से लेकर सूचना कानून तक। इन जनकल्याणकारी योजनाओं का अगले चुनाव में कांग्रेस को जबर्दस्त फायदा मिला। लेकिन बहुमत लेकर लौटते ही कांग्रेस ने जनवादी नीतियों से पल्ला झाड़ तेजी से नवदारवाद की राह पकड़ी। बड़े वैश्विक बाजार के पक्ष में जाते ही जनता का उससे मोहभंग हुआ और महंगाई व भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल भी कर दिया।

पहली पारी में जनकल्याणकारी योजनाओं के सहारे राजग ने दूसरी पारी के लिए बंपर बहुमत बटोरा। लेकिन दूसरी बहुमत वाली पारी मिलते ही उसने भी यूपीए-दो की तरह आक्रामक रुख अपनाया और रियायती संस्थाओं व योजनाओं को समेटना शुरू किया। अनुच्छेद 370 व अयोध्या जैसे मजबूत राजनीतिक फैसलों की आड़ में कमजोर तबके के पांव के नीचे से सरकारी सुरक्षा की कालीन खींचने लगा। धार्मिक ध्रुवीकरण और राष्ट्रवाद के जरिए भाजपा को जनता के एक बड़े तबके को अपने साथ रखने में खासी मुश्किल नहीं हुई। ध्यान देने की बात है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कुछ खोया तो नहीं, पाया जरूर है और यह उसके आगे बढ़ने का रास्ता तो तैयार करता है।

धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर भाजपा की जीत अन्य दलों के सूपड़ा साफ में भी दर्ज होती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा के अलावा कोई नहीं है। मुसलमानों के पक्ष में और नागरिकता संशोधन कानून की मुखालफत पर सीधा रुख तय करने वाली कांग्रेस गायब हो गई है। शाहीन बाग के नाम पर अगर ध्रुवीकरण को माना जाए तो कांग्रेस का खात्मा इस राजनीतिक लड़ाई को आगे किस राह पर ले जाएगी यह भी सोचने की बात है। कांग्रेस के खत्म होने का मतलब प्रशांत किशोर के उस प्रयोग का सफल होना है कि मुसलमान के खिलाफ या पक्ष में बोलने के बजाए चुप्पी साध लो। 2014 लोकसभा चुनाव में राजग ने उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलिम चेहरे को टिकट नहीं दिया था। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने मुसलिम चेहरों को केंद्र में लाने से परहेज किया था।

दिल्ली का संदेश वही है जो 2014 में देश का संदेश था। रियायती योजनाओं की राजनीति को जनता बचाना चाहती है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी की जनकल्याणकारी योजनाओं पर कड़ा हमला किया। रियायती सुविधाओं को मुफ्तखोरी बता बाजार का रास्ता अख्तियार किया। दिल्ली ने फिर संदेश दिया है कि धर्म और बाजार के बीच वैकल्पिक रास्ता हो सकता है। जिस रास्ते को आधार बनाकर भाजपा आई थी अब मजबूरी में उसे छोड़ना पड़ रहा है। मुफ्तखोरी और सब कुछ बेच देंगे वाली भाषा के खिलाफ जनकल्याणकारी योजनाओं को बचाने के लिए जनता का इकट्ठा होना ही आवाम का पैगाम है। यहीं से भविष्य की राजनीति भी दिखाई देती है। आम आदमी पार्टी यथावत, भाजपा आगे बढ़ी है और कांग्रेस कहीं भी नहीं खड़ी है।

राजपाट

मुंगेरी शरमाए

अनुप्रिया पटेल की अपनी मां कृष्णा पटेल और छोटी बहन से नहीं पटी तो पार्टी अपना दल दो फाड़ हो गई। अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल एक पार्टी में तो मां कृष्णा पटेल दूसरी पार्टी में। पर दोनों ही धड़ों ने नाम अपनी-अपनी पार्टी का अपना दल ही रखा है। उत्तर प्रदेश तक सीमित है इस पार्टी का असर। सोनेलाल पटेल ने बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के बाद बनाई थी अपनी यह अलग पार्टी। दावा तो पिछड़ों की पार्टी होने का है। पर है यह हकीकत में केवल कुर्मियों की पार्टी। यूपी और बिहार में ओबीसी की कुर्मी जाति की तादाद खासी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कुर्मी ठहरे। जब तक उत्तर प्रदेश भाजपा में कल्याण सिंह की तूती बोलती थी, कुर्मियों पर भाजपा की पकड़ थी। संतोष गंगवार, ओम प्रकाश सिंह और राम कुमार वर्मा जैसे तमाम कद्दावर नेता भाजपा में थे। पर सोनेलाल पटेल ने अपनी अलग पार्टी बनाई तो ज्यादातर कुर्मी उसी में चले गए। सोनेलाल की 2009 में दुर्घटना में मौत के बाद पार्टी की अध्यक्ष बेशक उनकी पत्नी कृष्णा पटेल बनीं लेकिन चेहरा बेटी अनुप्रिया ही रहीं। मिर्जापुर की रोहनिया सीट से 2012 में विधायक बनीं अनुप्रिया ने 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से गठबंधन किया। दो सीटें मिलीं और मिर्जापुर व प्रतापगढ़ दोनों ही सीटों पर पार्टी जीत गई। सबसे युवा अनुप्रिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम में राज्यमंत्री भी बनाया। फिर 2017 के यूपी विधानसभा के चुनाव में भी भाजपा से तालमेल कर अनुप्रिया की पार्टी नौ सीटें जीत गई। योगी आदित्यनाथ ने इस पार्टी के जयकुमार सिंह (जैकी) को राज्य मंत्री भी बना दिया। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में अनुप्रिया रूठने लगीं तो भाजपा ने फिर दो सीटें देने की उनकी शर्त मान ली। इस बार वे खुद तो मिर्जापुर से ही लड़ीं और जीतीं पर प्रतापगढ़ के बजाए दूसरी सीट हिस्से आई राबर्ट्स गंज। पकौड़ीलाल कोल जीत भी गए। पर भाजपा के अपने प्रचंड बहुमत ने अनुप्रिया के इस बार कैबिनेट मंत्री बनने के सपने को तोड़ दिया। पहले जैसी राज्यमंत्री की हैसियत का प्रस्ताव मिला जो उन्होंने ठुकरा दिया। फिर भरोसा मिला कि भरपाई के लिए उनके एमएलसी पति आशीष सिंह पटेल को योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री पद मिलेगा। यह भरोसा भी थोथा ही साबित हुआ। नतीजतन दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही अपना दल के लोगों ने नखरे दिखाने शुरू कर दिए। पार्टी की सभी जिला इकाइयों ने प्रस्ताव पारित कर भाजपा राज में पिछड़ों की अनदेखी का रोना रोया और 2022 में अनुप्रिया पटेल को यूपी का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। भाजपाई इसे मुंगेरीलाल के हसीन सपने से ज्यादा कोई भाव नहीं दे रहे। है भी ठीक, नौ विधायकों और दो सांसदों वाली एक खास जाति की पार्टी की नेता भला मुख्यमंत्री किस फार्मूले से बनेंगी।

दिखाया आईना

अपनी बेबाकी और साफगोई के लिए साध्वी उमा भारती की अलग पहचान रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद उन्होंने जो ट्वीट किया, वह खूब चर्चित हुआ। उन्होंने लिखा- दिल्ली विधानसभा चुनाव का संदेश। चुनाव के परिणाम साफ बता रहे हैं कि भाजपा में, भारत में प्रधानमंत्री के समकक्ष कोई नेता नहीं। सियासी पंडितों ही नहीं अक्ल के अंधों तक ने इसका यही अर्थ निकाला कि भाजपा में हाशिए पर चल साध्वी ने उन पर तंज कसा है। पार्टी नेतृत्व ने तो हार के कारणों की उचित समय पर समीक्षा की बात कही थी पर उमा भारती ने अपनी तरफ से समीक्षा करने में देर नहीं लगाई। मीडिया में इसकी चर्चा हुई तो अगले दिन साध्वी ने फिर ट्वीट कर दिया- पूरे देश की जनता मोदी जी को तथा मोदी जी पूरे देश की जनता को आत्मसात कर चुके हैं। छत्रपति मोदी जिंदाबाद। इस ट्वीट के बाद तो सोशल मीडिया पर टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। भाजपा से बगावत के बाद उमा ने अपनी अलग भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई थी। नितिन गडकरी ने अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें पार्टी में वापस तो लिया पर उनके अपने सूबे मध्य प्रदेश से निर्वासन की शर्त के साथ। पिछड़े तबके की इस कद्दावर नेता ने यूपी की चरखारी सीट से 2012 का विधानसभा चुनाव लड़ने से गुरेज नहीं किया। हालांकि भाजपा को चाहिए था कि उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करती। दो साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में वे झांसी से जीत कर मोदी सरकार में मंत्री तो जरूर बनीं पर रहीं लगातार असहज। बीच में उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया तो नहीं मानी। नतीजतन उनका पसंदीदा जल संसाधन विकास मंत्रालय बदल गया। तभी से वे पार्टी लाइन के विपरीत बोलती रहीं। अपने टिकट पर खतरा देख खुद ही कह दिया कि 2019 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। पार्टी ने भी आग्रह नहीं किया। दिखावे को उन्हें संगठन में उपाध्यक्ष का पद जरूर दे दिया। यानी वे अब पार्टी में प्रभावहीन हैं। जाहिर है कई राज्यों में मिली हार के बावजूद प्रधानमंत्री को छत्रपति बता उन्होंने व्यक्तिनिष्ठ बन रही अपनी पार्टी को आइना दिखाया है। गौर कीजिए कि छत्रपति का विशेषण देश में केवल मराठा शासक शिवाजी के लिए ही प्रयोग होता है।

टेढ़ी खीर

अगले साल होगा हरिद्वार में कुंभ का आयोजन। लेकिन तैयारी तो पहले से ही करनी पड़ती है। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार को इसका भान है। तभी तो मेला अधिकारी और मेले के पुलिस कप्तान की तैनाती सवा साल पहले ही कर ली। मेले की बाबत अब तक कई बैठकें खुद मुख्यमंत्री कर चुके हैं। मेले की योजनाओं के तहत हो रहे काम का मुआयना करने भी वे कई बार हरिद्वार आ चुके हैं। यह बात अलग है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से जुड़े कुछ साधू सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं। दरअसल कुंभ मौलिक रूप से तो साधू-संन्यासियों का उत्सव ही माना जाता है। परिषद ने हरिद्वार में मुख्यमंत्री की पिछली बैठक के बहिष्कार का एलान किया था। इसे देख अफसरों के होश उड़ गए तो चिरौरी कर उन्हें लाए। बैठक में मुख्यमंत्री के सामने ही दशनाम जूना अखाड़े और बैरागी अखाड़े के साधुओं में खूब कहा-सुनी हुई। साधुओं ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि उज्जैन के कुंभ में शिवराज चौहान ने उनके लिए आधुनिक सुविधाओं वाले पंडाल बनाए थे। यूपी में भी यही हुआ था। पर उत्तराखंड की सरकार गंभीर नहीं। मुख्यमंत्री ने सफाई देनी चाही कि उन्हें अभी मेले के लिए केंद्र से फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है। फिर भी अपने सीमित संसाधनों से वे मेले की भव्यता में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे। दरअसल एक-दूसरे की सदा टांग खींचने वाले सारे अखाड़ों के साधू-संतों को संतुष्ट कर पाना भी तो सरकार के लिए टेढ़ी खीर है।

(प्रस्तुति : अनिल बंसल)

इस विशेष पन्ने पर आपके ढेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुमकिन नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं। हमारी ई-मेल आइडी है : vishesh.jansatta@expressindia.com

आपके पत्र

बिजली, विरासत और बिरियानी

सीबीआइ के चर्चित वकील के एक झूठ ने कसाब वाली बिरयानी को शाहीन बाग के रास्ते चुनाव में पहुंचा दिया। दिल्ली में कांग्रेस लोगों तक न तो अपनी बिजली वाली विरासत पहुंचा सकी न ही बिरयानी की खुशबू। ख्वाहिशों को जिंदा रखने के लिए दिमाग की तंदरुस्ती बहुत अहम है वरना भूख मर जाती है। वह चाहे जीत की हो या बिरयानी की।

-एमके मिश्रा त्वदीयं, मां आनंदमयनगर, रातू

ये जो राजनीति है

जनता भी टुकड़े-टुकड़े में बंट चुकी है। हर का अपना नेता और पार्टी है। सही या गलत बहस का विषय नहीं है। देखना यह होता है कि राजनीति से हमें निजी फायदा क्या मिलना है। बस इतने से ही मतलब है। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में अब राजनीति से विचार और सिद्धांत खत्म हो रहे हैं। आज की राजनीति में सिर्फ राजनेताओं का 'राज-पाट' है, जनता के लिए नीति ही गायब हो चुकी है। ऐसे में अगर नेता जी बाग-बाग बिरयानी की बात करते हैं तो अचरज की बात नहीं है। कोई मुफ्त बिजली और पानी दे रहा है ताकि सत्ता सुख सदैव बना रहे तो क्या, देश की चिंता किसे है?

- हर्ष वर्द्धन, शिक्षाविद, कदमकुआं पटना।

विरासत में विघ्न

वोट के बाजार में मुफ्त लेनदेन की स्वांग रचती वह दुकानदारी है जहां बिना पूंजी के चक्रवृद्धि लाभ की लोकतांत्रिक लिप्सा बन चुकी है। 1971 में गरीबी हटाओ के बीजारोपण ने आज जो कल्पवृक्ष तैयार किया है उसके फल सभी राजनीतिक दल अपनी सुविधा से चखे जा रहे हैं। इस सत्ता समर के विजेता भाव भंगिमा में आज कांग्रेस भले निर्जीवता की सारथी घोषित है। लेकिन इसी पूंजी पर केजरीवाल ने बड़ी चतुराई से आधिपत्य कर विजय का डंका तो बजा ही दिया है। कांग्रेस आज पारिवारिक प्रहसन का पात्र बनकर अपनी पराजय की परछाई से नजरें चुराते हुए केजरीवाल की विजय गाथा को जनहितकारी की संज्ञा से विभूषित करने को व्यग्र है। जब शरीर की जीवन यात्रा गोधूलि बेला से निकलकर गहन रात्रि काल में प्रवेश कर गई हो तो उसके पाचन संस्थान से बदहजमी दूर होना असंभव दिखता है। उपाय यही है कि उस जीर्ण-शीर्ण काया को निर्वाण प्राप्ति की प्रतीक्षा की जाए।

- अशोक कुमार, पटना।

जनता का मजाक उड़ाया

भारतीय लोकतांत्रिक न्यायिक व्यवस्था की मिसाल पूरी दुनिया में है, जिसे हम सब संविधान की किताब के रूप में जानते हैं। जो यहां के प्रत्येक नागरिक को एकता व समानता का अधिकार दिलाता है। लेकिन यहां लोकतंत्र में जनता के मुद्दों का न होना हास्यास्पद है। दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश है, जहां से देश भर में चुनाव का माहौल तैयार होता है।

पूरी दुनिया अपने अतीत के स्वरूप को बदलकर आधुनिकता के प्रारूप को स्वीकार कर रही है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब भी राजनीतिक पार्टियां एक विदेशी व्यंजन बिरयानी पर धावा बोलकर दिल्ली के जनता का मजाक उड़ा रही थी।

- नितेश कुमार सिन्हा, मोतिहारी, बिहार।

मुफ्तखोरी बनाम कल्याणकारी राज्य

किसी भी लोककल्याणकारी और प्रजावत्सल राज्य के शासक का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा की भलाई और कल्याण के लिए वह सब कुछ करे, जिससे उसकी प्रजा (जनता) हर दृष्टि से सुखी, संपन्न, शिक्षित व खुशहाल रहे। यह बात ऐतिहासिक दृष्टि से ईसा से पूर्व, रोमन, आर्य, मिस्र, चीनी सभ्यताओं के अलावे इतिहास में अपना अमिट स्थान रखने वाले, महान सम्राट अशोक प्रियदर्शी के समय से ही स्वयंसिद्ध है कि किसी भी शासक को महान होने के लिए उक्त इन्हीं जनहित व प्रजावत्सलता के मानवीय गुणों को ही सर्वोपरि गुण के रूप में परिभाषित किया गया है।

अगर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की अपनी करोड़ों जनता के लिए उसकी मूल आवश्यकताओं बिजली, पानी, दवा को निःशुल्क प्रदान कर दिया है, तो उनके इस कार्य के लिए सभी को प्रशंसा करनी चाहिए। सम्राट अशोक से लेकर, साम्यवादी देशों तथा आज के यूरोप के कई आधुनिक कल्याणकारी देशों में भी शिक्षा, भोजन और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जरूरतें पाना जनता के मौलिक अधिकार हैं और उन्हें सरकारों द्वारा विधिसम्मत रूप से दिया भी जाता है। वैदिक साहित्य में 'दान देना सबसे बड़ा पुण्य है' कहने वाले दिल्ली की जनता को जनहित में बिजली, पानी और दवा निःशुल्क देने पर कुतर्क क्यों कर रहे हैं यह समझ से परे है।

-निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

www.readwhere.com

मैच फिक्सिंग : हाई कोर्ट ने चावला को अगले आदेश तक तिहाड़ भेजा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 फरवरी।

सट्टेबाजी और क्रिकेट मैच फिक्सिंग के मुख्य आरोपी संजीव चावला को निचली अदालत की ओर से पुलिस हिरासत में पूछताछ की अनुमति दिए जाने के एक दिन बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें अगले आदेश तक तिहाड़ जेल भेज दिया। ब्रिटेन से प्रत्यर्पित चावला ने पुलिस रिमांड को शर्तों का उल्लंघन बताया था। शुक्रवार को उन्होंने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि प्रत्यर्पण के दौरान गृह मंत्रालय ने ब्रिटेन की सरकार को आश्वासन दिया था कि मुकदमे की सुनवाई के लिए उन्हें केवल तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। चूंकि अदालत में जांच अधिकारी मौजूद नहीं थे इसलिए न्यायाधीश अनु मल्होत्रा ने अपराध शाखा को निर्देश दिया कि मामले में स्थिति रिपोर्ट पेश करें और कहा कि अगले आदेश तक चावला को तिहाड़ जेल भेजा जाए। अदालत ने याचिका पर गृह मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया और मामले में अगली सुनवाई की तारीख 19 फरवरी तय की।

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेट कप्तान हैंसी क्रोनिए की संलिप्तता वाले मैच फिक्सिंग मामले के प्रमुख आरोपी और कथित सट्टेबाज संजीव चावला ने 12 दिन की अपनी पुलिस हिरासत को दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को चुनौती दी। संजीव चावला के वकील के मुताबिक प्रत्यर्पण के दौरान गृह मंत्रालय ने ब्रिटेन की सरकार को आश्वासन दिया था कि चावला को केवल मुकदमे का सामना करने के लिए तिहाड़ जेल में रखा जाएगा।

निचली अदालत ने चावला को गुरुवार को 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने कहा था कि मामले की आगे की जांच के लिए उसे देश भर के अनेक शहरों में ले जाया जाना है। चावला से पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने 14 दिन की हिरासत की मांग की थी। बचाव पक्ष ने रिमांड का विरोध करते हुए कहा था कि 22 सितंबर, 2017 को ब्रिटेन को दिए आश्वासन पत्र के अनुसार भारत सरकार ने आश्वासन दिया है कि आरोपी को सुनवाई से पहले और सक्षम अदालत की ओर से दोषी ठहराए जाने की स्थिति में तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। इस पर अदालत ने कहा कि सुनवाई से पहले के चरण में जांच का चरण शामिल नहीं होता और पुलिस हिरासत में भेजने की मांग भारत सरकार के पत्र की भावना के विपरीत नहीं है।

निचली अदालत ने आरोपी को 25 फरवरी को अदालत में पेश करने के निर्देश दिए। अदालत को बताया गया कि चावला पांच मैचों की फिक्सिंग में शामिल था और बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए उसका विभिन्न लोगों से आमना-सामना कराना है। पुलिस ने अदालत को बताया कि क्रोनिए भी इसमें शामिल थे। क्रोनिए की 2002 में विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। चावला पर फरवरी-मार्च 2000 में दक्षिण अफ्रीका टीम के भारत दौरे पर मैच फिक्सिंग के लिए क्रोनिए के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप है।

जीएसटी रिटर्न का नया फार्म होगा फायदेमंद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 फरवरी।

जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि माल और सेवाकर (जीएसटी) रिटर्न दाखिल करने के नए फार्म और ई-बिल से कारोबार सुगमता में मदद मिलेगी। इसके अलावा अप्रत्यक्ष कर के लिए आंकड़े जुटाना भी आसान होगा। जीएसटीएन, माल और सेवाकर के लिए प्रौद्योगिकी समाधान उपलब्ध कराती है।

कुमार यहां पीएचडी चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के 'ई-बिल और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने का नया प्रारूप' विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, ई-बिल कारोबार सुगमता और जीएसटी के लिए आंकड़े जुटाने में आसानी की ओर एक कदम है।

मानवीय स्तर पर आंकड़े जुटाने से गलत सूचना दर्ज होने और प्रतिलेखन त्रुटियां होने का डर रहता है। प्रणाली को पूर्णतः स्व-संचालित बनाने के लिए उसके मानकीकरण की जरूरत है।

कुमार ने कहा- बिलों का डिजिटलीकरण करने में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) समूह देशों में उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं सबसे आगे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में डिजिटलीकरण को करदाताओं की कारोबार प्रक्रिया का हिस्सा बनाने का और मानवीय स्तर पर आंकड़े जुटाने की व्यवस्था को दूर करने का लक्ष्य है।

पीएचडी चैंबर के चेयरमैन एनके गुप्ता ने कहा कि ई-बिल एक नई व्यवस्था है। इसमें कारोबारों के बीच आपस (बी2बी) में होने वाला लेनदेन जीएसटीएन के माध्यम से ही सीधा प्रमाणित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।

भारत-पुर्तगाल के बीच सात समझौते

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 फरवरी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने शुक्रवार को द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों पर व्यापक चर्चा की और दोनों देशों ने कारोबार, परिवहन, संस्कृति, निवेश, बौद्धिक संपदा सहित कई क्षेत्रों से जुड़े सात समझौते किए। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा 13 से 16 फरवरी 2020 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया, 'हमारा गठजोड़ अधिक मजबूती हासिल कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुर्तगाल के राष्ट्रपति रेबेलो डी सूसा ने भारत-पुर्तगाल संबंध के व्यापक आयामों पर चर्चा की, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में एक-दूसरे की ताकत से फायदा उठाना शामिल है।' पुर्तगाल दक्षिणी यूरोप में भारत के लिए एक महत्त्वपूर्ण देश है और पिछले 15 साल में द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति हुई है। अक्तूबर 2005 में पुर्तगाल ने अबू सलेम और मोनिका बेदी का प्रत्यर्पण किया था, जिनपर आतंक से जुड़े आरोप थे।

वार्ता के बाद दोनों देशों ने निवेश, कारोबार, परिवहन, पोत, संस्कृति, औद्योगिक व बौद्धिक संपदा जैसे क्षेत्रों में सहयोग से जुड़े समझौते किए। भारत और पुर्तगाल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय नौवहन धरोहर संग्रहालय स्थापित करने के लिए पुर्तगाल के रक्षा मंत्रालय और भारत के पोत परिवहन मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन किया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच औद्योगिक व बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

शहीद जवानों के घर से एकत्रित मिट्टी का कलश सीआरपीएफ को सौंपा

श्रीनगर, 14 फरवरी (भाषा)।

पुलवामा आतंकी हमले में पिछले साल शहीद हुए सभी जवानों के घर से मिट्टी एकत्रित कर महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने उसका कलश शुक्रवार को सीआरपीएफ को सौंपा।

पुलवामा हमले की बरसी पर यहां लेथपुरा शिविर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के परिसर में शहीद स्तंभ पर यह कलश रखा गया।

उमेश गोपीनाथ ने सीआरपीएफ के 40 शहीद जवानों के परिवारों से मिलने के लिए 61 हजार किलोमीटर की यात्रा की और उनके घरों से मिट्टी ली।सीआरपीएफ ने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र के उमेश गोपीनाथ ने सीआरपीएफ को कलश सौंपा।

सारा अब्दुल्ला की अर्जी पर जम्मू कश्मीर प्रशासन को नोटिस

पेज 1 का बाकी

बनर्जी के पीठ ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की नजरबंदी को चुनौती देने वाली सारा अब्दुल्ला पायलट की याचिका पर दो मार्च को सुनवाई की जाएगी। सारा अब्दुल्ला पायलट की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए। सारा अब्दुल्ला पायलट ने 10 फरवरी को शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर जम्मू कश्मीर जन सुरक्षा कानून 1978 के तहत अपने भाई की हिरासत को अवैध बताया और कहा था कि शांति व्यवस्था बहाल रखने को लेकर उनसे किसी खतरे का सवाल ही नहीं उठता। याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही पीठ ने सिब्बल से नजरबंदी के आधार के बारे में जानना चाहा। सिब्बल ने पुलिस अधीक्षक द्वारा उमर अब्दुल्ला को सौंपे गए दस्तावेज का हवाला दिया और कहा कि इसमें नजरबंदी की सारी वजहों का जिक्र है। पीठ ने जानना चाहा- क्या जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में किसी ने आपकी ओर से कोई याचिका दायर की है? पीठ ने सिब्बल से कहा कि इसकी पुष्टि कर लें कि क्या वहां तो कोई मामला लंबित नहीं है। सिब्बल ने पीठ से कहा कि हाई कोर्ट में उनकी ओर से कुछ भी दायर नहीं किया गया है। पीठ ने नोटिस जारी करने के बाद कहा कि इस मामले में तीन हफ्ते बाद विचार किया जाएगा।

प्रधानमंत्री तीस से अधिक परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे

पेज 1 का बाकी

काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में 430 बिस्तर का सुपर स्पेशिएलिटी सरकारी अस्पताल एवं बीएचयू में ही 70 बिस्तर वाला मनोरोग चिकित्सा अस्पताल शामिल है।

प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार, 'प्रधानमंत्री का श्री जगद्गुरु विश्वाराध्य गुरुकुल के शताब्दी समारोह के समापन समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। वे श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ के 19 भाषाओं में अनुदित संस्करण तथा इसके मोबाइल ऐप का भी विमोचन करेंगे।'

प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फुट की पंच धातु प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। यह देश में उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा है। दो सौ से अधिक शिल्पकारों ने एक वर्ष तक दिन रात काम करके इस प्रतिमा को पूरा किया है। बयान के अनुसार, इस स्मारक केंद्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन और समय से संबंधित जानकारियां होंगी।

ओड़ीशा के लगभग 30 शिल्पकारों और दस्तकारों ने पिछले वर्ष के दौरान इस परियोजना पर कार्य किया है। प्रधानमंत्री वीडियो लिंक के माध्यम से आइआरसीटीसी की महाकाल एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। यह ट्रेन तीन ज्योतिर्लिंग तीर्थस्थलों-वाराणसी, उज्जैन और ओंकारेश्वर को जोड़ेगी। यह देश में पहली ओवरनाइट निजी ट्रेन होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री 'काशी एक रूप अनेक' कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।

आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए कदम उठाने को सरकार तैयार : सीतारमण

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 फरवरी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जरूरत पड़ने पर सरकार बजट की घोषणाओं के अलावा और भी कदम उठाने को तैयार है। संपत्ति प्रबंधन, संपत्ति परामर्श, कर सलाहकार और अन्य संबंधित सेवाओं के पेशेवरों के साथ 'बजट और उसके बाद' विषय पर आयोजित परिचर्चा में मंत्री ने यह भी कहा कि 2020-21 का बजट ऐसा है जिसका इक्विटी, बांड और मुद्रा बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

सीतारमण ने कहा - अगर बजट के अलावा और कुछ करने की जरूरत पड़ती है, हम उसे करने को तैयार हैं। परिचर्चा के दौरान पेशेवरों ने देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिए। सरकार ने एक फरवरी को पेश बजट में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने को लेकर कई कदमों की घोषणा की है। यह घोषणा ऐसे समय की गई जब देश में कई कारणों से मांग में नरमी है। देश की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 5 फीसद रहने का अनुमान है। जो 11 साल का न्यूनतम स्तर है। परिचर्चा के दौरान पेशेवरों ने खपत बढ़ाने, ग्राहकों के पाकेट में और पैसा डालने, नकदी बढ़ाने के लिए जरूरी उपायों और पूंजी बाजार के बारे में कई सुझाव दिए। इसके अलावा प्रत्यक्ष कर से संबद्ध विवादों के समाधान को लेकर लाई गई 'विवाद से विश्वास' योजना को लेकर भी कई सुझाव दिए गए। इस योजना की घोषणा 2020-21 के बजट में की गई है।

उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय योजना के बारे में जल्दी ही विस्तृत ब्योरा उपलब्ध कराएगा। हालांकि योजना के क्रियान्वयन से पहले संसद की मंजूरी की जरूरत होगी।

पुलवामा बरसी : सीमापार से नापाक हरकत

पेज 1 का बाकी

120-एमएम के मोर्टार इस्तेमाल किए। इस गोलाबारी में एक ग्रामीण की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों ने गोलाबारी मुंहतोड़ जवाब दिया और खबर लिखे जाने तक गोलीबारी जारी थी। पाकिस्तान ने ये हरकत तब की है, जब तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान इस्लामाबाद के दौरे पर हैं। संघर्षविराम के उल्लंघन से पहले पाकिस्तान ने कहा था कि भारत अगले कुछ दिनों में बड़ी कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता आएशा फारूकी ने बाकायदा प्रेस कांफ्रेंस में कहा इमरान खान सरकार को इस तरह का डर है।

हथगोले के साथ तीन छात्र गिरफ्तार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 फरवरी।

सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को श्रीनगर के मागरमल बाग इलाके में तीन छात्रों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक हथगोला बरामद किया। एक अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने गुप्त सूचना के आधार पर दोपहिया वाहन पर सवार तीन छात्रों को रोका। तलाशी के दौरान उन तीनों से एक हथगोला बरामद हुआ।

कफील पर अब रासुका, जेल में ही रहना होगा

पेज 1 का बाकी

(रासुका) के तहत कार्रवाई की गई है।

अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश कुलहरी ने बताया कि कफील के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई है और वह जेल में ही रहेंगे। कफील नए नागरिकता कानून के खिलाफ पिछले दिसंबर में अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मथुरा जेल में बंद हैं। हालांकि, उन्हें जमानत मिल चुकी है, मगर उन्हें रिहा नहीं किया गया है। रासुका के तहत किसी भी व्यक्ति को तब तक जेल में रखा जा सकता है, जब तक प्रशासन इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि उस व्यक्ति से राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून व्यवस्था को कोई खतरा नहीं है।

खान को उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने 29 जनवरी को मुंबई में गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ अलीगढ़ के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्हें मुंबई में गिरफ्तार करने के बाद अलीगढ़ लाया गया था, मगर उन्हें फौरन मथुरा जेल भेज दिया गया था। पुलिस का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी है।

पुलवामा हमला : षड्यंत्रकारी का अभी तक ठोस सुराग नहीं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 फरवरी।

पिछले साल पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के पांच षड्यंत्रकारियों या इसे अंजाम देने वालों के सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारे जाने के साथ इस घटना की जांच उस बिंदु पर पहुंच गई है, जहां से संभवतः इसमें आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) को चुनौतियां मिल रही हैं, क्योंकि इस हमले को अंजाम देने वालों या इसके सरगना के बारे में कोई ठोस सूचना उपलब्ध नहीं है।

जांच में शामिल रहे एनआइए के एक आला अधिकारी के मुताबिक, 'हमारे लिए यह अंधेरे में हाथ पैर मारने जैसा एक मामला था। दबी जुबान से कई तरह की बातें की जा रही थीं लेकिन हर चीज के कानूनी पहलू का ध्यान रखना था।' पहली चुनौती तो आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार द्वारा हमले में इस्तेमाल की गई कार के असली मालिक का पता लगाना था। अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रो ग्लिसरीन और आरडीएक्स जैसे विस्फोटकों से लदा वाहन नष्ट हो गया था। फोरेंसिक पद्धतियों और बहुत ही सावधानीपूर्वक की गई जांचों से कार के सीरियल नंबर का पता लगाया गया और कुछ ही समय में वाहन के मालिकाना हक का शुरू से अंत तक पता कर लिया गया। इस विस्फोट में कार के परखचे उड़ गए थे। कार का अंतिम मालिक था बिजबेहरा निवासी सज्जाद भट, जो 14 फरवरी के (पुलवामा) आतंकी हमले से कुछ ही घंटे पहले लापता हो गया और जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन में शामिल हो गया। वह पिछले साल जून में मुठभेड़ में मारा गया।

आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार था और साक्ष्यों से इसे स्थापित करना पड़ा। विभिन्न स्थानों से मानव अवशेषों को जुटा कर उन्हें डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेजा गया। आत्मघाती हमलावर की पहचान कर ली गई और कार के मलबे से लिए गए डीएनए के नमूनों का उसके पिता के डीएनए से मिलान कर पुष्टि की गई।

राहुल की सहानुभूति जैश व लश्कर से : भाजपा

पेज 1 का बाकी

से सहानुभूति रखने का आरोप लगाया। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का बयान उन शहीदों का अपमान हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्योछावर की। राहुल पर निशाना साधते हुए भाजपा ने कहा कि पुलवामा नृशंस आतंकी हमला था और गांधी परिवार फायदे के अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकता।

भाजपा प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया, 'लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद से 'सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति माने जाने वाले' राहुल गांधी ने न केवल सरकार पर बल्कि सुरक्षा बलों पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी वास्तविक दोषी पाकिस्तान से कभी सवाल नहीं करेंगे । राहुल, आपको शर्म आनी चाहिए।'

भाजपा के एक अन्य प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने अपने ट्वीट में कहा कि पुलवामा पर राहुल गांधी की टिप्पणियां उन शहीदों का अपमान हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्योछावर की। 'पुलवामा से किसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ' वाली टिप्पणी के लिए राहुल गांधी की आलोचना करते हुए हुसैन ने कहा कि कहा कि ऐसी टिप्पणियों से पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत पर इल्जाम लगाने में मदद मिलती है।

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने अपने ट्वीट में कहा, 'पुलवामा में हुआ हमला नृशंस आतंकी हमला था और यह (राहुल का) एक नृशंस बयान है कि किसको फायदा हुआ।' पात्रा ने कहा, 'मिस्टर गांधी, क्या आप फायदे के आगे भी सोच सकते हैं? जाहिर तौर पर नहीं।' भाजपा प्रवक्ता ने कहा 'यह तथाकथित गांधी परिवार फायदे के अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकता। वे सिर्फ भौतिक रूप से ही भ्रष्ट नहीं हैं।..उनकी आत्माएं भी भ्रष्ट हैं।'

बताते चलें कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे।

निर्यात में लगातार छठे महीने गिरावट

पेज 1 का बाकी

फीसद घटकर 25.97 अरब डॉलर रह गया। हालांकि इस दौरान आयात में भी 0.75 फीसद की गिरावट आई और यह 41.14 अरब डॉलर के बराबर रहा। इस तरह जनवरी माह में व्यापार घाटा (निर्यात से अधिक आयात) 15.17 अरब डॉलर रहा। जबकि इसके सापेक्ष जनवरी 2019 में व्यापार घाटा 15.05 अरब डॉलर था। आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-जनवरी 2019-20 के दस माह के दौरान निर्यात एक साल पहले की इसी अवधि की तुलना में 1.93 फीसद गिरकर 265.26 अरब डॉलर रहा। इस दौरान आयात में 8.12 फीसद गिरावट रही और यह 398.53 अरब डॉलर रहा।

दरअसल

भारत लाया जाएगा हैदराबाद के निजाम का खजाना

पेज 1 का बाकी

एक मिलियन पाउंड और एक गिन्नी का है। 18 सिंतबर 1948 को हैदराबाद के भारत में विलय के बाद 20 सितंबर, 1948 को हैदराबाद सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री मॉइन नवाज जंग ने यह धन ब्रिटेन में तत्कालीन पाकिस्तान उच्चायुक्त हबीब इब्राहिम रहीमतुल्ला को भेज दिया था। कहा जाता है कि निजाम का झुकाव उस समय पाकिस्तान की तरफ ज्यादा था। बाद में यह रकम नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक की लंदन शाखा में जमा कर दी गई।

जैसे ही भारत सरकार को इसका पता चला तो अधिकारियों ने तुरंत निजाम से पूछताछ की, क्योंकि भारत में विलय के बाद निजाम ऐसा नहीं कर सकते थे। तब निजाम ने अपनी सफाई में कहा था कि यह रकम उनके मंत्री ने उनकी जानकारी के बगैर ट्रांसफर कर दी थी। बाद में मामला कोर्ट में चला गया। भारत ने इस धन पर यह कहते हुए दावा किया कि 1965 में निजाम ने यह पैसा भारत को दिया था। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के हवाले से बताया कि निजाम का धन 20 सितंबर 1948 को नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक अकाउंट में रख दिया गया था। भारत के लारा अदालत में दावेदारी के बाद पाकिस्तान ने भी इस खजाने पर अपना दावा पेश किया था।

बीते साल अक्तूबर में लंदन के हाई कोर्ट ने भारत और मुकर्रम जाह (हैदराबाद के 8वें निजाम) के पक्ष में फैसला सुनाया था। मुकर्रम और उनके छोटे भाई मुफ्फखम जाह पाकिस्तान के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में पिछले छह साल से यह मुकदमा लड़ रहे थे। बैंक ने पहले ही यह पैसा कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया था। कोर्ट ने अब यह धन भारत और निजाम के वारिसों को देने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने बताया कि साथ ही पाकिस्तान ने भारत सरकार को 2.8 मिलियन (करीब 26 करोड़ रुपए) चुकाए हैं। यह भारत द्वारा लंदन हाई कोर्ट में इस केस पर आए खर्च की 65 फीसद लागत है। बाकी बची हई लागत जो भारत ने खुद भरी है, उस पर अभी बातचीत चल रही है।

कांग्रेस ने पूछा, किसे हुआ सबसे ज्यादा फायदा

पेज 1 का बाकी

किसे हुआ और इसकी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है।

गांधी ने शहीद जवानों के पार्थिव शरीर वाले ताबूतों की तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया, 'आज जब हम पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 जवानों को याद कर रहे हैं तो हमें यह पूछना है कि इस हमले से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ?' उन्होंने यह सवाल भी किया, 'हमले की जांच में क्या निकला? हमले से जुड़ी सुरक्षा खामी के लिए भाजपा सरकार में अब तक किसको जवाबदेह ठहराया गया है?' पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, 'पूरा देश पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अभी ये सवाल बरकरार हैंः पुलवामा हमले की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? जवाबदेह कौन है? 350 किलोग्राम आरडीएक्स कौन लाया?' उन्होंने यह भी पूछा, 'हमले को लेकर खुफिया जानकारियों को नजरअंदाज क्यों किया गया? क्या दविंदर सिंह की कोई भूमिका थी?'

कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने संवाददाताओं से कहा, 'भाजपा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए श्रेय लेने में पीछे नहीं रहती, लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया विफलता होती है, तो भाजपा मौन हो जाती है।' उन्होंने कहा कि दुनिया जानती है कि पुलवामा हमले के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, लेकिन भाजपा सरकार बड़ी खुफिया विफलता और सुरक्षा चूक के बारे में चुप है।

प्रधानमंत्री को केजरीवाल का न्योता

पेज 1 का बाकी

हैं। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर रंगरोगन का काम किया जा रहा है। वहीं, रामलीला मैदान में करीब 40 हजार लोगों के लिए इंतजाम किया जा रहा है। हालांकि बीते शपथ ग्रहण में करीब 35 हजार कुर्सियां लगाई गई थीं। आम आदमी पार्टी ने दूसरे राज्यों से विशेषतौर पर किसी को आंमत्रित नहीं किया है। लेकिन संभावना यह भी जताई जा रही है कि आसपास के राज्यों से भी लोग इस शपथ ग्रहण का हिस्सा बनेंगे। शपथ ग्रहण के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की अध्यक्षता में 16 फरवरी को कार्यकारिणी की बैठक होगी। इस बैठक में देश के अन्य राज्यों में पार्टी के विस्तार और आगामी चुनावों को लेकर मंत्रणा की जाएगी। राय ने कहा कि दिल्ली में शानदार जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने विस्तार के लिए पूरे देश में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने का फैसला किया है।

आधार से नहीं जुड़ा तो 31 मार्च के बाद निष्क्रिय हो जाएगा पैन

पेज 1 का बाकी

और मौजूदा समयसीमा 31 मार्च 2020 को समाप्त हो जाएगी।

विभाग के अनुसार 27 जनवरी 2020 तक 30.75 करोड़ पैन को पहले ही आधार से जोड़ा जा चुका है। हालांकि 17.58 करोड़ पैन को अभी 12 अंकों वाले आधार से जोड़ा जाना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि जिस व्यक्ति को एक जुलाई 2017 तक पैन आबंटित किए गए हैं, उन्हें उसे आयकर कानून की धारा 139 एए की उप-धारा (2) के तहत अपने आधार के बारे में 31 मार्च 2020 तक सूचना देनी है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित पैन उसके बाद निष्क्रिय हो जाएगा। आयकर कानून की धारा 139एए (2) के अनुसार एक जुलाई 2017 तक जिन लोगों के पास पैन है और आधार लेने के लिए पात्र हैं, उन्हें आधार संख्या के बारे में कर प्राधिकरण को जानकारी देनी होगी।

आलू-प्याज ने बढ़ाई महंगाई, थोक मुद्रास्फीति 3.1 फीसद

पेज 1 का बाकी

शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, इस दौरान गैर-खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी दिसंबर के 2.32 फीसद से लगभग तीन गुना बढ़कर 7.8 फीसद हो गई।

खाद्य वस्तुओं में सब्जियों की कीमतें 52.72 फीसद बढ़ीं, जिसमें सबसे अधिक योगदान प्याज का रहा। इस दौरान प्याज की कीमतों में 293 फीसद बढ़ोतरी हुई, जबकि इसके बाद आलू की कीमतों में 37.34 फीसद इजाफा हुआ।

इस हफ्ते की शुरुआत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी में छह साल के उच्चतम 7.59 फीसद के करीब पहुंच गई थी। इसकी मुख्य वजह सब्जियों और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी रही। यह मई 2014 के बाद से मुद्रास्फीति की उच्चतम दर है, जब यह 8.33 फीसद थी।

इस बीच, रेटिंग एजंसी इक्रा की प्रधान अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि आयात शुल्क में बढ़ोतरी के चलते थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति आने वाले महीनों में और बढ़ सकती है। साथ में उनकी यह भी राय है कि कोरोना वायर से बाजार में जोखिम की धारणा तथा कच्चे तेल और दूसरी जिंसों की कीमतों पर नरमी के असर से फरवरी 2020 में थोक मूल्य पर आधारित महंगाई दर पर बेकाबू में रहेगी।

www.readwhere.com

शादी के लिए युवती को धमकाया, इंजीनियर गिरफ्तार

इंदौर, 14 फरवरी (भाषा)।

वैलेंटाइंस डे के मौके पर शुक्रवार को 22 साल की युवती को सरेआम कुल्हाड़ी दिखाकर उसे शादी के लिए धमकाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पुलिस ने समय रहते धर दबोचा।

विजय नगर पुलिस थाना के प्रभारी तहजीब काजी ने एजंसी को बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान जीत कुमार पानेरी (24) के रूप में हुई है। वह एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। काजी ने बताया, पानेरी ने 22 वर्षीय युवती को विजय नगर क्षेत्र में सरेराह रोका और शादी के लिए तुरंत हां करने को कहा। जब युवती ने इनकार किया तो उसने आगबबूला होकर कुल्हाड़ी निकाली और उसे लहराते हुए युवती को धमकी दी। उन्होंने बताया, पानेरी के पास पेट्रोल भी था। वह युवती से कह रहा था कि अगर उसने शादी के लिए हां नहीं की तो वह उसकी हत्या करने के बाद खुद भी जान दे देगा। घटना की सूचना मिलने पर हमने फौरन मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया।

Edelweiss | GENERAL INSURANCE

सार्वजनिक सूचना

हम एक नए ऑफिस में स्थानांतरित हो रहे हैं, और यहां आपका हार्दिक स्वागत है!

503, 504 व 507, पांचवीं मंजिल, मर्केन्टाइल हाउस, 15, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली – 110 001.

20 अप्रैल 2020 से

रजि. ऑफिस: एडेलवाइस हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कालिना, मुंबई – 400098 I www.edelweissinsurance.com
CIN: U66000MH2016PLC273758

JAGSONPAL FINANCE & LEASING LTD.

Reg. Office : D-28, First Floor, Greater Kailash Enclave - I, New Delhi - 110 048.
Telephone:011-49025758, Fax : 011-41633812, CIN : L65929DL1991PLC043182,
Web: www.jagsonpal.co.in, email ID : jagsonpalfinance@gmail.com

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31st DECEMBER, 2019

(Rs. in Lacs)

Particulars	Unaudited			
	Quarter ended		Nine months ended	
	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2018
Total income from operation (net)	11.95	43.84	10.85	33.23
Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	10.40	41.83	1.23	22.72
Net Profit/(Loss) for the period after tax(after Extraordinary items)	10.40	41.83	1.23	22.72
Equity Share Capital	550.04	550.04	550.04	550.04
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous)	-	-	-	-
Earning Per Share (before exraordinary items) (Face Value Rs. 10/- each) - Basic & Diluted	0.19	0.76	0.02	0.41
Earning Per Share (after exraordinary items) (Face Value Rs. 10/- each) - Basic & Diluted	0.19	0.76	0.02	0.41

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly & Nine months Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulation 2015. The Full format of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarterly & Nine months ended 31.12.2019 are available on the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com and company's website www.jagsonpal.co.in.

Place : New Delhi
Date: 14 February, 2020

Kanwarpal Singh Kochhar
Chairman & Managing Director
DIN : 00529230

आत्मा स्टील्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : सी-139, औद्योगिक क्षेत्र, बुलन्दशहर रोड, गाजियाबाद-201009
CIN: L65999DL1985PLC022321 | टेली. न. 09310506965| ई-मेल आईडी: atmasteelsltd@rediffmail.com

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(रु. आईएनआर में)

विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2019	समाप्त नौ महीने 31.12.2019	समाप्त तिमाही 31.12.2018
परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	288463	845902	–
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण मदों से पूर्व)	(357279)	(3288517)	(190670)
कर से बाद सामान्य क्रियाकलापों से शुद्ध लाभ/(हानि)	(357279)	(3288517)	(190670)
अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	(357279)	(3288517)	(190670)
अवधि हेतु कुल व्यापक आय	(357279)	(3288517)	(190670)
इक्विटी शेयर पूंजी	88728320	88728320	88728320
आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	–	–	–
आय प्रति शेयर (रु. 10/– प्रति का) (असाधारण मदों से पूर्व)			
मूल	(0.04)	(0.37)	(0.02)
तरल	(0.04)	(0.37)	(0.02)

टिप्पणी:
1. उपरोक्त अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों की 14 फरवरी, 2020 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा एवं अनुमोदन किया गया।
2. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण विवरण प्रारूप का सार है।

आत्मा स्टील्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./
हरभजन सिंह
प्रबंध निदेशक

तिथि: 14 फरवरी 2020
स्थान: गाजियाबाद

DR. M. INDUSCORP LIMITED

Regd. Office: 18B/1, Ground Floor,Dev Nagar, D.B.Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi-110005.
Tel.: +91-11-28716806 CIN: L01119DL1986PLC023698
Website: www.drminduscorp.com Email: drmsoy@gmail.com

Extract of the Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended 31st December, 2019

(Rs in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			Nine Months ended		Year ended
		31.12.2019 (Unaudited)	30.09.2019 (Unaudited)	31.12.2018 (Unaudited)	31.12.2019 (Unaudited)	31.12.2018 (Unaudited)	31.03.2019 (Audited)
1	Total income from operations (Net)	87.74	79.74	50.94	201.62	155.08	238.46
2	Net Profit/(Loss) before exceptional items and tax	(0.77)	(0.43)	(4.04)	(6.81)	(9.67)	(12.46)
3	Net Profit/(Loss) after exceptional items and tax	(0.77)	(0.43)	(4.04)	(6.81)	(9.67)	(12.46)
4	Total Comprehensive Income	(0.77)	(0.43)	(4.04)	(6.81)	(9.67)	(12.46)
5	Paid - up equity share capital (Face Value of the Share Rs. 10/- each)	*763.02	*763.02	*763.02	*763.02	*763.02	*763.02
6	Reserves excluding Revaluation Reserve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(488.35)
7	Earnings per share:						
a)	Basic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	Diluted	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

The Share Capital includes amount of Rs. 7 Lacs against shares forfeited.

Note:
1. The above is an extract of the detailed format of the Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31.12.2019 filed with the Stock Exchange under regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31.12.2019 are available on the website of the Stock Exchange www.msei.in and also on the Company's website www.drminduscorp.com.
2. The detailed Unaudited Financial Results, as prepared in compliance with Indian Accounting Standard ("Ind AS") as notified under section 133 of the Companies Act, 2013 and Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, for the Quarter and Nine Months ended 31.12.2019 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board in their respective meetings held on 14.02.2020. The Statutory Auditor of the Company have reviewed the Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31.12.2019 and issued Limited Review Report pursuant to Regulation 33 of Listing Regulation.
3. The figures of the previous period/year has been regrouped/recast wherever considered necessary, to conform to the current year classifications.

By the Order of the Board
Sd/-
(PREM PRAKASH)
Managing Director
DIN: 00289179

Place: New Delhi
Date: 14th February, 2020

कैस्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

CIN No.: L65921HR1983PLCO33789
पंजी. कार्या.: ग्राम नरसिंहपुर, मोहम्मदपुर, पुराना मानेसर रोड, गुड़गाँव, हरियाणा-123106
Tel: +91-11-42344444 Fax: +91-11-42344400 Email: info@amtek.com: Website: www.amtek.com

31दिसंम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ माही के अनंकेक्षित स्टैडएलॉन तथा समेकित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार

(रु. लाख में)

क्रम सं.	विवरण	स्टैण्डएलॉन						समेकित					
		समाप्त तिमाही			समाप्त नौ माही		समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही			समाप्त 9 महीने		समाप्त वर्ष
		31.12.2019	30.09.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.03.2019	31.12.2019	30.09.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.03.2019
1.	प्रचालनों से कुल आय	6,992.00	7,504.00	10,818.00	22,758.00	36,095.00	46,069.00	6,992.00	7,504.00	10,818.00	22,758.00	36,095.00	46,069.00
2.	अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि)(कर, विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(12,636.00)	(12,758.00)	(12,852.00)	(38,405.00)	(39,397.00)	(52,324.00)	(12,636.00)	(12,758.00)	(12,852.00)	(38,405.00)	(39,397.00)	(52,324.00)
3.	कर से पूर्व अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि)(विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(12,636.00)	(12,758.00)	(13,787.00)	(38,405.00)	(61,422.00)	(74,942.00)	(12,635.00)	(12,756.00)	(13,787.00)	(38,401.00)	(61,422.00)	(74,941.00)
4.	कर से बाद अवधि के लिये शुद्ध लाभ (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(12,636.00)	(12,758.00)	(13,787.00)	(38,405.00)	(61,422.00)	(74,942.00)	(12,635.00)	(12,756.00)	(13,787.00)	(38,401.00)	(61,422.00)	(74,941.00)
5.	अवधि के लिये कुल व्यापक आय (अवधि के लिये (कर से बाद)लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर से बाद) से शामिल)	(12,636.00)	(12,758.00)	(13,787.00)	(38,405.00)	(61,422.00)	(74,748.00)	(12,745,00)	(13,180.00)	(13,787.00)	(38,732.00)	(66,830.00)	(81,957.00)
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर मूल्य (सममूल्य रु 2/– प्रति)	7,562.00	7,562.00	7,562.00	7,562.00	7,562.00	7,562.00	7,562.00	7,562.00	7,562.00	7,562.00	7,562.00	7,562.00
7.	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया है)	–	–	–	–		(85,763.00)	–					(40,000.00)
8.	आय प्रति शेयर (रु 1/– प्रति का) जारी तथा अवरूद्ध प्रचालनों के लिये)												
	(a) मूल	(3.34)	(3.37)	(3.65)	(10.16)	(16.24)	(19.82)	(3.34)	(3.37)	(3.65)	(10.16)	(16.24)	(19.82)
	(b) तरल	(3.34)	(3.37)	(3.65)	(10.16)	(16.24)	(19.82)	(3.37)	(3.40)	(3.65)	(10.24)	(17.68)	(21.68)

वित्तीय परिणामों की टिप्पणी:

1. दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 (संहिता) के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) की चंडीगढ़ पीठ के आदेश तिथि 20 दिसम्बर, 2017 के माध्यम से कैस्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (''कम्पनी'') के विरुद्ध एक कॉर्पोरेट दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया (''सीआईआरपी'') शुरू की गई है। आदेश के अनुपालन में निदेशक मंडल को शक्ति को निलम्बित का दिया गया है तथा उस शक्ति का प्रयोग आदेश तिथि 22 दिसम्बर, 2017 के माध्यम से एनसीएलटी द्वारा अंतरिम प्रस्ताव कर्मी (आईआरपी) के रूप में नियुक्त किये गये श्री दिनकर टी. वैंकटसुब्रमनियण द्वारा किया जा रहा है जिनकी नियुक्ति की पुष्टि 12 जनवरी, 2018 को आयोजित इनकी बैठक में क्रेडीटरों की समिति (सीओसी) द्वारा प्रस्ताव कर्मी (आरपी) के रूप में की गई। अपने आदेश सं. CP (IB) No.116/chd/Hry/2017 तिथि 13 जून, 2018 के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ''चंडीगढ़ पीठ'' ने 90 दिनों (अर्थात् 180 दिन से 270 दिनों) के लिये सीआईआरपी अवधि के विस्तार की मंजूरी दी है।

पुनः सीटीएल के क्रेडिटरों की कमिटी ने 13 अगस्त, 2018 को ई-वोटिंग प्रक्रिया द्वारा लिबर्टी हाउस ग्रुप पीटीई लि. (एलएचजी) द्वारा जमा की गई प्रस्ताव योजना को स्वीकृत किया था। सीटीएल के क्रेडिटरों की कमिटी द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव योजना को संहिता के प्रावधान के अनुसार विचार तथा स्वीकृति के लिये राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ''चंडीगढ़ पीठ'' के पास भी जमा किया गया था।

लेकिन, सीओसी द्वारा उसकी प्रस्ताव योजना की मंजूरी के बाद प्रॉसेस मेमोरैण्डम में परिकल्पित स्टेप्स के अनुपालन में एलएचजी की विफलता तथा अन्य सीआईआरपीज में एनसीएलटी स्वीकृत प्रस्ताव योजनाओं के कार्यान्वयन में लिबर्टी द्वारा की गई लगातार चूक को देखते हुए, सीओसी ने लिबर्टी की प्रस्ताव योजना वापस लेने के लिये 6 दिसम्बर, 2018 को एक आवेदन में एलएचजी द्वारा बिताई गई समय के विस्तार के लिये तथा सीटीएल के लिये नये प्रस्ताव आवेदकों की पहचान करने के लिये नयी प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देने के लिये निर्देश मांगी। अपने आदेश तिथि 15 मार्च, 2019 के द्वारा निर्णायक प्राधिकरण ने प्रस्ताव योजना वापस लेने की स्वीकृति के लिये आवदेन को मंजूरी प्रदान की। निर्णायक प्राधिकरण ने यह भी निर्देश दिया कि पंसदीदा बोलीदाता के रूप में एलएचजी की स्वीकृति की तिथि अर्थात् 18 मई, 2018 से आदेश के प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तिथि अर्थात् 15 मार्च, 2019 तक की अवधि को 270 दिनों की गणना के लिये हटाई जाये, दिवाला प्रस्ताव प्राक्रिया की पूर्णता की स्वीकृति दी। आदेश में सीओसी को संभावित निवेशकों से अभिरूचि की नयी अभिव्यक्ति के आमंत्रण के लिये आगे बढ़ने का भी निर्देश दिया गया। तदनुसार, उक्त निर्देशों के अनुसार आरपी ने 29 मार्च, 2019 को नयी अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की है तथा इस तिथि तक छः अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्राप्त की है।

''आदेश तिथि 15.3.2018 के विरूद्ध एलएचजी द्वारा 29.04.2019 को माननीय एनसीएलटी के समक्ष अपील दाखिल की गई है। उक्त अपील लम्बित रहने की स्थिति में प्रस्ताव कर्मी ने लम्बित विवाचन के कारण समय अवधि में छूट की मांग करते हुए एक आवेदन दाखिल किया है। अतएव, विवाचन के लम्वित होने के कारण अपने आदेश तिथि 16.7.2019 के द्वारा माननीय एनसीएलटी ने 270 दिनों की गणना के प्रयोजन के लिये 73 दिनों की अवधि हटा दी है जो 11.7.2019, 29 अप्रैल (अपील दाखिल करने की तिथि) से 11.7.2019 को पूरी हुई। 73 दिनों की अवधि की गणना 17.9.2019 से की गई जो 28.9.2019 को समाप्त हो गई।''

एक अन्य आवेदन के द्वारा सीओसी ने आईबीसी संहिता की धारा 12(3) के आलोक में माननीय एनसीएलटी से एक्स्क्लूजन/ विस्तार की मांग की है जो निपटारे के अधीन लम्बित है। इसी बीच कम्पनी वर्तमान में सीआईआरपी से गुजर रही है तथा प्रस्ताव प्रक्रिया आईबीसी के प्रावधानों के अनुरूप प्रगति में हैं।

2. सीआईआर प्रक्रिया आरंभ होने के उपरांत यह कम्पनी संहिता के अनुसार गोइंग कसनी के रूप में प्रचालन में संलग्न है। चूंकि, निदेशक मंडल की शक्तियां निलम्बित हैं उपरोक्त परिणाम निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये हैं।
3. संहिता के अनुसार आरपी को कम्पनी के क्रेडीटरों द्वारा जमा की गई सभी दावे प्राप्त करने हैं। आरपी ने संहिता के अनुसार कम्पनी के विरुद्ध क्रेडीटरों द्वारा जमा की गई दावे का सत्यापन तथा अनुमोदन किया है। प्रस्ताव योजना लम्बित रहने की स्थिति में उन दावे का प्रभाव, यदि कोई हो, का वित्तीय विवरणों को तैयार करने में विचार नहीं किया गया है। पुनः सीआईआरपी आंरभ होने की तिथि (अर्थात् 20 दिसम्बर, 2017 से 30 सितम्बर, 2019 तक) से वित्तीय ऋण पर ब्याज का लेखा पुस्तकों में प्रावधान नहीं किया गया है तथा लाभ एवं हानि खाता में उसे प्रभारित किया गया है।
4. जारी कॉर्पोरेट दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया (जैसा कि नोट 1 एवं 2 में वर्णित है) का विचार करते हुए अप्रयुक्त कर हानियों तथा उपलब्ध एमएटी साख की वसूली की अनिश्चितता को इस चरण में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, आस्थगित कर (निवल) एवं उपलब्ध एमएटी क्रेडीटर के समायोजन को अवधि के दौरान लागू नहीं किया गया है।
5. कम्पनी की वर्तमान प्रचालन स्तर तथा जारी सीआईआरपी प्रक्रिया का विचार करते हुए क) निर्धारित परिसम्पत्तियों एवं टूल्स तथा डॉयज की आर्थिक मूल्य में इम्पेयरमेन्ट; ख) निवेशों की मूल्य में ह्रास, यदि कोई हो, को सुनिश्चित करना संभव नहीं है।
6. 31 दिसम्बर, 2019 को ट्रेड रिसीवैबल्स, ऋणों एवं अग्रिमों (जो पुष्टि एवं मिलान के अधीन है) में समूह की सत्ताओं के शेष शामिल हैं जो पुष्टि /मिलान के अधीन है तथा उसकी वसूली क्षमता की गणना प्रगति में है।
7. 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त अवधि के विशिष्ट मदों में बैड एवं संदिग्ध ऋणों के साथ ही साथ बैड डेब्ट्स का प्रावधान शामिल है। उसमें ऐसी ग्रुप कम्पनीज भी शामिल हैं जिनकी प्रस्ताव योजनाओं को एनसीएलटी में दिवाला एवं दिवालिया संहिता के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है।
8. यह कम्पनी कास्टिंग तथा स्टील उत्पादों के मशीनिंग के व्यवसाय में है तथा इस प्रकार इंड ए एस 108 ''प्रचालनों खंडों'' के अनुसार इसमें विवरण देने योग्य केवल एक ही खंड है।
9. कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों में वैदेशिक सहायक (बिक्री के लिये धारित) सात सहयोगी कम्पनियों तथा एक संयुक्त उपक्रम कम्पनी से संबंधित वित्तीय स्थिति शामिल है। यह ध्यान रहे कि कम्पनी के आर पी का उन सत्ताओं जिन्हें समेकित किया गया है पर कोई नियंत्रण / पहुंच नहीं है। वैदेशिक सहायक तथा संयुक्त उपक्रम कम्पनी की लेखाएं अनंकेक्षित हैं तथा उनका समेकित की जा रही सत्ताओं के प्रबंधन द्वारा प्रमाणन के आधार पर विचार किया गया है
10. एमटेक ग्लोबल टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. ('एजीटी') जिसमें कम्पनी की वैदेशिक सहायक (अर्थात्- एमटेक कुएप्पर जीएमबीएच) स्टेक धारित करता है, सिंगापुर में रिसीवरशिप के अधीन है तथा रिसीवर की नियुक्ति की गई है। चूकि, 30 सितम्बर, 2019 का नवीनतम वित्तीय परिणाम वैदेशिक सहायक को उपलब्ध / सुगम्य नहीं था, एमटेक कुएप्पर जीएमबीएच द्वारा धारित एजीटी में निवेश की गणना एजीटी के लिये 31 मार्च, 2017 के वित्तीय विवरणों के आधार पर की गई है।
11. 31 दिसम्बर, 2019 तथा 2018 को समाप्त तिमाही के आंकड़े सम्पूर्ण वित्त वर्ष तथा संबंधित वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही तक प्रकाशित वर्ष के आंकड़े के संदर्भ में अंकेक्षित आंकड़ों के बीच संतुलक आंकड़े हैं।
12. नगदी प्रवाह के एकल अनंकेक्षित विवरण परिशिष्ट में संलग्न हैं।
13. उसे चालू अवधि के साथ तुलनीय बनाने के लिये जहां भी आवश्यक हुआ, पूर्व अवधि के आंकड़े पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किये गये हैं।

तिथि: 13.2.2020
स्थान : नई दिल्ली

कैस्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के लिये

अजय कुमार
मुख्य वित्त अधिकारी

संजय अरोड़ा
पूर्णकालिक निदेशक

एटलस साईकल्स (हरियाणा) लिमिटेड

[Corporate Identity Number (CIN): L35923HR1950PLC001614]
पंजी. कार्या.: औद्योगिक क्षेत्र, एटलस रोड, सोनीपत-131001
Tel. : 0130-2200001 – 06, Fax : 0130-2200018, Website: www.atlasbicycles.com
E-mail- companysecretary@atlascycles.co.in

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही के लिए अनंकेक्षित (स्टैंडएलॉन एवं समेकित) वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार

(रु. लाखों में)

विवरण	स्टैंडएलॉन			समेकित		
	समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनंकेक्षित)	समाप्त नौमाही 31.12.2019 (अनंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनंकेक्षित)	समाप्त नौमाही 31.12.2019 (अनंकेक्षित)	समाप्त वर्ष 31.12.2018 (अनंकेक्षित)
परिचालनों से कुल आय	4972.71	14815.13	13529.97	4972.71	14815.13	13529.97
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/हानि (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	249.20	(1618.41)	(1584.16)	249.01	(1618.80)	(1584.99)
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/हानि (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	249.20	(1618.41)	(1584.16)	249.01	(1618.80)	(1584.99)
कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	166.85	(1341.24)	(1088.16)	166.66	(1341.63)	(1088.99)
अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	166.85	(1341.24)	(1088.16)	166.66	(1341.63)	(1088.99)
इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 5/– प्रति)	325.19	325.19	325.19	325.19	325.19	325.19
आय प्रति शेयर (सम मूल्य रु. 5/– प्रति का)(जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)						
मूलः	2.57	(20.62)	(16.73)	(2.56)	(20.63)	(16.74)
तरलः	2.57	(20.62)	(16.73)	(2.56)	(20.63)	(16.74)

टिप्पणी:
1. समूह के उपरोक्त स्टैंडएलॉन एवं समेकित वित्तीय परिणामों को कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली यथा संशोधित के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के अनुसार तैयार किया गया है।

ख) अनंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों में अधोलिखित के परिणाम शामिल हैं:
सहायकों: एटलस साईकल्स सोनीपत लि.
एटलस साईकल्स (साहिबाबाद) लि.
एटलस साईकल्स (मलनपुर) लि.

ग) उपरोक्त सेबी (सूचीयन तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंजों में दाखिल तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट (www.nseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.atlasbicycles.com) पर उपलब्ध है।

घ) 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के उपरोक्त अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 13.02.2020 को आयोजित उनकी बैठक में कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के परिणामों की कम्पनी के सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा समीक्षा की गई है।

बोर्ड के आदेश से
एटलस साईकल्स (हरियाणा) लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
ईश्वर दास चुघ
पूर्ण कालिक निदेशक
DIN: 00073257

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 13.02.2020

Bharat Rasayan Limited

Regd. Office: 1501, Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi-110008.
CIN: L24119DL1989PLC036264
Email: investors.brl@bharatgroup.co.in Website: www.bharatgroup.co.in

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2019 (₹ in lacs)

Particulars	Three months ended 31.12.2019 (Un-Audited)	Nine months ended 31.12.2019 (Un-Audited)	Three months ended 31.12.2018 (Un-Audited)
Total Income from Operations	22399	94407	18956
Net Profit before Tax and Exceptional Items	3546	16124	3083
Net Profit before Tax (after Exceptional Items)	3470	15876	3083
Net Profit after Tax (after Exceptional Items)	2507	12142	2135
Total Comprehensive Income (Comprising Profit/Loss after tax and other Comprehensive Income after tax)	2502	12127	2134
Equity Share Capital [4248740 shares of ₹10/- each]	424.87	424.87	424.87
Reserves (excluding Revaluation Reserves) as per Audited Balance Sheet of previous year	-	-	-
Earning per share (of ₹10/- each) [*Not annualised]			
- Basic	59.01 *	285.78 *	50.25 *
- Diluted	59.01 *	285.78 *	50.25 *

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of quarterly/nine months financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available at the Website of the Company (www.bharatgroup.co.in) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).
2 The above Un-Audited Financial Results for the third quarter ended December 31, 2019 were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at their meeting held on February 14, 2020.
3 The above Un-Audited Financial Results is furnished by the Statutory Auditors and approved by the Board of Directors of the Company as required under Regulation 33 of SEBI (LODR), Regulations, 2015.

BY ORDER OF THE BOARD
For BHARAT RASAYAN LIMITED
Sd/-
(S.N.GUPTA)
Chairman & Managing Director
DIN: 00024660

NEW DELHI
FEBRUARY 14, 2020

VLS FINANCE LIMITED

Regd. Office: 2nd Floor, 13, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi-110065, Ph: 91(11) 46656666
Fax: 91(11) 46656699 CIN: L65910DL1986PLC023129, Email: vls@vlsfinance.com; Website: www.vlsfinance.com

STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31st DECEMBER, 2019

(Rs. in Lakhs except Earning per share data)

Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
	Quarter Ended 31.12.2019	Nine Months Ended 31.12.2019	Quarter Ended 31.12.2018	Quarter Ended 31.12.2019	Nine Months Ended 31.12.2019	Quarter Ended 31.12.2018
	Unaudited					
	1	2	3	4	5	6
Revenue from continuing operations	544.97	(368.28)	547.47	584.80	(111.62)	565.63
Net Profit/(Loss) for the period before tax (Before Exceptional Items and or Extraordinary items) from continuing operations	(1,579.69)	(5,013.90)	(162.87)	(1,588.08)	(4,916.37)	(199.19)
Net Profit/(Loss) for the period before tax (After Exceptional Items and or Extraordinary items) from continuing operations	(1,579.69)	(5,013.90)	(162.87)	(1,588.08)	(4,916.37)	(199.19)
Net Profit/(Loss) for the period after tax (After Exceptional Items and or Extraordinary items) from continuing operatons	(1,658.98)	(4,434.78)	9.16	(1,677.85)	(4,348.74)	(25.75)
Net Profit/(Loss) for the period after tax (After Exceptional Items and or Extraordinary items) from discontinuing operatons	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net Profit/(Loss) for the period after tax (After Exceptional Items and or Extraordinary items) from continuing and discontinuing operatons	(1,658.98)	(4,434.78)	9.16	(1,677.85)	(4,348.74)	(25.75)
Total Comprehensive Income for the period(Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income for the period)	8,385.21	14,578.35	(521.00)	19,969.72	38,854.80	(55,031.90)
Paid Up Equity Share Capital (Face Value Rs.10/- Per Share)	3,878.42	3,878.42	3,878.42	3,878.42	3,878.42	3,878.42
Earning Per Share (before Extraordinary items) (of Rs.10/-each)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
-Basic (not annualised) (**)	(4.29)	(11.47)	0.02	(4.34)	(11.25)	(0.07)
-Diluted (not annualised) (**)	(4.29)	(11.47)	0.02	(4.34)	(11.25)	(0.07)
Earning Per Share (after Extraordinary items) (of Rs.10/-each)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
-Basic (not annualised) (**)	(4.29)	(11.47)	0.02	(4.34)	(11.25)	(0.07)
-Diluted (not annualised) (**)	(4.29)	(11.47)	0.02	(4.34)	(11.25)	(0.07)

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Periodical Financial Results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of Quarterly/Annual financial Results are available on the website of the Company (www.vlsfinance.com) and on the website of the stock exchanges viz. BSE Ltd (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Ltd.(www.nseindia.com). The specified items of the standard financial results of the Company for the quarter and Nine months ended December 30, 2019 are given above.
2. The Company has adopted Indian accounting standards ('IND AS') with effect from 1 April, 2019 and consequently, these financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in 'IND AS 34-interim Financial Reporting' prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013, read with relevant rules issued there under and other accounting principles generally accepted in India. The date of transition to Ind AS is 1 April,2018 and the impact of transition has been accounted for in opening reserves and the comparative period results disclosed here are restated accordingly. However, the opening balance sheet as at 1 April, 2018 and the results of the subsequent periods would get finalised alongwith the annual financial statements for the year ended 31 March, 2020.
3. The above un-audited financial results for the quarter ended on 31.12.2019 were approved and taken on record in the Board meeting held on 13.02.2020 after being reviewed and recommended by the Audit Committee on the same date.
4. Previous period figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to conform to current period classification.

By order of the Board
for VLS Finance Limited
S.K. AGARWAL
Managing Director
DIN:00106763

Place : New Delhi
Date : 13-02-2020

www.readwhere.com

पंजाब नैशनल बैंक — punjab national bank

सामान्य सेवाएँ प्रशासन प्रभाग
प्रधान कार्यालय, प्लाट सं 4, सेक्टर–10, द्वारका नई दिल्ली–110075
hogad@pnb.co.in; hoinsurance@pnb.co.in

स्टाफ के ऋण बकाया को कवर करने वाली तीन ग्रुप मियादी जीवन बीमा नीतियों के लिए बोली प्रेषित करने हेतु सूचना

पंजाब नैशनल बैंक आरएफपी में उल्लिखित विवरण के अनुसार भारत की पंजीकृत जीवन बीमा कंपनियों से "कर्मचारी ऋण बकाया" को कवर करने वाली तीन ग्रुप मियादी जीवन बीमा नीतियों के नए प्रस्ताव पर सीलबंद बोलियां आमंत्रित करता है।
विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट **https://www.pnbindia.in/Tender.aspx** पर जाएँ
पात्र कंपनिया अपनी बोलियाँ **28 फरवरी 2020 अप० 3.00 बजे** तक या इससे पहले मुख्य प्रबंधक, पंजाब नैशनल बैंक, सामान्य सेवाएँ प्रशासन प्रभाग, प्रधान कार्यालय, प्लाट सं 4, सेक्टर – 10, द्वारका नई दिल्ली – 110075 को प्रेषित करें।

मुख्य प्रबंधक
(98166–10262)

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 11वां तल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई–400013, CIN No. U67190MH2008PLC187552

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निमाण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित रूप में जारी कर ऋणधारकों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित तिथि से उस पर ब्याज तथा दंड ब्याज, चार्जेज, लागत आदि के साथ नीचे वर्णित राशि के लिये टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधान के प्रति आकृष्ट की जाती है।

ऋण खाता सं.	देनदार/ सांविधिक उत्तराधिकारी/ सांविधिक प्रतिनिधि (यों) का नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि	कब्जा की तिथि
10048203	श्रीमती विशु धींगरा (श्री जतिन धींगरा के कानूनी उत्तराधिकारी) ऋणधारक के रूप में	29 मई, 2019 को रु. 14,69,554/– (रुपये चौदह लाख उन्हत्तर हजार पांच सौ चौवन मात्र)	11.02.2020

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/ अचल सम्पत्तियों का विवरणः बिक्री प्रलेख में वर्णित सामान्य सुविधाओं के साथ बांके बिहारमन नगला जिला बरेली (उ.प्र.)–243001, क्षेत्रफल माप 58.52 वर्ग मी. में स्थित प्लॉट खसरा नं. 627 पर निर्मित आरसीसी रूफ प्रथम ग्रेड सहित छत के शीर्ष माप 63.54 वर्ग मी. के साथ पोर्च के साथ आवासीय एक रूम, एक ड्राइंग रूम, लॉबी तथा बाथरूम, किचन तथा सीढ़ियों का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दी इस प्रकार हैः उत्तरः 12 फीट चौड़ा रोड, दक्षिणः प्लॉट फौजी, पूर्वः मोहन सक्सेना की सम्पत्ति, पश्चिमः अल्पना सिन्हा का मकान।

तिथिः 15.2.2020 — हस्ता./–प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः बरेली, उ.प्र. — टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के लिए

फार्म जी
अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण
(दिवाला तथा दिवालिया (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36 ए (1) के अंतर्गत)

	संबंधित विवरण	
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	के एस टी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	28.02.2006
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/ पंजीकृत हैं	कम्पनी रजिस्ट्रार, भारत सरकार में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत
4.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान संख्या/ सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74899DL2006PLC146934
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	257, आत्मा राम स्टील, मैन मार्केट बदरपुर नई दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली डीएल 110044
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	27.03.2019
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	14.02.2020
8.	संहिता की धारा 25(2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता उपलब्ध हैः	यह विवरण cirp.kstinfrastructure@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
9.	धारा 29ए के अंतर्गत लागू होने वाले अयोग्यता का मानक उपलब्ध है।	यह विवरण cirp.kstinfrastructure@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि	29.02.2020 के 5.00 बजे अप. तक
11.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सूची जारी होने की तिथि	04.03.2020
12.	अस्थाई सूची के प्रति आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि	09.03.2020
13.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी होने की तिथि	19.03.2020
14.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि	9.3.2020
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका	क्रम सं. 8 में निर्दिष्ट रूप से योग्य संभावित प्रस्ताव आवेदक नान–डिस्क्लोजर एग्रीमेन्ट/अंडरटैकिंग निष्पादित करने के बाद इलेक्ट्रानिक पद्धति में ईमेल द्वारा अनुरोध भेजकर प्राप्त कर सकते हैं।
16.	प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि	9.4.2020
17.	प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका	मुहरबंद लिफाफे में डाक द्वारा अथवा हाथों–हाथ जिसके बाद ईमेल पुष्टि की जायेगी।
18.	स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि	24.04.2020
19.	प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	संदीप चन्दना (आरपी के रूप में कार्यरत आईआरपी) IBBI/ IPA-002/ IP-N00447/ 2017-18/11237
20.	बोर्ड में यथा–पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई–मेल	संदीप चन्दना, # 23, भू तल, ए–ब्लॉक, साउथ सिटी–2, सेक्टर–49, सोहना रोड, गुड़गांव–122018 cssandeep@live.in
21.	प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल	संदीप चन्दना, # 23, भू तल, ए–ब्लॉक, साउथ सिटी–2, सेक्टर–49, सोहना रोड, गुड़गांव–122018 cirp.kstinfrastructure@gmail.com
22.	विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं	cirp.kstinfrastructure@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
23.	फार्म जी के प्रकाशन की तिथि	14.02.2020

संदीप चन्दना
अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल
तिथिः 13.02.2020 — IBBI/IPA-002/IP-00447/2017-18/11237
स्थानः गुरुग्राम

एसपीएस इन्टरनेशनल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट न० एफ 6-7, एफआईटी, सेक्टर 57, फरीदाबाद, हरियाणा- 121004
CIN: L74140HR1993PLC031900
ई–मेल: radhamony.nair@gmail.com; **वेबसाइट**: www.spsintl.co.in; **दूरभाष**: 9810568630

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय एकीकृत उद्वरित परिणाम (रू० लाखों में)

क्र सं०	विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनअंकेक्षित)	वर्ष से तिथि तक वर्तमान अवधि के समाप्त आकड़े 31.12.2019 (अनअंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनअंकेक्षित)
1	आय			
	क) संचालन से राजस्व	1265.40	2578.53	2,138.81
	ख) अन्य आय	78.08	142.4	109.06
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	20.52	75.09	132.46
3	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) कर से पहले (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	20.52	75.09	132.46
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	14.67	53.69	99.35
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/(हानि) शामिल (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) (संदर्भ नोट न० 2)	14.67	53.69	99.35
6	इक्वीटी शेयर पूँजी (सममूल्य रू० 10/-)	322.59	322.59	322.59
7	रिजर्व (रिवेलूवेसन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि पिछले वित्तीय वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया)	448.26	448.26	243.65
8	प्रति शेयर आय (रू० 10/- प्रति) (संचालन जारी रखने एवं बंद करने के लिए)			
	मूल:	0.45	1.66	3.08
	तरल:	0.45	1.66	3.08

Notes:
1. सेबी (सूची ओब्लीगेसन एण्ड प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियम 33 के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2019 को उपरोक्त समाप्त तिमाही उद्वरित अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विस्तारित स्वरूप स्टॉक एक्सचेन्ज में दाखिल किया गया। अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विस्तारित स्वरूप कम्पनी की वेबसाइट (www.spsintl.co.in) साथ में स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध है।
2. कम्पनी ने 1 अप्रैल, 2017 इण्डियन एकाऊंटिंग स्टेन्डर्ड ("आईएनडी एएस") ग्रहण कर लिया है एवं तद्नुसार ये वित्तीय परिणाम कम्पनीज अधिनियम, 133 की धारा 2013 के अन्तर्गत साथ में पठित प्रासांगिक नियमों के अन्तर्गत जारी एवं अन्य एकाऊटिंग सिद्वान्तों एएस 34 "अंतरिम वित्तीय रिर्पोटिंग" मान्यता एवं साधारणतया इण्डिया में मान्य मापक सिद्वान्तों के अनुसार तैयार किये गये।

मंडल की ओर से
कृते एसपीएस इन्टरनेशनल लिमिटेड
हस्ता०/–
सुरेन्द्र कुमार जैन
प्रबन्ध निर्देशक
स्थान: फरीदाबाद
तिथि: 14 फरवरी, 2020

SONAL MERCANTILE LIMITED

CIN : L51221DL1985PLC022433
Registered Office : 372, Vardhman Plaza, III Floor, Sector-3, Rohini, Delhi 110085, Tel. 011-49091417
Website : www.sonalmercantile.in, E.mail id : sonalmercantile@yahoo.in

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ENDED DECEMBER 31, 2019 (Rupees in lakhs)

S. No.	Particulars	Standalone Quarter Ended 31.12.2019 (Unaudited)	Standalone Half Year Ended 30.09.2019 (Unaudited)	Standalone Quarter Ended 31.12.2018 (Unaudited)	Consolidated Quarter Ended 31.12.2019 (Unaudited)	Consolidated Half Year Ended 30.09.2019 (Unaudited)	Consolidated Nine Months ended 31.12.2018 (Unaudited)
1	Revenue from operations	347.01	360.55	158.57	347.01	360.55	978.05
2	Net Profit from ordinary activities before tax	43.97	87.59	33.16	174.42	87.89	510.30
3	Net Profit for the period after tax (after						
	Extraordinary items)	33.09	66.93	24.47	163.53	66.93	454.34
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	33.09	66.93	24.47	299.79	830.70	761.81
5	Equity paid up share capital	1,473.85	1,473.85	1,473.85	1,473.85	1,473.85	1,473.85
6	Earnings per share (Quarterly not annualised) :						
	Basic (₹)	0.22	0.45	0.17	(2.03)	5.64	5.17
	Diluted (₹)	0.22	0.45	0.17	(2.03)	5.64	5.17

Notes:
1. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee & approved by the Board of Directors at their meeting held on 13th February, 2020. The Statutory auditors have conducted a limited review of the above Financial Results.
2. The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended December 31st, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Results are available on the Stock Exchange website i.e. www.bseindia.com and on the company website www.sonalmercantile.in.
3. Previous period figures have been regrouped wherever necessary to conform to the current period classification.
4. As this is the first time consolidated results for 6 months and quarter ended September 2019 are submitted, comparable 6 months and quarter for September 2018 have not been prepared.

For and on behalf of
Sonal Mercantile Limited
Sd/-
Vikram Goyal
Whole Time Director
Place : New Delhi
Date : 13th February 2020

PUSHPSONS INDUSTRIES LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC059950
Registered Office : B-40, Okhla Industrial Area,Phase-I,New Delhi-110020
Email: info@pushpsons.com Phone: 011-41610121 Fax: 011-41058461

Extract of the Standalone Un-audited Financial Results for the Quarter ended December 31, 2019

(Rs. In Lakhs)

Sl. No.	Particulars	3 Months ended 31/12/2019 (Un-audited)	9 Months ended 31/12/2018 (Un-audited)	3 Months ended 31/12/2018 (Un-audited)
1	Total income from operations	128.45	224.05	64.25
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	25.65	19.81	-2.91
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	25.65	19.81	-2.91
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	25.65	19.81	-2.91
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	25.75	18.66	-6.35
6	Equity Share Capital	527.05	527.05	527.05
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	0.00	-178.56	0.00
8	Earning Per Share (of Rs. 10/- each)(for continuing and discontinued operations) -			
	Basic :	0.55	0.40	-0.14
	Diluted :	0.55	0.40	-0.14

Notes:
a) The above is an extract of the detailed format of Statement of Standalone Un-audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly / year ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com), and on the Company's website (www.pushpsons.com)
b) The Limited Review as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, has been completed and the related report forwarded to the Stock Exchanges. This report does not have any impact on the Results and Notes for the quarter ended 31st December, 2019 which needs to be explained.
c) Previous period figures have been regrouped/rearranged wherever necessary.

for Pushpsons Industries Limited
Sd/-
Pankaj Jain
Director
DIN: 00001923
Place : New Delhi
Dated : 14.02.2020

वसूली अधिकारी का कार्यालय
ऋण वसूली न्यायाधिकरण–I, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

आर.सी. सं. 426/18 — बिक्री उद्घोषणा

बैंक ऑफ इंडिया बनाम श्री सुनील कुमार चौधरी

बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के तहत बिक्री की उद्घोषणा

सीडी1: श्री सुनील कुमार चौधरी, प्रोपराइटर मैसर्स एस. आर. चौधरी एंड कंपनी, एफ –130/ए, गौतम नगर, नई दिल्ली –110049
सीडी2: श्रीमती अंजू सिंह, एफ –130/ए, गौतम नगर, नई दिल्ली –110049

चूंकि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण–I द्वारा वसूली प्रमाणपत्र 426/18 के ओ.ए. नं. 27/2013 दिनांक 18.09.2018 के अनुसार रु. 57,70,821/ (रुपए सत्तावन लाख सत्तर हजार आठ सौ इक्कीस मात्र) की राशि 11.02.2013 की तिथि से 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ, जब तक पूर्ण रूप से इसकी प्राप्ति और रुपये 60,000/– की लागत की वसुली भी बकाया है।
2. और चूंकि अधोहस्ताक्षरी ने कथित वसूली प्रमाणत्र के सापेक्ष में अनुसूचि में वर्णित सम्पत्ति की ब्रिकी के आदेश दिये है।
3. चूंकि **रु. 57,70,821/ (रुपए सत्तावन लाख सत्तर हजार आठ सौ इक्कीस मात्र)** की देय राशि 11.02.2013 की तिथि से 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ, जब तक पूर्ण रूप से इसकी प्राप्ति और रुपये 60,000/– की लागत की वसुली भी बकाया है।
4. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में **19.03.2020 को अप. 03.00 बजे से अप. 04.00 बजे के बीच,** यदि जरूरी हो, तो अप. 04.00 बजे के बाद, समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में बोली के मामले में स्वतः विस्तार उपबंध के साथ, ई–नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली **"ऑन लाइन इलेक्ट्रानिक बोली" द्वारा वेबसाइट https://drt.auctiontiger.net के माध्यम से** लगेगी।
5. उपरोक्त नामित सीडी के नीचे अनुसूचि में वर्णित सम्पति की ब्रिकी की जाएगी और कथित सम्पति पर देनदारियां एवं दावें जिनके बारे में अब तक पता चला है उन्हें प्रत्येक लॉट के आगे अनुसूचि में विनिर्देशित किया गया हैं।
6. अनुसूचि में विनिर्देशित सम्पति के लॉट ब्रिकी के लिए रखा जाएगा। यदि सम्पति के किसी एक भाग की ब्रिकी पर राशि की वसूली हो जाती है तो नीलामी को तुरंत रोक दिया जाएगा। ब्रिकी को उस स्थिति में भी रोक दिया जाएगा यदि ब्रिकी आयोजित करने वाले अधिकारी को कथित प्रमाणपत्र में वर्णित बकाया राशि, ब्याज लागत (ब्रिकी की कीमत सहित) की वसूली हो जाती है या अधोहस्ताक्षरी के पास नीलामी से पहले प्रमाणपत्र में दर्ज बकाया राशि, ब्याज एवं लागत का भुगतान करने का प्रमाण सौंप दिया जाता है।
7. कोई भी अधिकारी या व्यक्ति जिसकी डयूटी ब्रिकी से जुड़ी है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पति की ब्रिकी में भाग लेने का कोई प्रयास नहीं करेगा।
8. ब्रिकी आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित शर्तो और इसके अधीन बनाये गये नियमों और आगे की शर्तो का पालन करते हुए की जाएगी।
8.1 सलंग्न सूची में विनिर्देशित विवरण अधोहस्ताक्षरी के ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार वर्णित किये गये हैं लेकिन अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, मिथ्या कथन या गलत विवरण होने पर जवाबदेय नहीं होगा।
8.2 आरक्षित मूल्य जिससे कम मूल्य पर सम्पति नहीं बेची जाएगी वह **रु. 78.00 लाख** हैं।
8.3 इच्छुक बोलीदाता को **रुपये 7.80 लाख** धरोहर जमा राशि (ईएमडी) के रूप में **17.03.2020 को सांय 5.00 बजे तक "वसूली अधिकारी–I, डीआरटी–I, दिल्ली खाता आर सी नं. 426/2018"** के पक्ष में देय डीडी/पे आर्डर द्वारा जमा करना होगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई–नीलामी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा। उक्त जमा राशि को सफल बोलीदाताओं के मामले में समायोजित किया जाएगा। असफल बोलीदाता ई–नीलामी ब्रिकी प्रक्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद कार्यालय वसूली अधिकारी–I, डीआरटी–I, दिल्ली से अपनी ईएमडी वापिस प्राप्त कर सकते हैं।
8.4 इच्छुक बोलीदाता जो वसूली अधिकारी–I, डीआरटी–I दिल्ली के कार्यालय में **17.03.2020 को सांय 5.00 बजे तक** पैन कार्ड, पहचान पत्र, पते का प्रमाण आदि या अन्य दस्तावेज के साथ अपनी बोली, जो आरक्षित मूल्य से कम नही हो जमा करेंगे, केवल उन्हें **19.03.2020 को अप. 03.00 बजे से अप. 04.00 बजे** के बीच आयोजित ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। यदि नीलामी खत्म होने के अंतिम 5 मिनट में बोली लगाई जाती है तो समाप्त अवधि स्वतः ही 5 मिनट विस्तारित कर दी जाएगी।
8.5 वह राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाएगी **रु. 25,000/– (रुपए पच्चीस हजार मात्र)** है। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से सबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिक्री पर लगाया जाएगा।
8.6 सफल/उच्चतम बोली लगाने वाले को किसी भी लॉट का खरीदार घोषित किया जाएगा, बशर्ते कि उसके द्वारा बोली की राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को स्वीकार/अस्वीकार कर सकते हैं।
8.7(1) सफल/उच्चतम बोलीदाता को बोली/बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि, का डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर वसूली अधिकारी–I, डीआरटी–I, दिल्ली, खाता **आर.सी. सं. 426/2018** के पक्ष में ई–नीलामी के समापन के बाद के 24 घंटे के भीतर और धरोहर जमा राशि (ईएमडी) को समायोजित करने के बाद और इस मूल्य को वसूली अधिकारी–I के कार्यालय में भेजें/जमा करें, इसीलिए ई–नीलामी के समापन होने के बाद से 3 दिनों के भीतर पहुंच जाए, अन्यथा, धरोहर जमा राशि (ईएमडी) को जब्त कर लिया जाएगा।
8.7(2) सफल/उच्चतम बोली लगाने वाले बोलीदाता को सम्पति की ब्रिकी की शेष 75 प्रतिशत राशि नीलामी ब्रिकी की तिथि से 15वें दिन के अन्दर या 15वें दिन अवकाश पड़ता है तो इसके बाद आने वाले पहले दिन वसूली अधिकारी–I, डीआरटी–I, दिल्ली खाता **आर सी नं. 426/2018** के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के साथ रजिस्ट्रार, डीआरटी–I दिल्ली के पक्ष में रू. 1000/– तक 2 प्रतिशत की दर से पाउंडेज शुल्क और रू. 1000/– से अधिक सकल राशि पर 1 प्रतिशत की दर से पाउंडेज शुल्क को जमा करना होगा (डाक द्वारा शेष 75 प्रतिशत राशि जमा करने पर यह उपरोक्त अनुसार वसूली अधिकारी के पास पहुंच जानी चाहिए)।
8.8. निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक की स्थिति में, सम्पत्ति की बिक्री नए सिरे से की जाएगी। ऐसी बिक्री से पहले उसकी नई उद्घोषणा जारी की जाएगी। बोलीदाता द्वारा पहले जमा की गई राशि, यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, बिक्री के व्यय काटने के बाद, सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता क्रेता के, सम्पत्ति अथवा उसके किसी अंश अथवा सम्पत्ति की पुर्नबिक्री से प्राप्त होने वाली राशि के किसी अंश के संबंध में, सभी दावे जब्त मान्य होंगे।
9. सम्पत्ति की बिक्री **"जैसा है जहां है" तथा "जो है जैसा है आधार"** पर की जा रही है।
10. अधोहस्ताक्षरी द्वारा नीलामी अप्रसांगिक पाए जाने पर किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने अथवा किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, नीलामी प्रास्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।

सम्पत्ति की अनुसूची

सह–मालिकों के नाम से बिक्री की जा रही सम्पत्ति का वर्णन जहां संपत्ति डिफॉल्टर की है और किसी अन्य व्यक्ति को सह–मालिकों के रूप में	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व	सम्पत्ति के संबंध में देय किसी ऋणभार का विवरण	दावे, यदि कोई हो, जो सपत्ति के लिए आगे रखा गया है, और कोई भी अन्य ज्ञात विशेष इसकी प्रकृति और मूल्य पर असर डालते हैं
गौतम नगर, ग्राम मस्जिद मोठ, नई दिल्ली स्थित सम्पत्ति सं. 130ए का भूतल, खसरा सं. 82 एवं 83 फ्रंट पोर्शन तथा द्वितीय तल पर रियर पोर्शन।	कोई जानकारी प्राप्त नहीं हैं।		

मेरे हस्ताक्षर और मोहर के साथ दिनांक 22.01.2020 को जारी किया गया।
(संजू स्नेही)
वसूली अधिकारी–I, डीआरटी–I, दिल्ली

MODIPON LIMITED

Registered Office : Hapur Road, Modinagar- 201 204 (U.P.)
CIN : L65993UP1965PLC003082

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter & Nine Months ended 31st December, 2019 (In ₹ Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 31.12.2019 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2018 (Unaudited)	Quarter ended 30.09.2019 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2019 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2018 (Unaudited)	For the Year ended as on 31.03.2019 (Audited)
1	Total income from operations (net)	-	-	-	-	-	-
2	Net Profit / (Loss) from ordinary activities before tax and Exceptional items	(99.20)	(117.11)	(95.67)	(295.09)	(341.80)	(495.35)
3	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax (before Exceptional items)	(99.20)	(117.11)	(95.67)	(295.09)	(341.80)	(495.35)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	(99.20)	(282.31)	(95.67)	(295.09)	(507.00)	(795.55)
5	Total comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax)]	(99.20)	(282.31)	(95.67)	(295.09)	(507.00)	(795.55)
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs 10/- each)	1157.67	1,157.67	1,157.67	1,157.67	1,157.67	1,157.67
7	Earnings Per Share (before Exceptional items) of Rs 10/- each						
	Basic (Rs)	(0.86)	(2.44)	(0.83)	(2.55)	(4.38)	(6.87)
	Diluted (Rs)	(0.86)	(2.44)	(0.83)	(2.55)	(4.38)	(6.87)
8	Earnings Per Share (after exceptional items) of Rs 10/- each						
	Basic (Rs)	(0.86)	(2.44)	(0.83)	(2.55)	(4.38)	(6.87)
	Diluted (Rs)	(0.86)	(2.44)	(0.83)	(2.55)	(4.38)	(6.87)

Note : The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Yearly Financial Results are available on the Company's Website at www.modipon.in and also be accessed on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com.

For & on behalf of Board of Directors
Sd/-
(Manish K. Modi)
Managing Director
DIN 00030036
Place : New Delhi
Date: 14.02.2020

CENLUB — सेनल्यूब इंडस्ट्रीज लिमिटेड

प्लाट नं. 233–234, सेक्टर–58, बल्लभगढ़, फरीदाबाद–121004, (हरियाणा)
फोन: 91-8826794470-73 **फैक्स:** 91 (129) 2307263 **वेबसाइट:** http://www.cenlub.in
कॉर्पोरेट पहचान संख्या: L67120HR1992PLC035087 **ईमेल:** investors@cenlub.in

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए स्टैंडअलोन अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण (रू लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 30.09.2019 (अनंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनंकेक्षित)	समाप्त नौमाही 31.12.2019 (अनंकेक्षित)	समाप्त नौमाही 31.12.2018 (अनंकेक्षित)	समाप्त वर्ष 31.03.2019 (अंकेक्षित)
1	परिचालनों से कुल आय	779.32	1,085.78	1,153.54	2,918.87	3,459.96	4955.78
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर और विशिष्ट मदों से पूर्व)	(40.46)	81.46	121.44	133.73	426.88	718.91
3	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर से पूर्व विशिष्ट मदों के बाद)	63.36	81.46	121.44	237.55	496.32	718.91
4	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर, विशिष्ट मदों के बाद)	62.44	57.15	86.44	186.54	376.32	494.15
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	62.62	56.27	85.93	185.60	374.29	489.90
6	इक्विटी शेयर पूंजी	466.29	466.29	466.29	466.29	466.29	466.29
7	प्रति शेयर आय (रू 10/– प्रति) (चालु व बंद प्रचालनों के लिए)						
	बेसिक:	1.34	1.23	1.84	4.02	8.03	10.60
	डायल्यूटिड:	1.34	1.23	1.84	4.02	8.03	10.60

टिप्पणी:
1. 14 फरवरी, 2020 को आयोजित बैठक में उपरोक्त अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखा समिति द्वारा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए अनंकेक्षित परिणामों की समीक्षा की है।
2. कंपनी के ये वित्तीय परिणाम कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 के नियम 3, कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) संशोधन नियम, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के संदर्भ, सेबी परिपत्र दिनांक 5 जुलाई, 2016 एवं भारत में सामान्यतया स्वीकार्य अन्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसरण में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अनुसार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) के अनुरूप तैयार किये गये हैं।
3. उपरोक्त अनंकेक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.cenlub.in और बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com भी उपलब्ध हैं।

कृते सेनल्यूब इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता/–
विजेंद्र कुमार मित्तल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(DIN: 00006398)
स्थान: फरीदाबाद
तिथि: 14 फरवरी, 2020

कार्यालय वसूली अधिकारी–I
ऋण वसूली अधिकरण–III, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली – 110 001

आर. सी. सं. 347/16 — **बिक्री उद्घोषणा** — दिनांकित : 07.01.2020

बिक्री की उद्घोषणा आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत को बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 की ऋण वसूली के साथ पढ़ा जाये।

भारतीय स्टेट बैंक बनाम मैसर्स कोयो टैक इलैक्ट्रो प्रा. लि. एवं अन्य

सेवा में,
सीडी नं. 1 मैसर्स कोयो टैक इलेक्ट्रो प्राइवेट लि., पंजीकृत कार्यालय 24बी, श्रीराम रोड, सिविल लाइंस, नई दिल्ली – 110054 और : डी–32, सैक्टर 63, नोएडा– 201307, और: प्लॉट नं. 9, राम नगर इंडस्ट्रियल ईस्टेट, रुड़की – 247667, और: फ्लैट नं. 4बी और 5बी पर परिसर नं. 5सी, अलीपुर पार्क रोड, पुलिस स्टेशन, अलीपुर 24 पीजीएस (दक्षिण), कोलकाता 700027, पश्चिम बंगाल
सीडी नं. 2. श्री विराज अग्रवाल पुत्र श्री अनिल अग्रवाल, निदेशक और गारंटर, मैसर्स कोयो टैक इलेक्ट्रो प्राइवेट लि., 24बी, श्री राम रोड, सिविल लाइंस, नई दिल्ली 110054। और: डी–32, सैक्टर–63, नोएडा – 201307, और: प्लॉट नं. 9, राम नगर औद्योगिक ईस्टेट, रुड़की – 247667, और: ए–2, महारानी बाग, नई दिल्ली – 110065, और : फ्लैट नं. 4बी और 5बी, परिसर नं. 5सी, अलीपुर पार्क रोड, पुलिस स्टेशन, अलीपुर 24 पीजीएस (दक्षिण), कोलकाता 700027, पश्चिम बंगाल
सीडी नं. 3. मैसर्स पोलरॉन मार्केटिंग लि., पंजीकृत कार्यालय: 113, पार्क स्ट्रीट, 8 वां मंजिला, कोलकाता – 700016, और: डी–32, सैक्टर –63, नोएडा –201307, और: फ्लैट नं. 4बी और 5बी, परिसर नं 5 सी, अलीपुर पार्क रोड, पुलिस स्टेशन, अलीपुर 24 पीजीएस (दक्षिण), कोलकाता 700027, पश्चिम बंगाल

जैसा कि आप पीठासीन अधिकारी, **ऋण वसूली अधिकरण–III, दिल्ली ओ ए. सं 371/2014/डीआरटी–III दिल्ली में आपके द्वारा देय रु. 5,40,41,664.82 (रु. पाँच करोड़ चालीस लाख इक्तालीस हजार छः सौ चौसठ और पैसे ब्यासी मात्र) दिनांक 27.06.2014 से प्रभावी 13 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज एवं लागतों का प्रमाण–पत्र के अनुसार भुगतान करने में असफल रहे।**
और जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रमाणपत्र की संतुष्टी हेतु निम्नानुसार अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कोई स्थगन के किसी आदेश के अभाव में उक्त सम्पत्ति को सार्वजनिक नीलामी द्वारा 19.03.2020 को अर्पा. 03.00 बजे से अर्पा. 04.00 बजे के बीच (स्वतः विस्तार खण्ड के साथ यदि बंद होने से पहले अंतिम 5 मिनट में बोली अपेक्षित होती है) ई–नीलामी तथा बोली प्रक्रिया होगी जो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के द्वारा वेबसाइट **http://www.drt.auctiontiger.net** पर **मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज प्रा. लि., (एबीसी प्रोक्योर) ए–201/208, वॉल स्ट्रीट – II, ओरियंट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद–380006, गुजरात इण्डिया, फोन नं. +91 079 61200594/598/587/538** के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेची जाएगी। किसी पूछताछ के लिए **श्री नितिश झा, मोबाइल नंबर 7982880393, ई–मेल : delhi@auctiontiger.net, supoort@auctiontiger.net से सम्पर्क करें।**
अन्य विवरण हेतु श्री नारायण सिसोदिया, सी एच बैंक के ऑफिसर, मो. 9821130230 से सम्पर्क करें।
उपरोक्त नाम के प्रतिवादी की सम्पत्ति की बिक्री उपरोक्तानुसार सम्पत्ति के लिए संलग्न देनदारियां एवं दावें को जैसा अभी तक निर्धारित किया गया है, वे प्रत्येक लॉट के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।
बिक्री से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति की बिक्री के लिए बोली अधिग्रहण अथवा प्रयास नहीं करेगा। **आयकर अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची के शर्तों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शर्तों के अनुरुप ही बिक्री की जाएगी।**
बिक्री उदघोषणा की अनुसूची में उल्लेखित विवरण को अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है, परन्तु अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटि, गलत बयान बाजी अथवा उदघोषणा में चूक होने पर जिम्मेदारी नहीं होगी।
1. सम्पत्ति का विवरण, आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि निम्नानुसार है।

क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि(ईएमडी)
1.	फ्लैट नं. 4बी, परिसर नं 5 सी, अलीपुर पार्क रोड पुलिस स्टेशन, अलीपुर 24 पीजीएस (दक्षिण), कोलकाता 700027, पश्चिम बंगाल	रु. 2,18,70,000/–	रु. 21,87,000/–
2.	फ्लैट नं. 5बी, परिसर नं 5 सी, अलीपुर पार्क रोड पुलिस स्टेशन, अलीपुर 24 पीजीएस (दक्षिण), कोलकाता 700027, पश्चिम बंगाल	रु. 2,18,70,000/–	रु. 21,87,000/–

सम्पत्ति धरोहर राशि से कम पर नहीं बेची जाएगी।
2. बोली, **कम से कम रू. 1,00,000/– (रु. एक लाख मात्र) बढ़ाई जा सकेगी।** बोली अथवा बोलीदाता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में लॉट की नीलामी दोबारा की जाएगी। यदि उपलब्ध कोई भी बोलीदाता अपनी बोली नहीं बढाता है तब सर्वप्रथम प्राप्त ईएमडी अधोहस्ताक्षरी द्वारा आगे विचार हेतु रोक कर रखी जा सकती है।
3. किसी लॉट के उच्चतम बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाएगा। उच्चतम बोली को अस्वीकार करना अधोहस्ताक्षरी का विवेकाधिकार होगा, यदि पेश की गई ऑफर उसको स्वीकार किए जाने हेतु स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत होती है।
4. इच्छुक बोलीदाताओं को धरोहर राशि **पे आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो कि "Recovery Officer-I, DRT-III, Delhi** के पक्ष में दिल्ली में देययोग्य हो को वसूली अधिकारी –I डीआरटी–III, दिल्ली को दिनांक 17.03.2020 तक देनी होगी। धरोहर राशि इसके पश्चात नीलामी के लिए स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. पैन कार्ड की प्रति, पते का प्रमाण तथा पहचान प्रमाण, ई–मेल आई डी, मोबाईल नम्बर और इस आशय की उदघोषणा कि वे स्वयं की ओर से या अपने स्वामी की ओर से बोली लगा रहे हैं, जमा करनी होगी। स्वामी की ओर से बोली लगाने वाले मामलों में बोली लगाने वाले को अपना प्राधिकार पत्र जमा करना होगा वरना बोली अस्वीकार कर दी जाएगी। कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की कम्पनी प्रति या कम्पनी के अटार्नी/प्रतिनिधित्व को पुष्ट करने वाले अन्य कोई आलेख्य तथा ऐसी जमा रसीद/काउन्टर फाइल कथित तिथि तक ई–मेल या अन्यथा द्वारा कथित सेवा प्रदाता या सी एच बैंक तक पहुंच जानी चाहिए और इसकी हार्ड कॉपी (स्थूलप्रति) वसूली अधिकारी–I, डीआरटी–III, दिल्ली के कार्यालय में जमा करना होगा।
6. सफल बोलीदाता को अपनी अंतिम बोली का 25 प्रतिशत राशि, ईएमडी समायोजन के बाद, अगले बैंक कार्य दिवस को अर्थात अप. 03.00 बजे तक ऊपर में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी।
7. क्रेता को अंतिम बोली की 75 प्रतिशत राशि सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15 वें दिन को अथवा पूर्व जमा करनी होगी। यदि 15वां दिन रविवार या अवकाश है तब 15वें दिन के बाद पहले बैंक कार्य दिवस को ऊपर पैरा 4 में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त **क्रेता को रू. 1,000/– तक बिक्री मूल्य के 2 प्रतिशत की दर पर तथा रू. 1,000/– से अधिक पर बिक्री मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर पाउण्डेज फीस रजिस्ट्रार, डीआरटी–III, दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा वसूली अधिकारी–I, डीआरटी–III, दिल्ली के पास जमा करना होगा।**
8. **इच्छुक बोलीदाताओं हेतु सम्पत्ति का निरीक्षण दिनांक 13.03.2020 को पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पा. 04.00 बजे के बीच किया जा सकता है।**
9. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में, सम्पत्ति की बिक्री नए सिरे से की जाएगी। ऐसी बिक्री से पहले उसकी नई उदघोषणा जारी की जाएगी। बोलीदाता द्वारा पहले जमा की गई राशि, यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, बिक्री के व्यय काटने के बाद, सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता क्रेता के, सम्पत्ति अथवा उसके किसी अंश अथवा सम्पत्ति की पुनर्बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि के किसी अंश के संबंध में सभी दावे जब्त हो जाएंगे।
10. सम्पत्ति की बिक्री **"जैसा है जहां है तथा जो है जैसा है आधार"** पर की जा रही है।
11. अधोहस्ताक्षरी के पास, किसी भी या सभी बोलियों को, अनुपयुक्त पाए जाने पर, स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, नीलामी प्रास्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।
12. सम्पत्ति के किसी भी भाग पर राजस्व / भार या विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के सम्बन्ध में है, इस स्तर पर अधोहस्ताक्षरी के ज्ञान में नहीं है। हालांकि, भावी बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि ईएमडी जमा करने से पहले, अपने स्वयं के हित में, बिजली / पानी / हाउस टैक्स या किसी अन्य भार इत्यादि हेतु के बकाया राशि की स्वयं जांच कर लें।

हस्ताक्षर/– (अनिल कुमार यादव)
मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर के साथ आज दिनांक 07 जनवरी, 2020 को दिया गया। — वसूली अधिकारी–I, ऋणवसूली अधिकरण–III, दिल्ली

www.readwhere.com

शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड
(पूर्व की अर्चित होल्डिंग्स एण्ड क्रेडिट्स लिमिटेड)
सीआईएन : L22100DL1990PLC039464
पंजीकृत कार्यालय : 37वाँ द्वितीय तल, रानी झाँसी रोड, मोतिया खान, पहाड़गंज, दिल्ली-110055
ई-मेल आईडी : sharplinebroadcastlimited@gmail.com वेबसाइट : www.sharplinebroadcast.in

31.12.2019 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

भाग I (लाख में)

विवरण (नीचे नोट का सन्दर्भ लें)	समाप्त तिमाही (31/12/2019) (अलेखापरीक्षित)	गत वर्ष में अब तक वर्ष (31/12/2019) (अलेखापरीक्षित)	गत वर्ष समाप्त संगत तिमाही (31/12/2018) (अलेखापरीक्षित)
1. प्रचालनों से कुल आय	212.51	548.57	105.11
2. अवधि हेतु (कर पूर्व, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदें*) कुल लाभ/(हानि)	2.56	22.44	6.34
3. कर पूर्व अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात*) कुल लाभ/(हानि)	2.56	22.44	6.34
4. कर पश्चात अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) कुल लाभ/(हानि)	1.89	16.61	4.36
5. अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु (कर पश्चात) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) से निर्मित]	1.89	16.61	4.36
6. इक्विटी शेयर पूँजी	1,150.00	1,150.00	1,150.00
7. आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक के) (सतत तथा असतत प्रचालनों हेतु)			
1. बेसिक :	0.02	0.14	0.043
2. डाइल्यूटेड :	0.02	0.14	0.043

नोट :
1. उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दर्ज तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों तथा सूचीबद्ध संस्था की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उपर्युक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम कम्पनी इण्ड एएस नियम, 2015 के अनुरूप तैयार किये गये हैं।
2. लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों के कारण निबल लाभ/हानि, कुल व्यापक आय अथवा कोई अन्य प्रासंगिक वित्तीय मदों पर प्रभाव को फुटनोट द्वारा प्रकटित किया जायेगा।
3. # अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों को जहाँ कहीं भी प्रयोज्य हो, इण्ड-एएस नियमों/एसएस नियमों के अनुसार लाभ एवं हानि के विवरण में समायोजित किया गया है।

कृते शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड
ह./-
नाम : शालू गर्ग
पद : कम्पनी सचिव
तिथि : 13.02.2020 एम. सं. : ए44353

साई बाबा इन्वेस्टमेंट एण्ड कॉमर्शियल एन्टरप्राइजेज लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 33/36, बेसमेंट, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008.
ई-मेल आईडी : saibabacommercials@gmail.com वेबसाइट : www.saibabainvest.co.in
दूरभाष : 011-41056203 सम्पर्क नं. : +917303988341
सीआईएन : L01100DL1981PLC012736

31.12.2019 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही हेतु स्टैण्डअलोन अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(आय प्रति शेयर को छोड़कर रु. लाख में)

विवरण (नीचे नोट का सन्दर्भ लें)	समाप्त तिमाही (31.12.2019) (अलेखापरीक्षित)	समाप्त नौमाही (31.12.2019) (अलेखापरीक्षित)	गत वर्ष में समाप्त संगत 3 माह (31.12.2018) (अलेखापरीक्षित)
1. प्रचालनों से कुल आय	28.17	92.88	27.95
2. अवधि हेतु निबल लाभ/हानि (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व*)	23.46	70.13	13.21
3. कर पूर्व अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों* के पश्चात)	23.46	70.13	13.21
4. कर पश्चात अवधि हेतु निबल लाभ (हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	17.36	53.55	9.53
5. अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) सहित]	17.36	53.55	9.53
6. इक्विटी शेयर पूँजी	1,126.50	1,126.50	1,126.50
7. आरक्षियाँ (गत वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में प्रदर्शित के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षी को छोड़कर)	184.66	184.66	129.70
8. आय प्रति शेयर (ईपीएस) (रु. 10/- प्रत्येक के) (सतत एवं असतत प्रचालनों हेतु)			
1. मूल	0.15	0.48	0.01
2. डाइल्यूटेड	0.15	0.48	0.01

नोट :
उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं अन्य प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दर्ज तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.saibabainvest.co.in) पर उपलब्ध है।

कृते साई बाबा इन्वेस्टमेंट एण्ड कॉमर्शियल एन्टरप्राइजेज लिमिटेड
ह./-
जिगर भद्रेश गांधी
तिथि : 14 फरवरी, 2020 पूर्ण कालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी)
स्थान : नई दिल्ली डीआईएन : 07910717

बिक्री सूचना
श्रीधर मिल्क फूड्स लिमिटेड (परिसमापनाधीन)
पंजीकृत कार्यालय : 632/7, दूसरी मंजिल, खारी बावली, नई दिल्ली-110006 भारत
परिसमापक : निशान्त गौरव गुप्ता
परिसमापक का पता : सिद्धान्त एडवोकेट्स, फ्लैट सं. 542, प्रथम तल, डीडीए एसएफएस फ्लैट्स, सेक्टर-22, पॉकेट 1, द्वारका, नई दिल्ली-110077
मोबाइल नं. : +91-9990787298 (श्री रवि कुमार)
ई-नीलामी
दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों की बिक्री
ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 24 फरवरी, 2020 को 01.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. भा.मा.स. तक (प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तारों के साथ)

श्रीधर मिल्क फूड्स लिमिटेड (परिसमापन में) जो आदेश तिथि 12 सितम्बर, 2019 के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, प्रधानपीठ पीठ, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त परिसमापक के परिसमापन सम्पदा का भाग है, के स्वामित्व की आस्तियों तथा परिसम्पत्तियों की बिक्री। यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी कम्पनी लिंकस्टार इन्फोसिस प्रा.लि. तथा प्लेटफार्म https://www.eauctions.co.in के द्वारा की जायेगी।

आस्ति			ब्लॉक	आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि
टोयोटा इनोवा	इनोवा 2.5 GX(7S)	DL-3CB-X2853	ब्लॉक-1	रु. 66.10/- लाख (लगभग)	रु. 6,61,000/-
मारुति स्विफ्ट डिजायर	स्विफ्ट डिजायर-VDI(M)	DL-3CCB-3933			
मर्सिडीज बेंज-जीएलएस	मर्सिडीज बेंज-जीएलएस-350	UP-23SO999			
मर्सिडीज बेंज-ई250	मर्सिडीज बेंज E 250	UP-23S-1188			
मारुति सियाज	सियाज VDI+	DL-3CCB-3897			
मारुति सियाज	सियाज VDI+	DL-3CCB-3861			
हुण्डई क्रेटा	क्रेटा 1.6CRDI SX(0)	UP-23V-2727			
महिन्द्रा क्वांटो	क्वांटो-C4	DL-12-CA-4752			
मारुति अर्टिगा	VDI SHVS	DL-3CCE-5954			
मारुति अर्टिगा	VDI SHVS	DL-3CCE-5953			
मारुति अर्टिगा	VDI SHVS	DL-3CCE-5946			
मारुति अर्टिगा	VDISHVS	DL-3CCE-5909			
मारुति अर्टिगा	VDISHVS	DL-3CC-E5887			
51 ऑफिस चेयर्स, 7 मेटल अलमारियाँ (4.2 फीट ऊँची), 4 स्प्लिट एयर कंडीशनर (2 टन x 3 एवं 1 टन x 1 नग), 3 कांफ्रेंस टेबल (प्रत्येक 3.11 x 5.3 x 2.5 फीट), 1 एलजी माइक्रोवेव ओवन, 1 वोल्टास वाटर कूलिंग मशीन, 2 सैमसंग रेफ्रिजरेटर (120 किग्रा तथा 170 किग्रा के), दो-सीटर सोफा (2 नग), तीन सीटर सोफा (3 नग), तीन साइड रैक वाली 6 ऑफिस टेबल।			ब्लॉक-2	रु. 8.30 लाख	रु. 83000/-
एल डोराडो अटेंडेंस मशीन (1 नग), सीसीटीवी कैमरा सेट (8 कैमरा), 4 प्रिंटर्स, लेनोवो लैपटॉप (4 नग), कॉम्पैक लैपटॉप (10 नग), एचपी पैवेलियन जी7 लैपटॉप (1 नग), लेनोवो थिंक सेंटर्स डेस्कटॉप (16 नग), श्रेडफास्ट पेपर श्रेडिंग मशीन (1 नग), ली रेयॉन करेंसी काउंटिंग मशीन।			ब्लॉक-3	रु. 4.00 लाख	रु. 40,000/-

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं:
1. ई-नीलामी स्वीकृत सेवा प्रदाता मै. मैसर्स लिंकस्टार इन्फोसिस प्रा.लि. के द्वारा **''जैसा है जहां है''** तथा **''जो भी वहां है''** आधार पर आयोजित होगी।
2. यह सूचना आस्तियों के विवरण, ऑनलाइन ई-नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा एवं शपथपत्र प्रपत्र, ई-नीलामी बिक्री के सामान्य नियम एवं शर्तों से शामिल सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज के संयोजन में पढ़ी जायेगी जो वेबसाइट : https://www.eauctions.co.in पर उपलब्ध है। सम्पर्क करें : **श्री दीक्षित प्रजापति 7874138237** ई-मेल आईडी : admln@eauctlons.co.ln.
3. अपनी बोली जमा करने से पूर्व इच्छुक बोलीदाताओं को अपने स्वयं के खर्चे पर वाहनों के स्वामित्व, बीमा एवं अन्य बकाया प्रभारों, यदि कोई हो, से सम्बन्धित अपनी स्वतंत्र जाँच कर लेनी चाहिए और स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिये। संभावित बोलीदाता श्री **रविकुमार** : **+91 9990787298** से सम्पर्क कर पूर्व अनुमति के साथ साइट पर उपरोक्त वर्णित वाहनों का निरीक्षण कर सकते हैं।
4. अपनी संविदाएँ जमा करने से पूर्व इच्छुक संविदाकारों को प्रत्येक सम्भव रीति से स्वयं को सन्तुष्ट करना होगा और इसके पश्चात इस प्रक्रिया में किसी भी रीति से कोई व्यय, हानि अथवा क्षति, यदि कोई हो, के लिए परिसमापक इच्छुक/सम्भावित संविदाकारों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। संभावित संविदाकारों द्वारा उपर्युक्त वर्णित सम्पत्तियों/आस्तियों का निरीक्षण **श्री रविकुमार** से सम्पर्क करके पूर्व अनुमति लेकर साइट पर किया जा सकता है।
5. अपनी संविदाएँ जमा करने से पूर्व इच्छुक संविदाकार आस्तियों के स्वामित्व, शेष जीवनकाल आदि, यदि कोई हो से सम्बन्धित स्वतन्त्र पूछताछ करेंगे और अपने निजी खर्चे पर सम्पत्तियों/आस्तियों की जाँच करेंगे।
6. इच्छुक संविदाकारों को जमा धरोहर राशि (ईएमडी) या तो एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ''श्रीधर मिल्क फूड्स लिमिटेड **परिसमापनाधीन**'' के खाते में, खाता सं. : **4904002100005168**, पीएनबी बैंक, शाखा : **पटपड़गंज, नई दिल्ली**, आईएफएससी कोड : **PUNB049040** में या **श्रीधर मिल्क फूड्स लिमिटेड परिसमापनाधीन** के नाम पर किसी अनुसूचित बैंक से आहरित डीडी के माध्यम से या ईएमडी राशि के लिए बैंक गारंटी के माध्यम से जमा करनी होगी।
7. इच्छुक बोलीदाता को 1) पहचान के प्रमाण, 2) वर्तमान पता- प्रमाण, 3) पैन कार्ड, 4) वैध ई-मेल आईडी, 5) लैंडलाइन एवं मोबाईल फोन नम्बर, 6) शपथ-पत्र अथवा वचन, 7) बोली आवेदन प्रपत्र, 8) बोलीदाता द्वारा उद्घोषणा की स्वतः सत्यापित प्रति के साथ ई-नीलामी में भागीदारी के लिये ईएमडी के साक्ष्य अथवा बैंक गारन्टी तथा भागीदारी के लिये अनुरोध पत्र जमा करना होगा। इन परिशिष्टों का सम्पूर्ण प्रारूप ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज से लिया जा सकता है।
ये सभी दस्तावेज 20.02.2020 के 5.00 बजे सायं से पूर्व नीचे दिये गये पते पर डाक या ई-मेल द्वारा परिसमापक के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिये।
8. पोर्टल https://www.eauctions.co.in पर ई-नीलामी में भाग लेने के लिये योग्य बोलीदाता के नाम की पहचान परिसमापक द्वारा की जायेगी। ई-नीलामी सेवा प्रदाता योग्य बोलीदाताओं को ई-मेल द्वारा यूजर आईडी तथा पास्वर्ड उपलब्ध कराएंगे।
9. **ई-नीलामी में भाग लेने वाले पात्र बोलीदाताओं को कम से कम आरक्षित मूल्य पर बोली लगानी होगी और वे ब्लॉक के लिए न्यूनतम न्यूनतम रु. 40,000 वर्धन राशि अथवा इन राशियों के गुणक में अपनी बोली बढ़ायेंगे।**
10. यदि बोली ई-नीलामी की समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन समय असीमित विस्तारों के साथ स्वतः आगे पांच मिनट बढ़ जायेगा। ई-नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति पर उच्चतम बोली राशि (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) प्रस्तुत करने वाले बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उन्हें इस आशय की सूचना दी जायेगी जो परिसमापक द्वारा स्वीकृति के अधीन होगा।
11. सफल बोलीदाता की ईएमडी बिक्री मूल्य के भाग के रूप में सुरक्षित रखी जाएगी तथा असफल बोलीदाता की **ईएमडी** वापस लौटा दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। परिसमापक सफल बोलीदाता के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी करेंगे तथा सफल बोलीदाता को परिसमापक द्वारा एलओआई जारी करने के 15 दिनों के भीतर शेष राशि (सफल बोली राशि-ईएमडी राशि) का भुगतान करना होगा। एलओआई में वर्णित समय-सीमा में सफल बोलीदाता द्वारा शेष राशि के भुगतान में चूक करने पर सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई संपूर्ण राशि (ईएमडी+अन्य कोई राशि) जब्त कर ली जाएगी।
12. सफल बोलीदाता को नीलामी पर रखी सम्पत्तियों के परिप्रेक्ष्य में लागू होने वाले स्टाम्प शुल्कों/अंतरण चार्ज, शुल्क आदि तथा अन्य सभी विधिक/गैर-विधिक बकायों, करों, दरों, आकलन प्रभारों, शुल्कों आदि का वहन करना होगा।
13. सम्पूर्ण बिक्री राशि के भुगतान पर केवल सफल बोलीदाता के नाम में ही बिक्री प्रमाणपत्र/अनुबंध जारी की जाएगी तथा अन्य किसी नाम में नहीं।
14. परिसमापक को उसका कोई भी कारण बताए बिना किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या निरस्त करने अथवा ई-नीलामी को स्थगित/रद्द/निलम्बित करने तथा सम्पत्ति अथवा उसके किसी भी भाग को ई-नीलामी से वापस लेने का अधिकार है।
15. यह बिक्री दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 तथा उसके अंतर्गत निर्मित विनियमनों के प्रावधानों के अधीन होगी।

निशान्त गौरव गुप्ता
परिसमापक
श्रीधर मिल्क फूड्स लिमिटेड के मामले में
पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00572/2017-18/11739
पंजीकृत ई-मेल : nishantgaurav@outlook.in
पता : सिद्धान्त एडवोकेट्स, फ्लैट सं. 542, प्रथम तल, डीडीए एसएफएस फ्लैट्स,
तिथि : 14.02.2020 सेक्टर-22, पॉकेट 1, द्वारका, नई दिल्ली-110077
स्थान : नई दिल्ली प्रक्रिया विशिष्ट ई-मेल : liquidator@outlook.in

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI

बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा, स्टार हाउस, तृतीय तल, एच-2, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001 फोनः 011-23755605 - 5606

चल/अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल/अचल आस्ति के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

1. आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणधारकों और गारंटरों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास बंधक/प्रभारित है, **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जैसा है, जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी वहाँ है" के आधार पर **उधारकर्ता/गारंटीकर्ता : मैसर्स एस.के. गोल्ड चैन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, श्री सुरेश कुमार वर्मा, श्रीमती जमुना देवी, श्री राजीव वर्मा, श्री संजीव वर्मा, श्री विजय पाल सोनी** से बैंक ऑफ इंडिया की बकाया राशि **रुपए 1143.53 लाख + अप्रभारित ब्याज (यूसीआई) दिनांक 29.06.2014 से तथा अन्य प्रभार** की वसूली हेतु **दिनांक 21.03.2020** को बिक्री की जाएगी।
संपत्ति का विवरणः मैसर्स एस.के. गोल्ड चैन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली संपत्ति नंबर 2363/197, खसरा नंबर 2341, गणेशपुरा बी, त्रि नगर, नई दिल्ली। **कब्जा तिथिः** 07.06.2018 (वास्तविक)। आरक्षित मूल्य **133.21 लाख रुपए** और धरोहर राशि **13.33 लाख रुपए** होगी। **निरीक्षण तिथि और समयः** 05.03.2020 (सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे)।
विक्रय के विस्तृत नियमों और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें।
दिनांकः 15.02.2020 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली राकेश कुमार जैन
मोबाइल 9557539889

2. आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणधारकों और गारंटरों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास बंधक/प्रभारित है, **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जैसा है, जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी वहाँ है"** के आधार पर **उधारकर्ता/गारंटीकर्ता : मैसर्स दिल्ली डायमंड प्राइवेट लिमिटेड, श्री मुरारी लाल सोनी, श्री मुकेश सोनी, श्रीमती सीता देवी, श्रीमती ज्योति सोनी** से बैंक ऑफ इंडिया की बकाया राशि **रुपए 4316.46 लाख + अप्रभारित ब्याज (यूसीआई) दिनांक 31.12.2014 से तथा अन्य प्रभार,** कॉर्पोरेशन बैंक की बकाया राशि **रुपए 1919.03 लाख + अप्रभारित ब्याज (यूसीआई) दिनांक 01.07.2019 से तथा अन्य प्रभार** की वसूली हेतु **दिनांक 21.03.2020** को बिक्री की जाएगी।
संपत्ति का विवरणः i) श्री मुकेश सोनी पुत्र स्वर्गीय श्री विक्रम सिंह सोनी के स्वामित्व वाली वाणिज्यिक संपत्ति प्राइवेट नंबर जी – 1, बिना छत के अधिकार के भूतल स्थित, नगरपालिका सं. 3162–64, वार्ड नं. XVI की संपत्ति का हिस्सा ब्लॉक – पी में प्लॉट नं. 99 पर निर्मित, खसरा नंबर 2731/2616 पर, बीडन पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित है। **कब्जा तिथिः** 02.07.2016 (वास्तविक)।
आरक्षित मूल्य **200.00 लाख** रुपए और धरोहर राशि **20.00 लाख** रुपए होगी। **निरीक्षण तिथि और समयः** 06.03.2020 (सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे)।
ii) श्री मुकेश सोनी पुत्र स्वर्गीय श्री विक्रम सिंह सोनी के स्वामित्व वाली वाणिज्यिक संपत्ति प्राइवेट नंबर जी – 2, बिना छत के अधिकार के भूतल स्थित, नगरपालिका सं. 3162–64, वार्ड नं. XVI की संपत्ति का हिस्सा, ब्लॉक – पी में प्लॉट नं. 99 पर निर्मित, खसरा नंबर 2731/2616 पर, बीडन पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित है। **कब्जा तिथिः** 02.07.2016 (वास्तविक)।
आरक्षित मूल्य **196.00 लाख** रुपए और धरोहर राशि **19.60 लाख** रुपए होगी। **निरीक्षण तिथि और समयः** 06.03.2020 (सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे)।
iii) श्री मुकेश सोनी पुत्र स्वर्गीय श्री विक्रम सिंह सोनी के स्वामित्व वाली वाणिज्यिक संपत्ति प्राइवेट नंबर जी – 3, बिना छत के अधिकार के भूतल स्थित, नगरपालिका सं. 3162–64, वार्ड नं. XVI की संपत्ति का हिस्सा, ब्लॉक – पी में प्लॉट नं. 99 पर निर्मित, खसरा नंबर 2731/2616 पर, बीडन पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित है। **कब्जा तिथिः** 02.07.2016 (वास्तविक)।
आरक्षित मूल्य **200.00 लाख** रुपए और धरोहर राशि **20.00 लाख** रुपए होगी। **निरीक्षण तिथि और समयः** 06.03.2020 (सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे)।
iv) श्रीमती सीता देवी पत्नी स्वर्गीय श्री विक्रम सिंह सोनी के स्वामित्व वाली नगर निगम नंबर 3015, वार्ड नं. XVI की वाणिज्यिक संपत्ति का सम्पूर्ण प्रथम तल, ब्लॉक – ओ में, प्लॉट नंबर 14 पर निर्मित, खसरा नं. 2833/2614, हरध्यान सिंह रोड, बस्ती रैगरपुरा, बीडन पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित है। **कब्जा तिथिः** 05.07.2016 (वास्तविक)।
आरक्षित मूल्य **333.00 लाख** रुपए और धरोहर राशि **33.30 लाख** रुपए होगी। **निरीक्षण तिथि और समयः** 06.03.2020 (सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे)।
v) श्रीमती सीता देवी पत्नी स्वर्गीय श्री विक्रम सिंह सोनी के स्वामित्व वाली नगर निगम नंबर 3015, वार्ड नं. XVI की वाणिज्यिक संपत्ति का सम्पूर्ण द्वितीय तल, ब्लॉक – ओ में, प्लॉट नंबर 14 पर निर्मित, खसरा नं. 2833/2614, हरध्यान सिंह रोड, बस्ती रैगरपुरा, बीडन पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित है। **कब्जा तिथिः** 02.07.2016 (वास्तविक)।
आरक्षित मूल्य **378.00 लाख** रुपए और धरोहर राशि **37.80 लाख** रुपए होगी। **निरीक्षण तिथि और समयः** 06.03.2020 (सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे)।
vi) श्रीमती सीता देवी पत्नी स्वर्गीय श्री विक्रम सिंह सोनी के स्वामित्व वाली नगर निगम नंबर 3015, वार्ड नं. XVI की वाणिज्यिक संपत्ति का सम्पूर्ण तृतीय तल, ब्लॉक – ओ में, प्लॉट नंबर 14 पर निर्मित, खसरा नं. 2833/2614, हरध्यान सिंह रोड, बस्ती रैगरपुरा, बीडन पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित है। **कब्जा तिथिः** 02.07.2016 (वास्तविक)।
आरक्षित मूल्य **300.00 लाख** रुपए और धरोहर राशि **30.00 लाख** रुपए होगी। **निरीक्षण तिथि और समयः** 06.03.2020 (सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे)।
vii) श्रीमती ज्योति सोनी पत्नी मुकेश सोनी (गारंटर) के स्वामित्व वाली नगर निगम नंबर 2465/10, वार्ड नं. XVI की वाणिज्यिक संपत्ति का चौथा तल, ब्लॉक –ओ में, प्लॉट नंबर 1 पर निर्मित, खसरा नंबर 323, ब्लॉक और गली नंबर 9 और 10, नाईवाला एस्टेट, बीडन पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित है। **कब्जा तिथिः** 12.07.2016 (वास्तविक)।
आरक्षित मूल्य **174.00 लाख** रुपए और धरोहर राशि **17.40 लाख** रुपए होगी। **निरीक्षण तिथि और समयः** 06.03.2020 (सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे)।
viii) श्री मुरारी लाल सोनी पुत्र स्वर्गीय श्री विक्रम सिंह सोनी के स्वामित्व वाली नगर निगम नंबर 2746, वार्ड नंबर 34 की बेसमेंट संपत्ति, ब्लॉक – पी में, गली नं. 22–23, सरस्वती मार्ग, बीडन पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित है। **कब्जा तिथिः** 07.08.2018 (वास्तविक)।
आरक्षित मूल्य **739.00 लाख** रुपए और धरोहर राशि **73.90 लाख** रुपए होगी। **निरीक्षण तिथि और समयः** 06.03.2020 (सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे)।
ix) श्री मुरारी लाल सोनी पुत्र स्वर्गीय श्री विक्रम सिंह सोनी के स्वामित्व वाली संपत्ति नं. 3319, 3335 और 3336, तृतीय तल पर आधा भाग, वार्ड नंबर XVI पर पूर्वी ओर का भाग, ब्लॉक – पी, गली नंबर 26, बस्ती रैगरपुरा, बीडन पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित है। **कब्जा तिथिः** 07.08.2018 (वास्तविक)। आरक्षित मूल्य **224.00 लाख** रुपए और धरोहर राशि **22.40 लाख** रुपए होगी। **निरीक्षण तिथि और समयः** 06.03.2020 (सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे)।
विक्रय के विस्तृत नियमों और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें।
दिनांकः 15.02.2020 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली राकेश कुमार जैन
मोबाइल 9557539889

3. आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणधारकों और गारंटरों को यह नोटिस दिया जाता हैकि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास बंधक/प्रभारित है, **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जैसा है, जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी वहाँ है"** के आधार पर **उधारकर्ता/गारंटीकर्ता : मैसर्स बंसल डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री सुरिंदर कुमार बंसल, श्रीमती शेफाली बंसल, श्री देसराज अग्रवाल, मैसर्स एसएसके ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स ए. एस. टेक्नोबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड** से बैंक ऑफ इंडिया की बकाया राशि **रुपए 5901.61 लाख + अप्रभारित ब्याज (यूसीआई) दिनांक 28.07.2014 तथा अन्य प्रभार,** कंसोर्टियम सदस्य बैंकों की बकाया राशि **रुपए 18200 लाख + अप्रभारित ब्याज (यूसीआई)** की वसूली हेतु दिनांक **21.03.2020** को बिक्री की जाएगी।
संपत्ति का विवरणः i) श्री सुरिंदर कुमार बंसल के स्वामित्व वाली लोअर ग्राउंड फ्लोर/बेसमेंट में दुकान नंबर 1,2,3,4, डायमंड प्लाजा, प्रॉपर्टी नं. 2502, गली नं. 7 और 8, मेन गुरुद्वारा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली –110005 में मापक्षेत्र 1440 वर्ग फीट है। **कब्जा तिथिः** 04.02.2016 (वास्तविक)।
आरक्षित मूल्य **401.00 लाख** रुपए और धरोहर राशि **40.10 लाख** रुपए होगी। **निरीक्षण तिथि और समयः** 06.03.2020 (सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे)।
ii) श्री सुरिंदर कुमार बंसल के स्वामित्व वाली लोअर ग्राउंड फ्लोर/बेसमेंट में दुकान नंबर 5, डायमंड प्लाजा, प्रॉपर्टी नं. 2502, गली नं. 7 और 8, मेन गुरुद्वारा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली –110005 में मापक्षेत्र 612 वर्ग फीट है। **कब्जा तिथिः** 04.02.2016 (वास्तविक)।
आरक्षित मूल्य **171.00 लाख रुपए** और धरोहर राशि **17.10 लाख रुपए** होगी। **निरीक्षण तिथि और समयः** 06.03.2020 (सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे)।
iii) श्री सुरिंदर कुमार बंसल के स्वामित्व वाली ग्राउंड फ्लोर में दुकान नंबर 4, डायमंड प्लाजा, प्रॉपर्टी नं. 2502, गली नं. 7 और 8, मेन गुरुद्वारा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली –110005 में मापक्षेत्र 200 वर्ग फीट है। **कब्जा तिथिः** 04.02.2016 (वास्तविक)।
आरक्षित मूल्य **138.00 लाख रुपए** और धरोहर राशि **13.80 लाख रुपए** होगी। **निरीक्षण तिथि और समयः** 06.03.2020 (सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे)।
iv) श्री सुरिंदर कुमार बंसल के स्वामित्व वाली प्रथम तल में दुकान नंबर 112, प्रॉपर्टी नं. 2059, गली नं. 38, ब्लॉक जी, गुरुद्वारा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली – 110005 में मापक्षेत्र 308 वर्ग फीट है। **कब्जा तिथिः** 04.02.2016 (वास्तविक)।
आरक्षित मूल्य **109.00 लाख रुपए** और धरोहर राशि **10.90 लाख रुपए** होगी। **निरीक्षण तिथि और समयः** 06.03.2020 (सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे)।
v) श्री सुरिंदर कुमार बंसल के स्वामित्व वाली बिना छत के अधिकार के दूसरी मंजिल पर संपत्ति नगरपालिका नंबर 2162–64 और 2174–75, वार्ड नं. XVI, प्लॉट नं 29 पर निर्मित, ब्लॉक जे, गली नं. 60–61, नाईवाला, करोल बाग, नई दिल्ली –110005, मापक्षेत्र 1070 वर्ग फीट है। **कब्जा तिथिः** 04.02.2016 (वास्तविक)।
आरक्षित मूल्य **146.00 लाख** रुपए और धरोहर राशि **14.60 लाख** रुपए होगी। **निरीक्षण तिथि और समयः** 06.03.2020 (सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे)।
vi) मैसर्स ए, एस, टेक्नोबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली प्लॉट नं. 231 पर निर्मित वाणिज्यिक संपत्ति, सर्विस सेंटर, सेक्टर –9, द्वारका, दिल्ली में मापक्षेत्र 5814 वर्ग फीट है। **कब्जा तिथिः** 18.04.2019 (वास्तविक)।
टारक्षित मूल्य **2229.00 लाख** रुपए और धरोहर राशि **222.90 लाख** रुपए होगी। **निरीक्षण तिथि और समयः** 07.03.2020 (सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे)।
विक्रय के विस्तृत नियमों और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें।
दिनांकः 15.02.2020 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली राकेश कुमार जैन
मोबाइल 9557539889

4. आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणधारकों और गारंटरों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास बंधक/प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जैसा है, जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी वहाँ है"** के आधार पर **उधारकर्ता/गारंटीकर्ताः मैसर्स ए.एफ. गारमेंट्स, श्री अशरफ अहमद, श्री खालिद अनवर** से बैंक ऑफ इंडिया की बकाया राशि **रुपए 204.26 लाख + अप्रभारित ब्याज (यूसीआई) दिनांक 28.03.2016 से तथा अन्य प्रभार** की वसूली हेतु **दिनांक 21.03.2020** को बिक्री की जाएगी।
संपत्ति का विवरणः– श्री खालिद अनवर के स्वामित्व वाली प्लॉट नं. 1303 पर निर्मित संपत्ति, खसरा नं. 64, गाँव जाफराबाद, गली नंबर 41 और 38 की आबादी मे, जाफराबाद, इलाका शाहदरा, दिल्ली –110053 (क्षेत्रफल 106 वर्ग गज)। कब्जा तिथिः 10.06.2019 (वास्तविक)।
आरक्षित मूल्य **105.50 लाख** रुपए और धरोहर राशि **10.55 लाख** रुपए होगी। **निरीक्षण तिथि और समयः** 07.03.2020 (सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे)।
विक्रय के विस्तृत नियमों और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें।
दिनांकः 15.02.2020 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली राकेश कुमार जैन
मोबाइल 9557539889

5. आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणधारकों और गारंटरों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास बंधक/प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जैसा है, जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी वहाँ है"** के आधार पर **उधारकर्ता/गारंटीकर्ताः मैसर्स जोरेन होप्स इंडिया प्रा. लि., श्री हरिओम त्यागी, श्री श्रीकांत त्यागी, श्री पंकज शर्मा, श्री श्रीओम त्यागी, श्री हंसराज दत्ता शर्मा, श्री जय बाबू, श्री अतर सिंह, मैसर्स परफेक्ट इंफ्रा, श्री रतन सिंह और मेसर्स यूनिक सेल्स, श्री केशव कुमार** से बैंक ऑफ इंडिया की बकाया राशि **मैसर्स जोरेन होप्स इंडिया प्रा. लि. से रुपए 113.56 लाख + अप्रभारित ब्याज (यूसीआई) दिनांक 28.06.2016 से तथा अन्य प्रभार, मैसर्स परफेक्ट इंफ्रा से रुपए 107.05 लाख + अप्रभारित ब्याज (यूसीआई) दिनांक 28.06.2016 से तथा अन्य प्रभार (मैसर्स परफेक्ट इंफ्रा से) और मैसर्स यूनिक सेल्स से रुपए 96.81 लाख + अप्रभारित ब्याज (यूसीआई) दिनांक 28.06.2016 से तथा अन्य प्रभार** की वसूली हेतु **दिनांक 21.03.2020** को बिक्री की जाएगी।
संपत्ति का विवरणः– श्री जय बाबू और श्री अतर सिंह के स्वामित्व वाली आवासीय संपत्ति (भूमि और भवन) खसरा नंबर 1907 का हिस्सा (खाता नंबर 143), क्षेत्रफल 92.45 वर्ग मीटर, कालिंदी विहार 100 फीट लिंक रोड, काशी राम आवास योजना फ्लैट के सामने, नई आबदी मौजा नाराइच, तहसील एत्मादपुर, जिला आगरा। कब्जा तिथिः 29.11.2018 (वास्तविक)।
आरक्षित मूल्य **99.00 लाख** रुपए और धरोहर राशि **9.90 लाख** रुपए होगी। **निरीक्षण तिथि और समयः** 05.03.2020 (सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे)।
विक्रय के विस्तृत नियमों और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें।
दिनांकः 15.02.2020 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली राकेश कुमार जैन
मोबाइल 9557539889

6. आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणधारकों और गारंटरों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास बंधक/प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जैसा है, जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी वहाँ है"** के आधार पर **उधारकर्ता/गारंटीकर्ताः मैसर्स हारून एंड कंपनी, श्री शमशाद अहमद उर्फ मोहम्मद हारून, श्रीमती सबीला बेगम** से बैंक ऑफ इंडिया की बकाया राशि **रुपए 144.00 लाख + अप्रभारित ब्याज (यूसीआई) दिनांक 28.06.2017 से तथा अन्य प्रभार** की वसूली हेतु **दिनांक 21.03.2020** को बिक्री की जाएगी।
संपत्ति का विवरणः–श्री शमशाद अहमद उर्फ मोहम्मद हारून के स्वामित्व वाली भूतल पर आवासीय संपत्ति (भूमि और भवन) एमपीएल नं.1164 और श्रीमती सबीला बेगम पत्नी श्री शमशाद अहमद के स्वामित्व वाली पहली मंजिल, गली सुनार वाली, काला महल, दरियागंज दिल्ली – 110002 में स्थित, क्षेत्रफल 77.80 वर्ग गज प्रत्येक मंजिल। कब्जा तिथिः 12.02.2018 (वास्तविक)।
आरक्षित मूल्य **36.10 लाख** रुपए और धरोहर राशि **3.61 लाख** रुपए होगी। **निरीक्षण तिथि और समयः** 05.03.2020 (सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे)।
विक्रय के विस्तृत नियमों और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें।
दिनांकः 15.02.2020 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली राकेश कुमार जैन
मोबाइल 9557539889

7. आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणधारकों और गारंटरों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास बंधक/प्रभारित है, का **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जैसा है, जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी वहाँ है"** के आधार पर **उधारकर्ता/गारंटीकर्ताः मैसर्स केडिया ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री अचल केडिया, श्रीमती मधु केडिया, मैसर्स गोल्डलाइन ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड** से बैंक ऑफ इंडिया की बकाया राशि **रुपए 185.23 लाख + अप्रभारित ब्याज (यूसीआई) दिनांक 28.03.2016 से तथा अन्य प्रभार** की वसूली हेतु **दिनांक 21.03.2020** को बिक्री की जाएगी।
संपत्ति का विवरणः मैसर्स गोल्डलाइन ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली तीसरी मंजिल पर फ्लैट, नगरपालिका सं. 3272 (पूर्वी साइड का हिस्सा), वार्ड नं. XVI, खसरा नंबर 2657/2616, ब्लॉक पी, गली नंबर 27, बस्ती रेगर, बीडन पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली में मापक्षेत्र 25 वर्ग गज है। कब्जा तिथिः 15.06.2017 (वास्तविक)।
आरक्षित मूल्य **29.70 लाख** रुपए और धरोहर राशि **2.97 लाख** रुपए होगी। **निरीक्षण तिथि और समयः** 06.03.2020 (सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे)।
विक्रय के विस्तृत नियमों और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें।
दिनांकः 15.02.2020 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली राकेश कुमार जैन
मोबाइल 9557539889

8. आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणधारकों और गारंटरों को यह नोटिस दिया जाता हैकि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास बंधक/प्रभारित है, **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जैसा है, जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी वहाँ है"** के आधार पर **उधारकर्ता/गारंटीकर्ता : मैसर्स सिंघल फ्यूल इंडस्ट्रीज, श्री दिनेश कुमार सिंघल, श्रीमती शशि सिंघल** से बैंक ऑफ इंडिया की बकाया राशि **रुपए 591.61 लाख + अप्रभारित ब्याज (यूसीआई) दिनांक 28.01.2014 तथा अन्य प्रभार** की वसूली हेतु **दिनांक 21.03.2020** को बिक्री की जाएगी।
संपत्ति का विवरणः श्री दिनेश कुमार सिंघल के स्वामित्व वाला भूमि और भवन पीएच नंबर 51, सर्वे नंबर 44/6 ग्राम भोजपुर, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी, एमपी –473551 में मापक्षेत्र 0.78 हेक्टेयर है और मैसर्स ईएन फ्यूल इंडस्ट्रीज (प्रॉपराइटर दिनेश कुमार सिंघल) के स्वामित्व वाली फ्रीहोल्ड ओपन व्यावसायिक तौर पर डायवर्टेड 0.78 हेक्टेयर भूमि, पीएच नंबर 51, सर्वे नंबर 44/9, ग्राम भोजपुर, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी, एमपी – 473551 एवं प्लांट एंड मशीनरी। **कब्जा तिथिः** 29.07.2015 (वास्तविक)।
टारक्षित मूल्य **199.30 लाख** रुपए और धरोहर राशि **19.93 लाख** रुपए होगी। **निरीक्षण तिथि और समयः** 04.03.2020 (सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे)।
विक्रय के विस्तृत नियमों और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें।
दिनांकः 15.02.2020 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली राकेश कुमार जैन
मोबाइल 9557539889

9. आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणधारकों और गारंटरों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास बंधक/प्रभारित है, **वास्तविक कब्जा** बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जैसा है, जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी वहाँ है" के आधार पर **उधारकर्ता/गारंटीकर्ता : मैसर्स वत्स फ्यूल इंडस्ट्रीज, श्री राम सिंह, श्रीमती शीला सिंह** से बैंक ऑफ इंडिया की बकाया राशि **रुपए 570.64 लाख + अप्रभारित ब्याज (यूसीआई) दिनांक 28.01.2014 तथा अन्य प्रभार** की वसूली हेतु **दिनांक 21.03.2020** को बिक्री की जाएगी।
संपत्ति का विवरणः श्री राम सिंह के स्वामित्व वाली भूमि और भवन पीएच नंबर 51, सर्वे नंबर 44/7 ग्राम भोजपुर, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी, एमपी –473551 में मापक्षेत्र 0.78 हेक्टेयर है और मैसर्स ईको फ्यूल इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाली फ्रीहोल्ड ओपन व्यावसायिक तौर पर डायवर्टेड 0.78 हेक्टेयर भूमि, पीएच नंबर 51, सर्वे नंबर 44/8, ग्राम भोजपुर, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी, एमपी – 473551 एवं प्लांट एंड मशीनरी। **कब्जा तिथिः** 29.07.2015 (वास्तविक)।
आरक्षित मूल्य **199.31 लाख** रुपए और धरोहर राशि **19.93 लाख** रुपए होगी। **निरीक्षण तिथि और समयः** 04.03.2020 (सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे)।
विक्रय के विस्तृत नियमों और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वैबसाइट **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3** देखें।
दिनांकः 15.02.2020 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली राकेश कुमार जैन
मोबाइल 9557539889

नियम और शर्तें
1) नीलामी बिक्री/बोली केवल "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया" **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** वेबसाइट के माध्यम से होगी।
2) ईएमडी राशि के साथ दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि **19.03.2020 या उससे पहले शाम 5 बजे तक।**
3) नीलामी की तिथि और समय – **21.03.2020 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक** असीमित 5 मिनट प्रत्येक ऑटो–एक्सटेंशन के साथ।
4) नीलामी आरक्षित मूल्य + पहली वृद्धिशील मूल्य पर शुरू होगी, जैसा कि बैंक की वेबसाइट पर बताया गया है। बैंक की वेबसाइट में उल्लेखानुसार उपरोक्त सभी संपत्तियों के लिए वृद्धिशील मूल्य के गुणकों में बोलीदाता अपने प्रस्तावों में सुधार करेंगे।
5) **इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर अपना नाम पंजीकृत करवाना है और उनकी यूजर आई डी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना है,** जिसके पश्चात उन्हें उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
6) इच्छुक बोलीदाताओं को नीलामी की बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पहले उपरोक्त संपत्ति से संबंधित किसी भी वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर के बकाया, बिजली बकाया आदि के बारे में स्वयं अपनी पूछताछ करनी होगी। संपत्तियों को सभी मौजूदा और भविष्य के एन्कम्ब्रेन्स के साथ बेचा जा रहा है, चाहे बैंक को ज्ञात हो या अज्ञात हो। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तरह से किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
7) ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण प्राधिकृत अधिकारी/बैंक की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार है। प्राधिकृत अधिकारी और/या बैंक इस सार्वजनिक सूचना में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाब देह नहीं होंगे।
8) उपर्युक्त सम्पतियाँ ऊपर उल्लिखित आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं बेची जाएगी। इच्छुक बोलीकर्ताओं को संपत्ति के क्रय के लिए ई–नीलामी के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों/विवरणों को ईएमडी के साथ एक लिफाफे में सुपर–लिपिबद्ध "सरफेसी एक्ट 2002 के तहत संपत्ति की खरीद के लिए नीलामी के लिए ईएमडी राशि'', उपरोक्त सभी संपत्तियों के लिए तालिका में उल्लिखित खाते के नाम के साथ **19.03.2020 को या उससे पहले शाम 5 बजे तक** जमा करना होगाः–
ए) ईएमडी राशि एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से यूटीआर नंबर के साथ रसीद के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।
बी) पैनकार्ड, पहचान पत्र तथा पते के प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी हालांकि, सफल बोलीदाता को बोली राशि की शेष 25% राशि का भुगतान करते समय मूल दस्तावेजों को बैंक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
सी) बोलीदाता का नाम, संपर्क नंबर, वैकल्पिक नंबर, पता, ई–मेल आईडी और बोलीदाता(ओं) की फोटोग्राफ(स) इत्यादि।
डी) ईएमडी के ऑनलाइन वापसी के लिए बोलीदाताओं के खाते का विवरण।
9) उच्चतम/सफल बोलीदाता के मामले में ईएमडी राशि समायोजित कर दी जाएगी, अन्यों को बिक्री समाप्त होने के 5 दिनों के भीतर ईएमडी राशि वापस कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि बोलीदाता बोली जमा करने/ईएमडी राशि जमा करने के बाद ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है और यदि वह एकमात्र बोलीदाता है, तो उसकी बोली को उपरोक्त आरक्षित मूल्य पर माना जाएगा, और उसे सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा।
10) उच्चतम/सफल बोलीदाता को बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली की स्वीकार्यता के बाद पहले से भुगतान की गयी ईएमडी राशि को मिलाकर बोली/खरीद राशि का 25% बिक्री की पुष्टि के अगले कार्यदिवस तक (बैंकिंग अवधि के दौरान) जमा करनी होगी अन्यथा उसकी ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
11) बोली/खरीद राशि की शेष 75% राशि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15वें दिन या उससे पहले (बैंकिंग कार्यदिवस के दौरान) या पूरी तरह से प्राधिकृत अधिकारी के विवेकानुसार लिखित में किए गए समझौते के अनुसार बढ़ाई गयी ऐसी किसी तिथि तक जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि के भीतर इस शेष राशि को जमा करने में असफल रहने पर जमा की गयी राशि को जब्त कर लिया जाएगा और प्राधिकृत अधिकारी/बैंक के पास नीलामी रद्द करने और नई नीलामी आयोजित करने का पूर्ण अधिकार होगा।
12) सम्पूर्ण बिक्री राशि प्राप्त होने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसके बाद बिक्री को पूर्ण माना जाएगा और इस संबंध में बैंक किसी भी दावे पर विचार नहीं लेगा।
13) प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली अथवा किसी या सभी बोलियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए बिना किसी या सभी बोलियों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने और अपने विवेकानुसार बिक्री की किसी भी शर्त को बदलने, संशोधित करने या छूट देने का अधिकार रखता है।
14) **यह प्रकाशन अग्रिम में उपरोक्त उधारकर्ताओं/गारंटरों/बन्धककर्ताओं को 30 दिनों का नोटिस भी है।**

www.readwhere.com

कर्नाटका बैंक लिमिटेड
सम्पूर्ण भारत में, आपका पारिवारिक बैंक

मुख्य कार्यालय: मंगलूरु-575 002 CIN : L85110KA1924PLC001128

परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध शाखा

8-बी, प्रथम तल, राजेंद्र पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली -110060

फोन- 011-25813466, ई-मेल - delhiarm@ktkbank.com, मो.: 9319891680

अचल सम्पत्ति की विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिस पर कर्नाटका बैंक लि. (लीड बैंक) तथा प्रतिभूत लेनदार के अन्य संकाय सदस्य बैंक अर्थात [(1) आईसीआईसीआई बैंक (2) एचडीएफसी बैंक (3) भारतीय स्टेट बैंक (4) आरबीएल बैंक] के अधिकृत प्राधिकारी ने 20.08.2019 को भौतिक कब्जा किया है, कर्जदारों/जमानतियों/सह-दायित्वधारियों (1) मैसर्स डेल्ही कंट्रोल डिवाइसेज प्रा.लि., के-185/2, बेसमेंट, सूर्या प्लाजा, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दिल्ली-110065, फैक्ट्री पता : (i) सी-22/23, सेक्टर-4, नोएडा, उत्तर प्रदेश राज्य-201301, (ii) ए-42, सेक्टर-58, नोएडा, उत्तर प्रदेश राज्य-201301, (iii) ए-33, सेक्टर-59, नोएडा, उत्तर प्रदेश राज्य-201301, (iv) एसआईडीसीयूएल, हरिद्वार, उत्तराखण्ड राज्य-249403, (v) 45 एमयूपी 1, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश राज्य-201308, (2) श्री धरम पाल गुप्ता पुत्र श्री पूरन चन्द गुप्ता, बी-396, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दिल्ली-110025, (3) श्रीमती रेखा गुप्ता पत्नी श्री धरम पाल गुप्ता, बी-396, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दिल्ली-110025, (4) श्री आशीष गुप्ता पुत्र श्री धरमपाल गुप्ता, बी-396, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दिल्ली-110025, (5) मैसर्स डी.पी. गुप्ता एण्ड सन्स (एचयूएफ), बी-396, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दिल्ली-110025 से कर्नाटक बैंक (लीड बैंक) एवं अन्य संकाय सदस्य बैंक अर्थात [(1) आईसीआईसीआई बैंक (2) एचडीएफसी बैंक (3) भारतीय स्टेट बैंक (4) आरबीएल बैंक] के विभिन्न ऋण खातों तथा लागतों के तहत रु. 204.60 करोड़ (रुपये दो सौ चार करोड़ एवं साठ लाख मात्र) तथा 01.10.2019 से भावी ब्याज की वसूली हेतु 05.03.2020 को ''जहाँ है जैसे है'', ''जो भी है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर विक्रय किया जायेगा। आरक्षित मूल्य/अपसेट मूल्य जिसके कम मूल्य पर मद (ए) तथा (बी) संयुक्त रूप से नहीं बेचे जा सकते हैं : 9,49,40,000.00 (रुपये नौ करोड़ उनचास लाख चालीस हजार मात्र)

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती रेखा गुप्ता तथा मैसर्स धरमपाल गुप्ता एवं पुत्रों (एचयूएफ) के नाम पर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली में स्थित आवासीय सम्पत्ति सं. बी-396, माप : 296.20 वर्ग गज। सीमाएँ : पूर्व : 15 फीट चौड़ी सर्विस लेन, पश्चिम : 45 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर : सम्पत्ति सं. बी-395, दक्षिण : सम्पत्ति सं. बी-397

जमा/निविदा की जाने वाली धरोहर राशि : रु. 94,94,000.00 (रुपये चौरानबे लाख चौरानबे हजार मात्र)

(प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के सम्बन्ध में कर्जदारों/बंधककर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।)

(यह सूचना कर्जदाताओं/जमानतियों के लिए प्रतिभूत हित प्रवर्तन नियम-2002 के नियम (9) के उपनियम (1) के तहत सूचना भी होगी।)

विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया कर्नाटका बैंक लिमिटेड की वेबसाइट www.karnatakabank.com में "mortgaged assets for sale" शीर्षक के तहत लिंक देखें।

ई-नीलामी 05 मिनट के असीमित विस्तार सहित 05.03.2020 को 11.00 बजे प्रातः से 12.00 बजे दोपहर तक पोर्टल https://bankauctions.in/ के माध्यम से संचालित की जायेगी। इच्छुक संविदाकार को https://bankauctions.in/ पर अपना नाम पंजीकृत करना तथा निःशुल्क यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना अपेक्षित है तथा मैसर्स 4क्लोजर, फ्लैट सं. 102, प्लॉट सं. 20, अमृता अपार्टमेंट्स, मोतीनगर, हैदराबाद-500018, सम्पर्क नं. 040-23836405, मोबाइल : 8142000809, ई-मेल : vikas@bankauctions.in तथा info@bankauctions.in से ई-नीलामी के विषय में ऑनलाइन प्रशिक्षण (04.03.2020 से सम्भावित) प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान : दिल्ली
तिथि : 13.02.2020

कृते कर्नाटका बैंक लिमिटेड,
मुख्य प्रबन्धक एवं अधिकृत प्राधिकारी

AXIS BANK

एक्सिस बैंक लिमिटेड: एक्सिस हाउस, टावर-2, 2रा तल, आई-14, सेक्टर128 नोएडा एक्सप्रैसवे, जेपी ग्रीन्स, विशटाउन, नोएडा (उ.प्र.)-201301, **नियंत्रण कार्यालय:** एक्सिस हाउस, बाम्बे डाइंग कम्पाउण्ड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुम्बई-400025

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) तथा गारन्टर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की श्री रविन्दर कुमार से प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये वास्तविक भुगतान एवं/अथवा उगाही की तिथि तक लागू होने वाले आगे के ब्याज, अनुषांगिक खर्चे, लागतों तथा वहन की गई प्रभारों आदि के साथ 13.02.2020 को लम्बित बकाया रु. 63,65,311/- की वसूली के लिये एक्सिस हाउस, टावर-2, 2रा तल, आई-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्स्प्रैसवे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा (उ.प्र.)-201301 में 11.03.2020 को 12 बजे दोपहर में ''जैसा है जहां है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जाएगी। आरक्षित मूल्य रु. 30,89,166/- (रुपये तीस लाख नवासी हजार एक सौ छियासठ) तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 3,08,916/- होगी। ईएमडी सहित मुहरबन्द प्रस्ताव/निविदा के साथ संविदा 10.03.2020 को उपर्युक्त पते पर जमा की जायेगी।

खाता संख्या	बिक्री के लिये प्रस्तावित तथा रखी गई अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति की अवस्थिति/विवरण	बैंक की जानकारी में अधिभार, यदि कोई हो
गृह ऋण सं. PH R01260 1165406	प्लॉट सं. 6, एलिस्टोनिया एस्टेट, सेक्टर-पी1-एलआई ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र. में यूनिटेक हॉरिजन के टॉवर-05 में आवासीय ड्वेलिंग यूनिट संख्या फ्लैट/यूनिट सं. 0602 6ठी मंजिल, बिल्ट-अप एरिया माप 1425.15 वर्ग फीट तथा कॉमन एरिया का हिस्सा 324.85 वर्ग फीट (30.18 वर्ग मी) अर्थात कुल क्षेत्रफल 1750 वर्ग फीट (162.58 वर्ग मी)	नहीं

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात् **https://www.axis-bank.com/auction-notices** में दी गई लिंक देखें।

तिथि: 15 फरवरी, 2020
स्थान: नोएडा, उ. प्र.

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी,
एक्सिस बैंक लि.

COURT NOTICE

In the court of Sh. Satish Jumar Sharma JMIC Ludhiana

CNR NO:PBLD03-073547-2018
NEXT DATE:20-03-2020

Axis Bank Ltd
V/s
Ravinder Kumar

Publication Issued To: Ravinder Kumar S/o Jagir Singh R/o Village Sarwan Majra Bhadson 21 Indri Karnal 132041

Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the above named accused/(accused persons) can't be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on **20-03-2020** at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. Given under my hand and the seal of this court. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Ludhiana

JMIC LUDHIANA

JINDAL CAPITAL LTD.

REGD. OFFICE: 79-A, KAMLA NAGAR, DELHI - 110007
CIN : L 74899 DL 1994 PLC 059720
Website : www.jindalcapital.in E-mail : info@jindalcapital.in

Extract of the Standalone Audited Results for the Quarter ended December 31, 2019

(Rs. In Lakhs)

S. No.	Particulars	Qtr ended 31.12.19 (unaudited)	Nine months ended 31.12.2019 (unaudited)	Qtr ended 31.12.18 (unaudited)
1	Total Income from Operations (net)	422.73	987.33	1120.15
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax Exceptional and/or Extraordinary item)	1.97	-6.25	-16.52
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary item)	1.97	-6.25	-16.52
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary item)	1.97	-6.27	-16.52
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	1.97	-6.27	-16.52
6	Equity Share Capital	720.81	720.81	720.81
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of previous year)	23.72	23.72	8.17
8	Earning Per Share (of Rs.10/- each) (a) Basic (b) Diluted	 0.03 0.03	 -0.09 -0.09	 -0.10 -0.10

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the website of Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and website of the Company (www.jindalcapital.in).

For and on Behalf of the Board
Sd/-
Pawan Kumar Jindal
Chairman
DIN: 00524690

Place: Delhi
Date: February 14, 2020

फार्म नं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13 (4) और कम्पनी (निगमन) नियमों, 2014 के नियम 30(5)के मामले में

तथा

[illegible] लिविंग प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : ई-14/3, ग्राउंड फ्लोर, वसंत विहार, नई दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली – 110057 में है के मामले में।

...याचिकाकर्ता

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कम्पनी इसके पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "तमिलनाडु राज्य"** में स्थानान्तरण हेतु कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए **10, फरवरी 2020** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कम्पनी के मैमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि लेने के लिये कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केन्द्रीय सरकार को आवेदन करना प्रस्तावित करती है।

कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता/कर सकती है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित रजिस्टर्ड कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

ई-14/3, ग्राउंड फ्लोर, वसंत विहार, नई दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली – 110057

कृते व आवेदक की ओर से
हस्ता./-
([illegible])
निदेशक
डीआईएन : 07495364

दिनांक : 12.02.2020
स्थान : नई दिल्ली

जगत ट्रेडिंग एंटरप्राईजेज लिमिटेड

CIN: L74999DL1982PLC014411

पंजीकृत कार्यालय: 208, मैग्नम हाउस-II, करमपुरा कम्युनिटी सेन्टर, नई दिल्ली-110015, फोन: 011-45090162
ई-मेल आईडी: jagattradingenterpriseslimited@gmail.com, वेबसाईट: www.jtel.co.in

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ माही के लिए अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का विवरण

(रु. हजारों में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2019 अनंकेक्षित	समाप्त तिमाही 30.09.2019 अनंकेक्षित	समाप्त तिमाही 31.12.2018 अनंकेक्षित	समाप्त नौ महीने 31.12.2019 अनंकेक्षित	समाप्त नौ महीने 31.12.2018 अनंकेक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय	4715.71	3437.37	5014.24	14630.36	17859.42
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	1791.76	(3242.79)	(2315.57)	(3524.83)	(16460.62)
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	1791.76	(3242.79)	(2315.57)	(3524.83)	(19453.00)
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	973.59	(2723.32)	(1555.09)	(4014.66)	(18734.88)
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि के हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	973.59	(2723.32)	(1555.09)	(4014.66)	(18734.88)
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	50816.40	50816.40	50816.40	50816.40	50816.40
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाये गये पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)	–	–	–	–	–
	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिये एफवाई का) क) मूलः ख) तरलः	0.19 0.19	(0.54) (0.54)	(0.31) (0.31)	(0.79) (0.79)	(3.69) (3.69)

टिप्पणी:

1. 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ माही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों को ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा तथा सिफारिश किये जाने के बाद 14 फरवरी 2020 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किये गये हैं तथा ये वित्तीय परिणाम कम्पनी के सांविधिक अंकेक्षको द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन रखे गये हैं।
2. उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा), 2015 के विनियमन 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचैंजों में दाखिल की गई तिमाही एवं नौ माही वित्तीय परिणामों- इंड ए एस अनुपालक के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही तथा नौ माही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप कम्पनी की वेबसाईट पर www.jtel.co.in तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.msei.in पर उपलब्ध है।
3. जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व तिमाही एवं समाप्त नौ माही के आंकड़े पुनर्वर्गीकृत/ पुनर्व्यवस्थित किये गये हैं।

जगत ट्रेडिंग एंटरप्राईजेज लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
(प्रवीण कुमार गोयल)
अध्यक्ष
DIN No.: 00021153

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 14 फरवरी, 2020

UTTARANCHAL LEASING LIMITED

CIN: L65920DL1984PLC018830
Regd. Off: D-5/105, F/F, Laxmi Nagar, Delhi - 110092
Tel: 011-43009648 Email ID: uttaranchalleasingltd@gmail.com Website: www.uttaranchalleasing.in

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTH ENDED DECEMBER 31, 2019

(Rupees in Lakh)

S. No.	Particulars	Standalone Quarter ended 31.12.2019 (Unaudited)	Standalone Nine Months ended 31.12.2019 (Unaudited)	Standalone Quarter ended 30.09.2019 (Unaudited)	Standalone Year Ended 31.03.2019 (Audited)	Consolidated Nine Months ended 31.12.2019 (Unaudited)	Consolidated Quarter ended 31.12.2019 (Unaudited)	Consolidated Year Ended 31.03.2019 (Audited)
1.	Total Income from Operations (net)	30.83	47.03	9.77	18.79	60.83	44.63	19.89
2.	Profit/(Loss)before Extra Ordinary items and tax	8.85	16.98	2.42	4.86	36.68	28.76	(3.21)
3.	Net Profit/(Loss) after Tax	6.54	12.56	2.08	3.65	27.09	21.28	(3.21)
4.	Paid up equity share capital (Face value Rs. 10/- per share)	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
5.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of Previous year)	96.86	96.86	96.86	89.80	88.23	88.23	89.23
6.	Basic and diluted earning per share (in Rs.)	0.17	0.90	0.15	0.26	0.19	0.15	(0.02)

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The complete format of the Quarterly Financial Results is available on the Company's website at www.uttaranchalleasing.in.

For Uttaranchal Leasing Limited
Sd/-
(Ankit Kumar)
Director
DIN : 07719974

Place: Delhi
Date: 13.02.2020

शान्तनु इन्वेस्टमेंट्स (इण्डिया) लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : डीएससी-319, डीएलएफ साउथ कोर्ट, साकेत, नई दिल्ली-110017
सीआईएन : L65993DL1973PLC006795, ई-मेल : cs@greatvalueindia.com, फोन: + 91-11-41349612-14

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ माही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(रु. में)

क्र. सं.	विवरण	स्टैण्डएलॉन समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अनंकेक्षित)	स्टैण्डएलॉन समाप्त तिमाही 30.09.2019 (अनंकेक्षित)	स्टैण्डएलॉन समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अनंकेक्षित)	स्टैण्डएलॉन समाप्त नौमाही 31.12.2019 (अनंकेक्षित)	स्टैण्डएलॉन समाप्त नौमाही 31.12.2018 (अनंकेक्षित)	स्टैण्डएलॉन समाप्त वित्त वर्ष 31.03.2019 (अंकेक्षित)	समेकित समाप्त तिमाही 31.12.2019	समेकित समाप्त तिमाही 30.09.2019	समेकित समाप्त नौमाही 31.12.2019	समेकित समाप्त वित्त वर्ष 31.03.2019
1	प्रचालनों से कुल आय	6763737	16783075	28021085	31942090	83812244	98463642	15731493	12601288	62623395	164949005
2	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/या अतिविशिष्ट मदों से पूर्व)	−457913	37620	740920	−761686	2081727	2032093	−35079	−9484101	3887600	9313068
3	कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या अतिविशिष्ट मदों के बाद)	−457913	37620	740920	−761686	2081727	2032093	−35079	−9484101	3887600	9313068
4	कर पश्चात अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या अतिविशिष्ट मदों के बाद)	−456838	38701	548302	−758461	1538549	1471984	−298483	−7131039	2793274	6008140
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल)	−456836	38701	548302	−758461	1538549	1471984	−298483	−7131039	2793274	6008140
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10/− प्रति शेयर)	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
7	अन्य इक्विटी	4624697	5081535	5449722	4624697	5449722	5383157	35562767	35861250	35562767	32769493
8	प्रति शेयर अर्जन (अतिविशिष्ट मदों के बाद) (रु. 10/− प्रत्येक) (गैर–वार्षिकीकृत									13.97	30.04
	(क) मूल	−2.28	0.19	2.74	−3.79	7.69	7.36	−1.49	−35.66	13.97	30.04
	(ख) तनुकृत	−2.28	0.19	2.74	−3.79	7.69	7.36	−1.49	−35.66		
9	प्रति शेयर अर्जन (अतिविशिष्ट मदों के बाद) (रु. 10/− प्रत्येक) (गैर–वार्षिकीकृत)										
	(क) मूल	−2.28	0.19	2.74	−3.79	7.69	7.36	−1.49	−35.66	13.97	30.04
	(ख) तनुकृत	−2.28	0.19	2.74	−3.79	7.69	7.36	−1.49	−35.66	13.97	30.04

वित्तीय परिणामों की संलग्न टिप्पणी देखें

टिप्पणी: 1 उपरोक्त अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी की सिफारिश पर 14 फरवरी, 2020 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये हैं।

2. समेकित आँकड़ों में पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों यथा आयुष्मान इन्फ्राटेक प्रा लि., श्री पारसनाथ प्लास्टिक्स प्रा. लि. और ग्रेटवेल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर इण्डिया लिमिटेड शामिल हैं। 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ माही के उपरोक्त एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों की सांविधिक लेखापरीक्षक पी.के. नरुला एण्ड कम्पनी द्वारा लेखापरीक्षित की गई है।
3. उपर्युक्त सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास दाखिल 31 दिसम्बर, 2019 को सामप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.msei.in) तथा कम्पनी की वेबसाइट www.shantnuinvestments.com पर उपलब्ध है।
4. जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व वर्ष/अवधि के आँकड़े पुनर्वर्गीकृत/ पुनर्व्यवस्थित किये गये हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार
ह./-
प्रज्ञा अग्रवाल
(प्रबन्ध निदेशक)
डीआईएन : 00093526

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 14.02.2020

हेल्पएज फिनलीज लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: एस-191 सी, 3रा तल, मानक कॉम्प्लैक्स, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली-110092
CIN: L51909DL1982PLC014434, Website: www.helpagefinlease.com
Ph.No.: +91-11-22481711, **Fax No.:** +91-11-22481711

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ माही के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का विवरण

(राशि रुपये में)

विवरण	स्टैंडएलॉन समाप्त तिमाही 31.12.2019 अनंकेक्षित	समाप्त तिमाही 30.9.2019 अनंकेक्षित	समाप्त तिमाही 31.12.2018 अनंकेक्षित	समाप्त नौ महीने 31.12.2019 अनंकेक्षित	समाप्त नौ महीने 31.12.2018 अनंकेक्षित	समाप्त वर्ष 31.3.2019 अंकेक्षित
परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	7325158	6826207	2992093	20919206	7894615	22070108
कर से बाद सामान्य क्रियाकलापों से शुद्ध लाभ/ (हानि)	1323975	1338169	252135	3716919	751491	3362795
कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)(असाधारण मदों के बाद)	1323975	1338169	252135	3716919	751491	3362795
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 10/- प्रति)	99,47,5000	99,47,5000	99,47,5000	99,47,5000	99,47,5000	99,47,5000
आरक्षित (तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)						23290543
आय प्रति शेयर (ईपीएस) (असाधारण मदों से पूर्व तथा बाद) (रु. 10/- प्रति का)						
-मूल	0.13	0.13	0.03	0.37	0.08	0.34
-तरल	0.13	0.13	0.03	0.37	0.08	0.34

टिप्पणी:

1) उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंजों में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट अर्थात् (www.bseindia.com) तथा साथ ही कंपनी की वेबसाईट www.helpagefinlease.com पर भी उपलब्ध है।
2) 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ माही के लिए कंपनी के उपरोक्त अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 13 फरवरी, 2020 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए।

बोर्ड की ओर से तथा उसके लिये
हेल्पएज फिनलीज लिमिटेड
हस्ता./-
सिद्धार्थ गोयल
प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 13.2.2020

कैल्कॉम विजन लिमिटेड

CIN:- L92111DL1985PLC021095
पंजी. कार्यालय: सी-41, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110024
Email id: corp.compliance@calcomindia.com
Website: www.calcomindia.com, Contact No.- 0120-2569761

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(प्रति शेयर डैटा को छोड़कर रु. लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2019 अनंकेक्षित	समाप्त तिमाही 30.09.2019 अंकेक्षित	समाप्त तिमाही 31.12.2018 अनंकेक्षित	समाप्त नौमाही 31.12.2019 अनंकेक्षित	समाप्त नौमाही 31.12.2018 अनंकेक्षित	समाप्त वर्ष 31.03.2019 अंकेक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय	887.35	1537.46	1416.63	3942.62	4084.76	5240.38
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से बाद)	-94.85	84.02	90.51	70.25	239.11	301.48
3.	कर से पूर्व अवधि के लिये शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं असाधारण मदों के बाद)	-94.85	84.02	90.51	70.25	239.11	301.48
4.	कर से बाद अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	-94.85	84.02	90.51	70.25	239.11	301.48
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	-94.85	84.02	90.51	70.25	239.11	301.48
6.	इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 10 प्रति पूर्णतः प्रदत्त)	1054.34	1054.34	1054.34	1054.34	1054.34	1054.34
7.	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त						-66.35
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)						
	- मूल	-0.90	0.80	0.86	0.67	2.27	2.86
	- तरल	-0.90	0.80	0.86	0.67	2.27	2.86

टिप्पणी:

1. उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियमन 33 अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट अर्थात् www.bseindia.com तथा साथ ही कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.calcomindia.com पर उपलब्ध है।
2. इन वित्तीय परिणामों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत यथा निर्दिष्ट कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंडएएस) के अनुसार तैयार किया गया है।

बोर्ड के आदेश से
कैल्कॉम विजन लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
एस.के. मलिक
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 13 फरवरी, 2020

ARCEE INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office : 7th K.M. Barwala Road, Talwandi Rana, Hisar - 125 001 (Haryana)
Website : www.arceeindustries.in CIN No. L29120HR1992PLC031681
Ph No. 98120-20111, 98120-40111, EMAIL ID: arceeind@rediffmail.com

Unaudited Financial Results for the Quarter & Nine Months Ended on 31.12.2019

(Rs. in lakhs except as stated)

Particulars	Quarter ending 31/12/2019 (Unaudited)	Quarter ending 31/12/2018 (Unaudited)	Nine Months ending 31/12/2019 (Unaudited)	Nine Months ending 31/12/2018 (Unaudited)	Year Ended 31/03/2019 (Audited)
Total Income	58.16	10.07	58.97	10.07	25.14
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(2.99)	3.49	(16.06)	(5.04)	2.34
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(2.99)	3.49	(16.06)	(5.04)	2.34
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(2.99)	3.49	(16.06)	(5.04)	2.34
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-	-	-	-	-
Equity Share Capital	513.88	513.88	513.88	513.88	513.88
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	(106.02)
Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)-					
a) Basic	(0.06)	0.07	(0.31)	(0.10)	0.05
b) Diluted	(0.06)	0.07	(0.31)	(0.10)	0.05

Note:

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Yearly Financial Results are available on the Stock Exchanges website (www.bseindia.com).
2. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 14th February, 2020, a Limited Review of the same has been carried out by the Statutory Auditors of the Company.

For and on behalf of Board of Directors
Arcee Industries Limited
Sd/-
Srishti
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Hisar
Date : 14.02.2020

इंटीग्रा टेलीकम्युनिकेशन एण्ड सॉफ्टवेयर लिमिटेड

सीआईएन : L74899DL1985PLC020286
पंजीकृत कार्यालय : फ्लैट सं. 901बी, देविका टॉवर 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
कॉर्पोरेट कार्यालय : 610/611, निर्मल गैलेक्सी एवियर, एल.बी.एस. रोड, मुलुंड (प.), मुम्बई-400080
ई-मेल आईडी : info@integratelesoftware.com; **वेबसाइट** : www.integratelesoftware.com

31.12.2019 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(राशि लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2019 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त तिमाही 31.12.2018 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त नौमाही 31.12.2019 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त नौमाही 31.12.2018 (अलेखापरीक्षित)	समाप्त वर्ष 31.03.2019 (लेखापरीक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	–	–	–	4.81	4.10
2.	अवधि हेतु (कर पूर्व, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदें) कुल लाभ/(हानि)	(7.63)	(2.90)	(18.94)	(2.63)	(7.75)
3.	कर पूर्व अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) कुल लाभ/(हानि)	(7.63)	(2.90)	(18.94)	(2.63)	(7.75)
4.	कर पश्चात अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) कुल लाभ/(हानि)	(7.63)	(2.90)	(18.94)	(2.63)	(7.75)
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु (कर पश्चात) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) से निर्मित]	(7.63)	(2.90)	(18.94)	(2.63)	(7.75)
6.	इक्विटी शेयर पूँजी (रु. 10/- प्रति शेयर का अंकित मूल्य)	1,056.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00
7.	गत वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में प्रदर्शित के अनुसार आरक्षियाँ (पुनर्मूल्यांकन को छोड़कर)					(185.93)
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक के) (सतत तथा असतत प्रचालनों हेतु) बेसिक एवं डाइल्यूटेड	(0.07)	(0.03)	(0.18)	(0.02)	(0.07)

नोट :

1. उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दर्ज अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गयी थी और 13 फरवरी, 2020 को आयोजित सम्बद्ध बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित की गयी थी। वित्तीय परिणामों के प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.integratele-software.com पर उपलब्ध है।

कृते इन्टीग्रा टेलीकम्युनिकेशन एण्ड सॉफ्टवेयर लिमिटेड
ह./-
शार्दूल सुधाकर रानाडे
चेयरमैन
डीआईएन : 05015608

स्थान : मुम्बई
तिथि : 13.02.2020

www.readwhere.com

काबुल में मुस्कान लेकर आई रोबोट वेटर

काबुल, 14 फरवरी (एएफपी)।

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक रेस्तरां में इन दिनों एक रोबोट वेटर लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह अफगानिस्तान में पहली रोबोट वेटर है, जो इस युद्धग्रस्त देश में लोगों को खानपान परोसने के साथ-साथ उनके चेहरों पर मुस्कुराहट भी बिखेर रही है।

टीमिया नामक इस रोबोट की लंबाई पांच फुट है और यह अभी छोटे-छोटे काम करती है। अफगानिस्तान की दो मुख्य भाषाओं में से एक दारी में बात करती है। इसे हैप्पी बर्थडे जैसे कुछ शब्द भी वोलने आते हैं।

रेस्तरां के प्रबंधक मोहम्मद रफी शीरजाद ने कहा कि इस रोबोट को जापान से लाया गया है। पिछले महीने इसने यहां काम करना शुरु किया है। इसके बाद से नए ग्राहकों की आमद बढ़ गई है। उन्होंने कहा, यहां कई लोगों के लिए रोबोट देखना बेहद ही दिलचस्प बात है।

अफगानी भाषा दारी में करती है बात

वो आई है जापान से-रेस्तरां में बढ़ी ग्राहकों की संख्या एक ओर जहां जापान और चीन में आम स्थानों पर रोबोट की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर संकटग्रस्त अफगानिस्तान में यह नई बात है। अफगानिस्तान में दशकों तक चले युद्ध के चलते बुनियादी ढांचा तबाह हो गया है। ऐसे में यह रोबोट वेटर कुछ देर के लिए ही सही, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट की वजह बन रही है

प्रबंधक शीरजादा ने कहा कि कभी-कभी तो बच्चे रोबोट को खाना लाते देख खुशी से उछल पड़ते हैं।

एक ओर जहां जापान और चीन में आम स्थानों पर रोबोट की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर संकटग्रस्त अफगानिस्तान में यह नई बात है। अफगानिस्तान में दशकों तक चले युद्ध के चलते बुनियादी ढांचा तबाह हो गया है। ऐसे में यह रोबोट वेटर कुछ देर के लिए ही सही, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट की वजह बन रही है।

नौ साल का बच्चा अहमद जकी मशीन रोबोट को देख कर बेहद खुश है। उसने कहा, मैंने सिर्फ टीवी पर ही रोबोट देखे थे। जब इसका पता चला तो मैंने अपने पिता से इस रेस्तरां मुझे ले चलने के लिए कहा।

थाईलैंड में शख्स ने हवा में गोलियां चलाई, कोई घायल नहीं

बैंकाक, 14 फरवरी (एपी)।

राजधानी बैंकाक में एक व्यक्ति ने हवा में कई गोलियां चलाई, हालांकि घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। थाईलैंड की पुलिस ने यह जानकारी दी। आपात बचाव सेवाओं की ओर से बताया गया कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। थाईलैंड की मीडिया ने जानकारी दी कि पुलिस ने उस इमारत के इर्दगिर्द के इलाके को खाली करवा लिया है जहां पर वह व्यक्ति है। उसके परिजन उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मना रहे हैं।

कोरोना वायरस : चीन में मरने वालों की संख्या 1,500 के करीब

बेजिंग, 14 फरवरी (भाषा)।

चीन में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 121 लोगों की मौत के साथ ही इससे मरने वाले लोगों का कुल आंकड़ा 1,500 तक पहुंच गया। इस संक्रमण के कारण हाल में मरने वाले लोगों में से ज्यादातर हुबेई प्रांत से थे। स्वास्थ्य अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के पुष्ट मामलों की संख्या 65,000 के करीब पहुंच गई।

प्रांतीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि गुरुवार को हुबेई में कोरोना वायरस के 4,823 नए मामले सामने आए। प्रांत में कोरोना वायरस से 116 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि 5,090 नए मामलों के साथ ही कोरोना वायरस के पुष्ट मामलों की संख्या गुरुवार को 64,894 पर पहुंच गई।

आयोग ने कहा कि गुरुवार को उसे 31 प्रांत स्तरीय क्षेत्रों से कोरोना वायरस के 5,090 नए पुष्ट मामलों और 121 लोगों की मौत की खबर मिली। इनमें से 116 लोगों की मौत हुबेई में, दो लोगों की मौत हेलिआंगजियांग में और एक-एक व्यक्ति की मौत अनहुई, हेनान और चोंगक्विंग में हुई।

आयोग ने बताया कि गुरुवार को हुबेई में कोरोना वायरस के 5,090 नए मामलों में से 3,095 मामलों की नैदानिक पुष्टि हो चुकी है। शिंहुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक प्रांत में कुल पुष्ट मामलों की संख्या 51,986 पर पहुंच गई और इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 64,627 हो गए। गुरुवार को आयोग ने घोषणा की कि चीन के हुबेई प्रांत में घातक कोरोना वायरस से एक ही दिन में रिकॉर्ड 242 लोगों की मौत हो गई।

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF M/S. BONY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

1	Name of corporate debtor	M/s. Bony Systems and Technologies Limited
2	Date of incorporation of corporate debtor	06.05.2010
3	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies NCT Delhi & Haryana
4	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	CIN: U29292DL2010PLC202363
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Registered Office: 1st Floor, S-44 Panchsheel Park, New Delhi - 110017 Branch Office: Plot No.77, Sector - 6, Faridabad, Haryana - 121006
6	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	12.02.2020 (Date of Order)
7	Estimated date of closure of insolvency resolution process	10.08.2020 (180 days beginning Insolvency Commencement Date)
8	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Mr. Mohinder Singh IBBI/IPA-001/IP-P00593/2017-18/11046
9	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Address: 1102, 11th Floor, Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi - 110008 Email: mohinder@singhandsingh.in
10	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Address: 1102, 11th Floor, Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi - 110008 Email: mohinder@singhandsingh.in
11	Last date for submission of claims	26.02.2020
12	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Name the class(es) NA
13	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	1. NA 2. NA 3. NA
14	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	Web link: https://ibbi.gov.in/downloadforms.html Physical Address: NA

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the **M/s. Bony Systems and Technologies Limited** on **12.02.2020**.

The creditors of **M/s. Bony Systems and Technologies Limited** are hereby called upon to submit their claims with proof on or before **26.02.2020** to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class [NA] in Form CA.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Sd/-
MOHINDER SINGH
Interim Resolution Professional
IBBI/IPA-001/IP-P00593/2017-18/11046

Place: New Delhi
Date: 15/02/2020

अमेरिका-भारत संबंध में महत्त्वपूर्ण मोड़ की ओर बढ़ रहे हैं : वेल्स

वाशिंगटन, 14 फरवरी (भाषा)।

ट्रंप, मोदी भारत-अमेरिकी संबंधों के अगले अध्याय के लिए महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण पेश करेंगे।

एक शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ने कहा कि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए भारत जाएंगे तो दोनों नेता दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच रिश्ते के अगले अध्याय के लिए अपना महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण पेश करेंगे ।

दक्षिण और मध्य एशिया के लिए कार्यवाहक सहायक विदेश मंत्री एलिस जी. वेल्स ने नए भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू के सम्मान में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के स्वागत समारोह में कहा, 'हम अमेरिका-भारत संबंध में महत्त्वपूर्ण मोड़ की ओर बढ़ रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'जब राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी हजारों उत्साहित प्रशंसकों के सामने इस महीने मुलाकात करेंगे तो वे इस स्वाभाविक गठबंधन के अगले अध्याय के लिए अपने महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोण को पेश करेंगे।

वेल्स ने अमेरिका के कारोबारी समुदाय को याद दिलाया कि दो दशक पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत और अमेरिका को 'स्वाभाविक सहयोगी' बताया था।

वेल्स ने कहा, 'इस साल वाजपेयी की ऐतिहासिक वाशिंगटन यात्रा की 20वीं वर्षगांठ है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 'स्वाभाविक सहयोगी' की लोकप्रिय उक्ति दी थी। पिछले दो दशकों में हमने लंबा सफर तय किया है और हम उस दूरदृष्टि को वास्तविकता में बदल रहे हैं।' उन्होंने कहा कि ट्रंप और मोदी के बीच बेहद खास संबंध है। उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप इस बेहद महत्त्वपूर्ण रिश्ते पर अपनी छाप छोड़ने के लिए भारत की यात्रा के लिए बेकरार हैं।' वहीं, संधू ने इस यात्रा को ऐतिहासिक बताया।

भारतीय राजदूत ने कहा, 'दस दिनों के भीतर हम अमेरिका के राष्ट्रपति की भारत की ऐतिहासिक यात्रा देखेंगे। इस यात्रा से सभी क्षेत्रों में हमारी साझेदारी मजबूत होने में मदद मिलेगी।' उन्होंने कहा कि भारत-अमेरिका साझेदारी दोनों मुल्कों के लोगों के बीच है न केवल दोनों सरकारों के बीच। संधू ने कहा कि अमेरिकी और भारतीय लोगों के बीच मजबूत एवं स्थायी जुड़ाव हमारे संबंध की नींव है। उन्होंने कहा, 'अमेरिका के राष्ट्रपति की भारत की यात्रा के दौरान आप अमेरिका के लिए भारतीय लोगों की गर्मजोशी के साक्षी बनेंगे।'

श्रीलंका ने भारत समेत 48 देशों के लिए वीजा सुविधा 30 अप्रैल तक बढ़ाई

कोलंबो, 14 फरवरी (भाषा)।

श्रीलंका ने भारत समेत 48 अन्य देशों के नागरिकों के लिए आगमन पर वीजा की सुविधा को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। श्रीलंका के एक वरिष्ठ मंत्री ने यह जानकारी दी। श्रीलंका में बीते साल 21 अप्रैल को ईस्टर रविवार हमले के बाद उसके पर्यटन उद्योग को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। हाल में चीन में कोरोना वायरस के प्रसार की वजह से भी देश का पर्यटन प्रभावित हुआ है। ईस्टर रविवार को हुए हमले में 258 लोगों की मौत हुई थी।

हमले के बाद पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका ने भारत और चीन समेत 48 देशों के लिए एक अगस्त से आगमन पर वीजा सुविधा शुरू की थी। डेली फाइनेंशियल टाइम्स ने शुक्रवार को मंत्रिमंडल के प्रवक्ता रमेश पथिराणा के हवाले से कहा, 'ईस्टर हमलों के बाद मुफ्त वीजा योजना (आगमन पर वीजा) ने पर्यटकों की संख्या में 10 से 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी लेकिन कोरोना वायरस के प्रसार ने पर्यटन क्षेत्र को फिर प्रभावित किया है। इसलिए इस सुविधा को तीन माह के लिए और बढ़ा दिया गया है।' मंत्री ने कहा कि आगमन पर वीजा की सुविधा अब 30 अप्रैल तक मान्य रहेगी।

हालांकि श्रीलंका ने देश में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद जनवरी में चीन के लिए आगमन पर वीजा सुविधा को स्थगित कर दिया था। श्रीलंका में सबसे अधिक पर्यटक भारत से जाते हैं और इसके बाद चीन के लोगों का स्थान है।

सीरियाई वायुसेना ने मिसाइल हमलों को रोका

दमिश्क, 14 फरवरी (एएफपी)।

सीरिया की वायुसेना ने गुरुवार को राजधानी दमिश्क पर मिसाइलों को बीच में ही रोक कर मार गिराया। सरकारी मीडिया ने हमले के स्रोत की स्पष्ट जानकारी दिए बगैर यह खबर दी।

यहां पर सरकारी एजंसी सना ने कहा, 'हमारी वायुसेना ने दमिश्क पर शत्रु मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया और मार गिराया। मिसाइलों को गोलन हाइट्स से दागा गया था।' उसने बताया कि कई मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही बीच में रोक दिया गया और मार गिराया गया।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सामान्य), राँची

सूचना संख्याः-81 राँची. **सूचना** दिनांकः-14/02/2020

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची के पत्रांकः-69, दिनांकः-12/02/2020 के अनुपालन में आयोजित होने वाली आगामी अखिल भारतीय व्यावसायिक (शिल्प) पूरक परीक्षा मार्च 2020 की परीक्षा राँची एवं खूंटी जिला अवस्थित सभी सरकारी/गैर-सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (NCVT से मान्यता प्राप्त) में शामिल होने वाले प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहारिक परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए संबंधित व्यवसाय के परीक्षक को प्राधिकृत करने की आवश्यकता है। इच्छुक उम्मीदवार दिनांकः-25/02/2020 तक परीक्षक (Examiner) हेतु NCVT MIS Portal https://ncvtmis.gov.in/ के Examiner कॉलम में उपलब्ध Examiner Registration Form नोडल आई०टी०आई० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सामान्य), राँची तथा महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खूंटी के लिए Online Registration (पंजीयन) करा सकते हैं।

व्यवहारिक परीक्षक हेतु अर्हत्ताः-

1. Degree/Diploma and CITS Passed out Instructor with 03 years experience/ITI passed out Instructors with atleast 03 years of teaching experience in concerned discipline.

- Online Registration में Upload किये गये प्रमाण पत्रों का Verification हेतु आवेदक सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ आवेदित नोडल आई०टी०आई० में सम्पर्क कर सकते हैं।
- Online Registration से संबंधित जानकारी हेतु श्री हिमांशु कुमार सिकु (Mob. No.:-8092482224), परीक्षा प्रभारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सामान्य), राँची से सम्पर्क कर सकते हैं।

Sd/-
प्राचार्य-सह-नोडल,
औ0 प्र0 संस्थान, राँची (सामान्य), राँची

PR225418 (Labour Employment and Traning)19-20*D

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
समाधान वसूली व विधि विभाग, फरीदाबाद नीलम चौक एनआईटी, फरीदाबाद-121002 (हरियाणा)
फोनः 0129-2415525, ई-मेलः rrl_7622@obc.co.in

नियम 8(1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में लिखित बकाया राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **निम्नलिखित दिनांकों को ले लिया है।**

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,** के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

क्र. सं.	खाते का नाम (कर्जदार)	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख / बकाया राशि (रू. में)	अचल सम्पत्तियों का विवरण
1	श्रीमती कमलेश शर्मा	07-09-2019 14-02-2020 रू. 10,78,759.34 दिनांक 31.01.2020 तक और हाउसिंग लोन में होने वाला ब्याज	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि साम्यिक बंधक सम्पत्ति प्लॉट नं. 1604, सैक्टर-55, फरीदाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 161.46 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती कमलेश शर्मा पत्नी त्रिलोक हरि शर्मा के नाम पर सब रजिस्ट्रार फरीदाबाद जिला फरीदाबाद में पंजीकृत, चौहद्दी : उत्तर में – रोड, पूरब में – प्लॉट नं. 1603, दक्षिण में – प्लॉट नं. 1617, पश्चिम में – प्लॉट नं. 1605
2	श्रीमती सोना वती चौहान	02-09-2019 14-02-2020 रू. 42,05,987.12 दिनांक 31.01.2020 तक और हाउसिंग लोन में होने वाला ब्याज	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि साम्यिक बंधक सम्पत्ति प्लॉट नं. ए-2107, प्रथम तल, ग्रीन फिल्ड कॉलोनी फरीदाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 201.67 वर्ग गज, खसरा नं. 55/17 में से, यह सम्पत्ति श्रीमती सोनावती चौहान के नाम पर सब रजिस्ट्रार फरीदाबाद जिला फरीदाबाद में पंजीकृत, चौहद्दी : उत्तर में – प्लॉट नं. 2136, पूरब में – प्लॉट नं. 2108, दक्षिण में – 60फीट चौड़ा रोड, पश्चिम में – प्लॉट नं. 2106

दिनांक : 14-02-2020, स्थान : फरीदाबाद (हरियाणा) प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

Mukhyamantri Laghu Evam Kutir Udyam Vikas Board
(A Govt. of Jharkhand Undertaking)
D.I.C. Campus, Udyog Bhwan, 4th Floor, Ratu Road, Ranchi.
Contact-9262219999, e-mail: contact.cmlaghukutir@gmail.com
GST No. 20AAGAM7720G1ZX

Ref. no. 148 Date:14/02/2020

APPOINTMENT OF CLUSTER DEVELOPMENT EXECUTIVE FOR SFURTI CLUSTER

Applications are invited from eligible candidates for engagement as **Cluster Development Executive** on contract basis for implementation of **SFURTI** scheme in **Lac Value added Cluster Bundu, Ranchi Cluster** under the supervision of the National Institute for Micro, Small & Medium Enterprises (ni-msme), Hyderabad.

Engagement of CDE is purely temporary and is limited for a period of one year from the date of contractual engagement and can be renewed up to a maximum period of 3 years or till the end of the project period, whichever happens earlier subject to the satisfactory performance of the candidate during project period. The candidate shall not be entitled to claim employment or permanency in any of the agencies implementing the programme.

The essential qualifications and other details are as under:

Essential Qualifications	Graduate in any discipline preferably in Science/Humanities/Social Science
Desirable Qualification	Graduate in Management/Rural Development/MSW having training in any Handloom or Khadi or Village Industry
Age	Not below 25 years and not exceeding 45 years as on 1st January 2020. Five years relaxation will be given to the CDE who has already having experience in Cluster Development.
Experience	Experience of Working in rural background preferably with NGOs/Self Help Groups/Industry Association, Govt. Organization engaged in Rural Development and the Rural Industrialization, Consultancy Organization etc.
Remuneration	Rs. 15,000/- and Rs. 3,000/- as Mobility/TA, Totaling Rs. 18,000/- per month
Job Description	Conceptualize the overall development strategy of the Cluster and initiate implementation. Must have entrepreneurial qualities like vision, team building, leadership, and conflict resolution skills, apart from conducting training and documentation skills.

Interested candidates may submit their resume along with attested certificates of age, qualifications and experience to **THE CEO, MUKHYAMANTRI LAGHU EVAM KUTIR UDYAM VIKAS BOARD,** D.I.C. Campus, Udyog Bhwan, 4th Floor, Ratu Road, Ranchi-834001 before 06.03.2020. The short listed candidates will be interviewed.

Sd/-
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
MMLKUVB

PR 225448 (Mukhyamantri Laghu And Kutir Udyam Vikas Board) 19-20 (D)

कार्यालय
आयकर आयुक्त (न्यायिक)
कमरा सं. 162-ए, केंद्रीय राजस्व भवन, नई दिल्ली
दूरभाष एवं फैक्सः 23379308, **ईमेलः delhi.cit.judicial@incometax.gov.in**

फा. सं.- आयकर आयुक्त (न्या.)/एन.सी.एल.टी. मामला/2019-20/1694 **दिनांकः-** 13/02/2020

एन.सी.एल.टी. विषयों के मामलों की सुनवाई से संबंधित नोटिस

एन.सी.एल.टी. विषयों/मामलों के संबंध में आवश्यक अनुपालन के लिए निम्नलिखित कंपनियों और उनके निदेशकों को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है, जो माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (National Company Law Tribunal), सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली के समक्ष नीचे दी गई तालिका के कॉलम सं. 4 में उल्लिखित तारीखों में सुनवाई के लिए नियत हैः-

क्रम सं.	मामला सं. एवं मामला शीर्षक	पिछले ज्ञात निदेशकों के नाम	सुनवाई की अगली तारीख
1	अपील सं. 1025/252/एन डी/2019 आयकर अधिकारी वार्ड, 20(3) बनाम आर.ओ.सी. एंड मैसर्स आर.डी.सी. कॉन्ट्रैक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड पैनः AAFCR2670D	1. अजय डेविड चार्ल्स डी.आई.एन.: 03500874 2. शालिनी डेविड डी.आई.एन.: 06382219	19.02.2020
2	अपील सं. 1023/252/एन डी/2019 आयकर अधिकारी वार्ड, 20(3) बनाम आर.ओ.सी. एंड मैसर्स आर.डी.सी. ग्रीनस्मिथ इको सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड पैनः AAECR6183L	1. राहुल कुमार डी.आई.एन.: 02731890 2. धर्मेन्द्र कुमार डी.आई.एन.: 02815469	04.03.2020
3	अपील सं. 99/252/एन डी/2019 आयकर अधिकारी वार्ड, 2(1) बनाम आर.ओ.सी. एंड मैसर्स अक्षर स्टॉक ट्रेडर एंड एडवाइजर प्राईवेट लिमिटेड पैनः AAJCA6283D	1. शैलेश कुमार डी.आई.एन.: 03456737 2. शैलेन्द्र सिंह डी.आई.एन.: 03547192	18.03.2020
4	अपील सं. 52/252/एन डी/2020 आयकर अधिकारी वार्ड, 20(3) बनाम आर.ओ.सी. एंड मैसर्स आर.सी.एस. देशी विदेशी ट्रेंड्स प्राईवेट लिमिटेड पैनः AAFCR4479Q	1. मनोज कुमार डी.आई.एन.: 02601485 2. प्रियंका शर्मा डी.आई.एन.: 03478660	13.04.2020
5	अपील सं. 89/252/एन डी/2020 आयकर अधिकारी वार्ड, 20(3) बनाम आर.ओ.सी. एंड मैसर्स क्यू बिट टेक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड पैनः AAACQ1199F		14.04.2020
6	अपील सं. 71/252/एन डी/2020 आयकर अधिकारी वार्ड, 20(3) बनाम आर.ओ.सी. एंड मैसर्स आर.सी.वी. आई.टी. सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड पैनः AAFCR0754C	1. रोहित कुमार वर्मा डी.आई.एन.: 03126060 2. चंद्रा कान्ता डी.आई.एन.: 03126072	14.04.2020
7	अपील सं. 48/252/एन डी/2020 आयकर अधिकारी वार्ड, 2(2) बनाम आर.ओ.सी. एंड मैसर्स एल्विन कुलिंग टावर्स प्राईवेट लिमिटेड पैनः AADCA8735A	1. रीता वर्मा डी.आई.एन.: 01114499 2. दीप्ति वर्मा डी.आई.एन.: 03272132	14.04.2020
8	अपील सं. 90/252/एन डी/2020 आयकर अधिकारी वार्ड, 24(2) बनाम आर.ओ.सी. एंड मैसर्स स्टेलर हॉलीडेज प्राईवेट लिमिटेड पैनः AANCS3005R	1. अरुण कवेसरी वालिया विदु डी.आई.एन.: 02654004 2. विनोद डी.आई.एन.: 06364645	14.04.2020
9	अपील सं. 93/252/एन डी/2020 आयकर अधिकारी वार्ड, 20(3) बनाम आर.ओ.सी. एंड मैसर्स आर.जे. हर्ब्स प्राईवेट लिमिटेड पैनः AAGCR6291P	1. विजय कुमार डी.आई.एन.: 06597654 2. राजीव कुमार जैन डी.आई.एन.: 06597661	14.04.2020
10	अपील सं. 999/252/एन डी/2019 आयकर अधिकारी वार्ड, 24(1) बनाम आर.ओ.सी. एंड मैसर्स सोम्या सेल्स प्राईवेट लिमिटेड पैनः AAPCS9571A	1. महिंद्रा सक्सेना डी.आई.एन.: 02955430 2. राजेंन्द्र कुमार डी.आई.एन.: 03525183	15.04.2020
11	अपील सं. 51/252/एन डी/2020 आयकर अधिकारी वार्ड, 20(3) बनाम आर.ओ.सी. एंड मैसर्स आर.ए.सी. इक्विपमेंट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड पैनः AAACRO4393J		20.04.2020

इस संबंध में, इस नोटिस के माध्यम से उपर्युक्त कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों/ निदेशकों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है और यह अनुरोध किया जाता है कि वे अपने संबंधित मामलों में सुनवाई की उपर्युक्त तारीखों पर माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान दें कि उपर्युक्त वर्णित तारीखों पर आपके उपस्थित न होने पर आपकी अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई होगी और निर्णय लिया जाएगा।

भवदीय
हस्ता./-
(अमर जीवन)
आयकर अधिकारी
(न्यायिक)-3, नई दिल्ली

davp 15403/11/0028/1920

www.readwhere.com

बिक्री उद्घोषणा
कार्यालय रिकवरी अधिकारी-II
ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली
4था तल, जीवनतारा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पटेल चौक, नई दिल्ली

आर.सी. सं. 777/2018 दिनांक : 22.01.2020

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा

बैंक ऑफ महाराष्ट्र बनाम भाई साहिब एण्ड सन्स

सीडी सं. 1. मैसर्स भाई साहिब एण्ड सन्स, 131-ए, जयपुरिया मिल, क्लॉक टॉवर, सब्जी मण्डी, दिल्ली-110007 साथ ही : अपर ग्राउण्ड फ्लोर, ब्लॉक नं. 7, प्लॉट सं. 3, रूप नगर, दिल्ली-110007.
सीडी सं. 2. श्री राकेश धींगरा, के-5/34, मॉडल-II, दिल्ली-110009
सीडी सं. 3. सुश्री शीला अरोड़ा, भूतल, ब्लॉक नं. 7, प्लॉट सं. 3, रूप नगर, दिल्ली-110007.

जैसा कि आप पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली द्वारा निर्गत ओए नं. 458/2015/डीआरटी-III, दिल्ली दिनांक 12.09.2018 वसूली प्रमाणपत्र के संदर्भ में आपके द्वारा देय रु. 6,44,05,894.37 (रुपये छः करोड़ चौवालीस लाख पाँच हजार आठ सौ चौरानबे एवं सैंतीस पैसे मात्र) का भुगतान करने में विफल रहे हैं।
तथा जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
तथा जैसा कि ओए दर्ज करने की तिथि अर्थात 08.06.2015 से लागतों, आकस्मिक व्ययों तथा उस पर 12% वार्षिक की दर से भावी ब्याज सहित सीडी से संयुक्त तथा/अथवा एकमात्र रूप से पूरी वसूली तक रु. 6,44,05,894.37 (रुपये छः करोड़ चौवालीस लाख पाँच हजार आठ सौ चौरानबे एवं सैंतीस पैसे मात्र) बकाया हो गया है।
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 20.03.2020 को 3.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप. के बीच (यदि जरूरी हुआ बन्द होने के पूर्व अन्तिम 5 मिनटों में स्वतः विस्तार उपबन्ध के साथ) ई-नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली मै. सी1 इण्डिया प्रा.लि. उद्योग विहार, फेज-2, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, भवन सं. 301, गुरुग्राम, हरियाणा-122015, हेल्पलाइन नं. +91-124-4302020/21/22/23/24, मोबाइल : 09813887931, ई-मेल आईडी : support@bankeauctions.com द्वारा "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी।
किसी भी प्रकार की पूछताछ तथा सम्पत्ति के निरीक्षण करने के इच्छुक बोलीदाता डीआरटी-III, दिल्ली से सम्पर्क कर सकते हैं।
यह बिक्री नीचे अनुसूची में नामित उपरोक्त प्रतिवादियों की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री पर रखा जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली राशि संपत्ति के भाग की बिक्री से पूरी हो जाती है तो शेष के मामले में तुरंत बिक्री रोक दी जाएगी। यदि बिक्री संचालक अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाए; ब्याज लागत (बिक्री लागत सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो किसी भी लॉट की नीलामी से पूर्व बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी।
ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसका बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे। यह बिक्री आयकर अधिनियम,1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।
संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती,त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।
1. आरक्षित मूल्य जिसके नीचे सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी :

क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य/ज.ध.रा.
1	रूप नगर, दिल्ली-07 में प्लॉट सं. 7/3 के दक्षिणी आधे भाग पर भूतल	रु. : 1,99,80,000/- ज.ध.रा. : रु. 19,98,000/-
2	सम्पत्ति सं. 34, के-5, मॉडल टाउन, मालिकपुर, छावनी, दिल्ली-09	रु. : 2,11,50,000/- ज.ध.रा. : रु. 21,15,000/-

2. वह राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाएगी रु. 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) है। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिक्री पर लगाया जाएगा।
3. उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को स्वीकार/अस्वीकार कर सकते हैं।
4. ऊपर उल्लिखित ईएमडी का भुगतान 18.03.2020 तक रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/पे आर्डर द्वारा रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास मुहरबन्द लिफाफे में जमा करना होगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई-नीलामी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
5. बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाईल नं. तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रधान की ओर से बोली कर रहे हों तो उद्घोषणा जमा किया जायेगा। बाद के मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा इसमें चूक करने पर बोली निरस्त कर दी जायेगी। कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/ काउंटर फाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई-मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहुंच जाए तथा उसकी मूल कॉपी, रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास जमा की जायेगी।
6. असफल संविदाकार/रों को अपनी ज.ध.रा. की वापसी हेतु आरसी की सुनवाई की निर्धारित तिथि को या इससे पूर्व डीआरटी-III की रजिस्ट्री में पहचान प्रमाणपत्र सहित आवेदन करने का निर्देश दिया जाता है जिसे तदनुसार आरसी की सुनवाई की निर्धारित/आगामी तिथि पर वापस कर दिया जायेगा।
7. सफल बोलीदाता को अगले बैंक कार्य दिवस के 3.00 बजे अप. तक ऊपर पैरा 4 में वर्णित विवरणों के अनुसार उक्त खाता में ईएमडी समायोजित करने के बाद अपनी अंतिम बोली राशि के 25% का भुगतान करना होगा।
8. सफल उच्चतम बोलीदाता को संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व तथा यदि 15वां दिन अवकाश या रविवार होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस में ऊपर पैरा 4 में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया में अंतिम बोली राशि के शेष 75% का भुगतान करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को रु. 1000/- तक 2% की दर से तथा रु. 1000/- की उक्त राशि के अधिक पर 1% की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास पाउंडेज शुल्क का भी भुगतान करना होगा।
9. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक के मामले में विक्रय के व्यय को डिफ्रे करने के पश्चात, यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझता है तो जमा धनराशि सरकार के पास जब्त कर ली जायेगी और चूककर्ता क्रेता का सम्पत्ति अथवा जमा की राशि पर सभी प्रकार का दावा समाप्त हो जायेगा। बिक्री की नवीन घोषणा के निर्गमन के पश्चात सम्पत्ति की पुनः बिक्री की जायेगी। पुनः क्रेता अपनी अन्तिम संविदा तथा बाद में बिक्रीत राशि के मूल्य के बीच किसी कमी या अन्तर को पूरा करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
9. संपत्ति की बिक्री 'जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है' आधार पर की जा रही है।
10. अधोहस्ताक्षरी को किसी या सभी बोली को स्वीकार करने अथवा अनुपयुक्त पाते हैं तो अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है।

लॉट सं.	बिक्री की जाने वाली संपत्ति का विवरण, जहां संपत्ति चूककर्ता तथा सह-स्वामी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति का है, के नाम के साथ	संपत्ति या उसके किसी भाग पर परिगणित राजस्व	ऐसे किसी अधिभारों का विवरण जो संपत्ति पर देय है	दावे, यदि कोई हो, जिसे संपत्ति पर रखा गया हो तथा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य कोई ज्ञात विवरण
1	2	3	4	5
1	रूप नगर, दिल्ली-07 में प्लॉट सं. 7/3 के दक्षिणी आधे भाग पर भूतल	अज्ञात	अज्ञात	अज्ञात
2	सम्पत्ति सं. 34, के-5, मॉडल टाउन, मालिकपुर, छावनी, दिल्ली-09	अज्ञात	अज्ञात	अज्ञात

मेरे हाथ से तथा मुहर लगाकर 22 जनवरी, 2020 को दी गई।

(विकास जेटली)
रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली

स्पेस इंक्युबैट्रिक्स टैक्नालॉजीस लि0

पंजी0 कार्यालयः पवनपुरी, मुरादनगर, जिला गाजियाबाद (यू.पी.) फोनः 01232-261288
CIN: L17100UP2016PLC084473, वेबसाइटः www.spaceincubatrics.com, ई-मेलः spaceincubatrics@gmail.com

31 दिसम्बर 2019 को समाप्त तिमाही/नौ माह के लिए अलेखापरीक्षित पृथक्कृत एवं समेकित परिणाम (₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	पृथक्कृत			समेकित		
		समाप्त तिमाही 31.12.2019 अलेखापरिक्षित	समाप्त वर्ष 31.03.2019 लेखापरिक्षित	समाप्त तिमाही 31.12.2018 अलेखापरिक्षित	समाप्त तिमाही 31.12.2019 अलेखापरिक्षित	समाप्त वर्ष 31.03.2019 लेखापरिक्षित	समाप्त तिमाही 31.12.2018 अलेखापरिक्षित
1.	संचालन से कुल आय	21.47	72.62	16.02	21.47	72.62	16.02
2.	शुद्ध लाभ/(हानि) अवधि हेतु (अपवाद मद तथा कर से पूर्व)	12.70	32.53	7.18	12.70	–157.85	7.18
3.	शुद्ध लाभ/(हानि) अवधि हेतु तथा कर पूर्व (अपवाद मद से पश्चात)	12.70	32.53	7.18	12.70	–157.85	7.18
4.	शुद्ध लाभ/(हानि) अवधि हेतु (कर पश्चात तथा अपवाद मद से पश्चात)	12.70	24.07	7.18	12.70	–166.31	7.18
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु कर पश्चात लाभ/हानि शामिल करके तथा कर पश्चात अन्य व्यापक आय)	12.70	24.07	7.18	12.70	–166.31	7.18
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (₹10/- का अंकित मूल्य)	3460.92	3460.92	3460.92	3460.92	3460.92	3460.92
7.	अन्य इक्विटी	–	2529.42	–	–	–328.10	–
8.	प्रति अंश आय (₹ 10/- प्रत्येक) (लगातार, सतत तथा खण्डित पृथक कार्य संचालन हेतु) (अ) मूलभूत	0.04	0.07	0.02	0.04	–0.48	0.02
	(ब) द्रव्य	0.04	0.07	0.02	0.04	–0.48	0.02

टिप्पणियाँ–
1. उपरोक्त अलेखापरिक्षित तिमाही वित्तीय परिणाम जैसा कि अंकेक्षण कार्य समिति द्वारा समीक्षित किए गए हैं तथा तिथि 14.02.2020 में आयोजित कम्पनी की बैठक में निदेशक मंडल द्वारा मान्यता प्राप्त थे। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने एक अप्रतिबन्धित एवं अविकृत लेखापरीक्षा राय अपनी सीमित समीक्षा रिपोर्ट द्वारा व्यक्त की है। 2. उपरोक्त परिणाम स्टाक एक्सचेंज विनियम बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचीबद्धता दायित्वों तथा प्रकटन आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 33 अन्तर्गत स्टाक एक्सचेंज में दर्ज तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सार विवरण है तथा तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रपत्र प्रारूप स्टाक एक्सचेंज की वेबसाइटः www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइटः www.spaceincubatrics.com पर भी उपलब्ध है।

स्थानः मुरादनगर
तिथिः 14.02.2020

स्पेस इंक्युबैट्रिक्स टैक्नालॉजीस लि0
हस्ताक्षर
(निशांत मित्तल)
प्रबंध निदेशक डिन : 02766556

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

शाखा कार्यालयः सिविल लाइन्स, अलीगढ़, मैरिस रोड, अलीगढ़, उ.प्र.-202001, फोनः 0571-2500380, 2509030, ईमेलः bo0511@pnb.co.in

परिशिष्ट-IV [नियम-8(1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय) 1, अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक, सिविल लाइन्स अलीगढ़, जिला अलीगढ़ (उ.प्र.) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 18.11.2017 जारी कर ऋणधारक मै. पशुपति कास्टिंग्स लि., जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट नं. 8-9, एएलआईजी कॉर्पोरेट प्लाजा, मैरिस रोड अलीगढ़ तथा साइट का पता, निकट साथा चीनी मिल, कासिमपुर रोड, जिला अलीगढ़, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके निदेशकों श्री योगेन्द्र कुमार यादव, पुत्र तथा स्व. पदम सिंह के कानूनी उत्तराधिकारी, श्री योगेन्द्र सिंह, पुत्र श्री जगदीश सिंह यादव एवं श्री भरत सिंह, पुत्र श्री इन्द्रवीर सिंह को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 19,92,14,254 (शब्दों में उन्नीस करोड़ बानवे लाख चौदह हजार दो सौ चौवन मात्र) + 01.10.2017 से ब्याज + अन्य खर्चे, सम्पूर्ण भुगतान तक वसूली, यदि कोई हो, को घटाकर, की राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। *(सूचना तिथि 18.11.2017 को जारी करने से वसूली गई राशि रु. 1820.54 लाख है।)
ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 11 फरवरी, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम के साथ पठित [अधिनियम) 1 की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय सम्पूर्ण भुगतान तक वसूली यदि कोई हो, को घटाकर रु. 19,92,14,254/- (शब्दों में उन्नीस करोड़ बानवे लाख चौदह हजार दो सौ चौवन मात्र) + 1.10.2017 से ब्याज + अन्य खर्चे, सम्पूर्ण भुगतान तक वसूली यदि कोई हो, को घटाकर शेष राशि के लिये पंजाब नेशनल बैंक, सिविल लाइन्स, अलीगढ़ (उ.प्र.) के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

मकान नं. आर-9/240, राजनगर सेक्टर-9, गाजियाबाद-201017 (उ.प्र.), बिक्री प्रलेख क्रम सं. 3887, बही नं. 1, जिल्द नं. 3123, पेज नं. 266-329 तिथि 30.05.2008
पूर्वः 80 फीट चौड़ा रोड, पश्चिमः प्लॉट नं. 258, 259 एवं 260, उत्तरः प्लॉट नं. 241, दक्षिणः प्लॉट नं. 239 (सेल्फ रेजीडेन्स)

तिथिः 11.2.2020, स्थानः अलीगढ़ — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, सिविल लाइन्स, अलीगढ़

KIMIA BIOSCIENCES LIMITED

(Formerly Laurel Organics Limited)
Registered Office : VILLAGE BHONDSI, TEHSIL SOHNA, DISTT GURGAON, HARYANA, HR - 122102, IN
CIN: L24239HR1993PLC032120, Website: www.laurel.co.in, E-Mail: laurelorganicslimited@gmail.com, Tel: 0124-2979014

Extract of Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine months ended December 31, 2019 (figures in lakhs except EPS)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Nine months ended		Year ended
		31.12.2019 Unaudited	31.12.2018 Unaudited	31.12.2019 Unaudited	31.12.2018 Unaudited	31.03.2019 Audited
1	Total income from operations	2,773.72	2,101.61	8,608.02	7,583.36	9,524.41
2	Net Profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	8.38	194.28	217.22	390.31	380.56
3	Net Profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	8.38	194.28	217.22	390.31	380.56
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	8.38	194.28	217.22	390.31	385.50
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	7.48	193.85	214.53	389.03	381.91
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 1/-(one) each)	407.94	145.94	407.94	145.94	145.94
7	Earnings Per Share (Face value of Rs. 1/- each) (Not Annualised) Basic :	0.03	1.33	1.07	2.67	2.64
	Diluted :	0.02	1.25	0.74	2.52	1.39

NOTE:
a) The above is an extract of the detailed format of standalone results for Quarter and Nine months ended on December 31, 2019 filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone Quarterly/ Yearly financial results are available on Company's Websites www.laurel.co.in and on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com
b) The above results have been reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at their meeting held on February 13, 2020 and had undergone a 'Limited Review' by the Statutory Auditor of the Company. The standalone financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment rules thereafter.

On behalf of the Board of Directors
For Kimia Biosciences Limited
(Formerly Known as Laurel Organics Limited)
Sd/-
Sameer Goel
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
DIN NO. 00161786

Place : New Delhi
Dated: February 13, 2020

CRANEX LIMITED

Regd. Office: 9 DDA Market Katwaria, Sarai, New Delhi-110016
Corporate Office: 57/1, Industrial area site-IV, Sahibabad, Ghaziabad- 201010
Landline: (91)-120- 4167628 CIN: L74899DL1973PLC006503
Web: http://www.cranexltd.com E-Mail: cranex1@yahoo.com

Extract of unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of Cranex Limited for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2019

(Rs. In Lacs Except per share data)

Particulars	Standalone			Consolidated		
	Quarter ended 31.12.2019 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2018 (Unaudited)	Nine Months ended 31.12.2019 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2019 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2018 (Unaudited)	Nine Month ended 31.12.2019 (Unaudited)
Total Income from Operations	766.48	518.35	2474.05	766.48	518.35	2474.05
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	30.39	9.48	70.49	30.39	9.48	70.49
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	30.39	9.48	70.49	30.39	9.48	70.49
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	09.39	9.48	49.49	09.39	9.48	49.49
Share in Profit/(Loss) of Associates	-	-	-	-0.08	-0.85	-0.08
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	09.39	9.48	49.49	19.87	08.63	49.41
Equity Share Capital (In Qty)	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)- 1. Basic:	0.16	0.16	0.82	0.16	0.16	0.82
2. Diluted:	0.16	0.16	0.82	0.16	0.16	0.82

Note:
1 The above is an extract of the detailed format of the unaudited financial Results for the quarter ended December 31, 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter ended December 31, 2019 is available on the Stock Exchanges' website (www.bseindia.com) and Company's website (www.cranexltd.com).
2 The above un-audited financial results for the quarter and Nine Monthsended on December 31, 2019 have been reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors in its meeting held on 14th February 2020.
3 The Company has adopted Indian Accounting Standards (IND AS) prescribed under the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder, with effect from April 1, 2017 and accordingly these financial results have been prepared in accordance with Ind-AS notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendments) Rules, 2016.

FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF
CRANEX LIMITED
SD/-
CHAITANYA AGRAWAL
WHOLETIME DIRECTOR
DIN: 0510880

PLACE: NEW DELHI
DATE: 14th February, 2020

अंसल बिल्डवेल लि.

(आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित कम्पनी)
CIN No.: L45201DL1983PLC017225

पंजीकृत कार्यालय : 118, ऊपरी प्रथम तल, प्रकाश दीप बिल्डिंग, 7, टॉल्स्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन : 23353051, 23353052, फैक्स : 91-11-23310639, 23359550,
ईमेल : info@ansalabl.com वेबसाइट : www.ansalabl.com

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं 9 माह के स्टैंडएलोन एवं समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों से लिये गए उद्धरण

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	स्टैंडएलोन: समाप्त तिमाही दिसम्बर 31, 2019 (अनअंकेक्षित)	स्टैंडएलोन: समाप्त तिमाही सितम्बर 30, 2019 (अनअंकेक्षित)	स्टैंडएलोन: समाप्त तिमाही दिसम्बर 31, 2018 (अनअंकेक्षित)	स्टैंडएलोन: समाप्त 9 माह दिसम्बर 31, 2019 (अनअंकेक्षित)	स्टैंडएलोन: समाप्त 9 माह दिसम्बर 31, 2018 (अनअंकेक्षित)	स्टैंडएलोन: समाप्त वर्ष मार्च 31, 2019 (अंकेक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	374.05	741.08	817.48	5,050.23	2,501.96	4,702.41
2	अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि) कर एवं असाधारण मदों से पूर्व	(656.19)	(201.23)	(671.23)	472.96	(1,203.86)	(746.42)
3	अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि) कर से पूर्व एवं असाधारण मदों के पश्चात	(656.19)	(201.23)	(671.23)	472.96	(1,203.86)	(746.42)
4	अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि) कर एवं असाधारण मदों के पश्चात	(711.03)	(399.34)	(685.68)	192.47	(1,207.34)	(837.39)
5	अवधि के लिये विस्तृत आय (कर पश्चात)	(702.57)	(407.19)	(715.16)	190.50	(1,223.97)	(820.98)
6	समतुल्य अंश पूंजी	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38
7	आय प्रति शेयर (इक्विटी प्रति शेयर ₹ 10) मूलभूत :	(9.63)	(5.41)	(9.29)	2.61	(16.35)	(11.34)
	द्रव्य :	(9.63)	(5.41)	(9.29)	2.61	(16.35)	(11.34)

क्र. सं.	विवरण	समेकित: समाप्त तिमाही दिसम्बर 31, 2019 (अनअंकेक्षित)	समेकित: समाप्त तिमाही सितम्बर 30, 2019 (अनअंकेक्षित)	समेकित: समाप्त तिमाही दिसम्बर 31, 2018 (अनअंकेक्षित)	समेकित: समाप्त 9 माह दिसम्बर 31, 2019 (अनअंकेक्षित)	समेकित: समाप्त 9 माह दिसम्बर 31, 2018 (अनअंकेक्षित)	समेकित: समाप्त वर्ष मार्च 31, 2019 (अंकेक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	374.05	1,198.65	817.49	5,509.25	2,501.96	4,702.41
2	अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि) कर एवं असाधारण मदों से पूर्व	(656.41)	(199.62)	(672.00)	475.71	(1,204.71)	(748.46)
3	अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि) कर से पूर्व एवं असाधारण मदों के पश्चात	(656.41)	(199.62)	(672.00)	475.71	(1,204.71)	(748.46)
4	अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि) कर एवं असाधारण मदों के पश्चात	(711.25)	(395.89)	(672.00)	197.06	(1,204.71)	(839.43)
5	अवधि के लिये विस्तृत आय (कर पश्चात)	(703.72)	(409.81)	(702.15)	187.86	(1,225.29)	(834.20)
6	समतुल्य अंश पूंजी	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38
7	आय प्रति शेयर (इक्विटी प्रति शेयर ₹ 10) मूलभूत :	(9.65)	(5.44)	(9.11)	2.57	(16.37)	(11.52)
	द्रव्य :	(9.65)	(5.44)	(9.11)	2.57	(16.37)	(11.52)

अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के लिए टिप्पणियां :
1. 14 फरवरी 2020 को हुई बैठक में अनंकेक्षित स्टैंडएलोन और समेकित वित्तीय परिणामों की समीक्षा ऑडिट समिति द्वारा की गई है तथा निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है। वैधानिक लेखा परीक्षकों ने 31 दिसम्बर 2019 को समाप्त तिमाही एवं 9 माह के लिए वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है।
2. 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी, कंपनी ने एस एस 116 पट्टों के रूप में इंडस्ट्रीज को अपनाया है, सभी पट्टों के अनुबंधों के लिए लागू किया गया है, सिवाय उन पट्टों को जो 01 अप्रैल, 2019 को 12 महीने से कम समय तक समाप्त हो रहे हैं। पश्चात्वर्ती के लिए संक्रमण विकल्प के साथ संशोधित पूर्वव्यापी विधि का उपयोग कर लीज देयता के बराबर राशि पर राइट टू-यूज एसेट (ROU) तदनुसार, 31 दिसम्बर, 2018 और 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाहीं/9 माह की तुलनाओं को पूर्वव्यापी रूप से समायोजित नहीं किया गया है। मौजूदा अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में, परिचालन पट्टों के संबंध में खर्चों की प्रकृति पिछले अवधि में लीज रेंट से लेकर राइट टू-यूज एसेट के लिए मूल्यह्रास लागत और लीज देयता पर अर्जित ब्याज के लिए वित्त लागत से बदल गई है।
3. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में जमा किए गए हैं, जो कि 31 दिसम्बर 2019 को समाप्त तिमाही एवं 9 माह के वित्तीय विवरण के विस्तृत प्रारूप का सारांकित अंश है। उपरोक्त पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.ansalabl.com पर उपलब्ध है।
4. कंपनी ने 31 दिसम्बर 2019 को समाप्त तिमाही में जयपुर परियोजना से संबंधित ग्राहकों को मूल धनराशि पर ब्याज वापिस करने का प्रावधान किया है, जो कि 85.21 लाख रुपये है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14.02.2020

बोर्ड के लिए तथा उसकी ओर से
अंसल बिल्डवेल लि.
हस्ता./-
(गोपाल अंसल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
DIN - 00014172

ansal BUILDWELL

कोरोना के कारण पृथक रखे जहाज पर छाई रही उदासी

तोक्यो, 14 फरवरी (एएफपी)।

कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए पृथक किए गए डायमंड प्रिंसेज क्रूज जहाज पर सवार यात्रियों के लिए शुक्रवार का दिन हर साल आने वाले वैलेंटाइन डे जैसा नहीं है। लोगों से दूरी का दुख यात्रियों के चेहरे पर है और उसी में प्यार के कुछ सुखद क्षण संजोने की कोशिश भी हुई। कोरोना वायरस के खतरों से बोझिल माहौल को कम करने के लिए प्यार के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। लिहाजा, जहाज पर रात के खाने में 'क्यूपिड्स एवोकैडो' दिया जा रहा है। क्रू के सदस्यों को दिल के आकार में बने संदेश दिए जा रहे हैं।

जहाज की मनोरंजन प्रबंधक नेटली ने यात्रियों का उत्साह बनाए रखने के लिए ट्विटर पर वैलेंटाइन डे का वीडियो डाला जिसमें वह लाल पोशाक में दिख रही हैं। उन्होंने कहा, 'मैं बस यही बताना चाहती थी कि (जहाज पर फंसे हुए) सभी लोग ठीक हैं और एक बड़े परिवार की तरह एकजुट होकर रह रहे हैं।'

जहाज की मनोरंजन प्रबंधक नेटली ने यात्रियों का उत्साह बनाए रखने के लिए ट्विटर पर वैलेंटाइन डे का वीडियो डाला जिसमें वह लाल पोशाक में दिख रही हैं। उन्होंने कहा, 'मैं बस यही बताना चाहती थी कि (जहाज पर फंसे हुए) सभी लोग ठीक हैं और एक बड़े परिवार की तरह एकजुट होकर रह रहे हैं।' जहाज के अन्य यात्रियों ने भी ट्वीट कर अपने अनुभव साझा किए।

जहाज के दो सौ यात्रियों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए थे जिसके बाद उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बचे हुए यात्रियों को कम से कम 19 फरवरी तक पृथक रखा जाएगा। जहाज पर फंसे यात्रियों को अकेलापन और डर सता रहा है।

कोरोना वायरस के चलते अनेक जोड़ों को वैलेंटाइन डे के दिन अपने पार्टनर से अलग रहना पड़ रहा है। केंट फ्रेजर नामक एक यात्री को कोरोना वायरस की शिकार हुई अपनी पार्टनर रेबेका से अलग होना पड़ा। रेबेका को अब अस्पताल में पृथक रखा गया है।

इंडोनेशिया हेलिकॉप्टर दुर्घटना मामले में 12 सैनिकों के शव बरामद

जयपुरा, 14 फरवरी (एपी)।

इंडोनेशिया में शुक्रवार को खोजी दल ने 12 सैनिकों का शव बरामद किया। उनका हेलिकॉप्टर आठ महीने पहले देश के सुदूर पूर्व प्रांत पापुआ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस प्रांत में अलगाववादी विद्रोही समूह सक्रिय हैं। दुर्घटना के कारणों की अभी जांच की जा रही है।

पापुआ के सैन्य प्रवक्ता डैक्स सियंतुरी ने बताया कि सेना को लगभग 3,800 मीटर (12,500 फीट) की ऊंचाई पर स्थित एक ढलान पर एमआइ-17 के मलबे का पता चला। अगले दिन वे इस इलाके में पहुंचे। उन्होंने कहा कि नौ शवों की पहचान उनकी वर्दी से हुई है।

अभियान का नेतृत्व करने वाले स्थानीय सैन्य कमांडर बिनसर सियानपार ने कहा कि खराब मौसम के कारण शवों को ढूंढने में परेशानी होने लगी इसलिए शनिवार तड़के फिर से तलाश कार्य शुरू होगा। पिछले साल 28 जून को बिंटांग माउंटेन की राजधानी ओक्सिबिल से उड़ान भरने के पांच मिनट बाद हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया था। हेलीकॉप्टर जयपुरा की यात्रा कर रहा था।

ओक्सोप गांव के निवासियों ने पिछले हफ्ते अधिकारियों को बताया कि उन्होंने ओक्सिबिल से लगभग 12 किलोमीटर (सात मील) दूर इस क्षेत्र में मलबा देखा है। पश्चिम पापुआ और पूर्वी पापुआ प्रांतों के कई पर्वतीय और जंगली क्षेत्रों तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता हवाईमार्ग है। इसी क्षेत्र में हाल ही में कई सैन्य हेलीकॉप्टर अलगाववादी विद्रोहियों के हमले के शिकार हुए हैं।

ईडी व सीबीआइ ने चार साल से अनुचित बर्ताव किया : माल्या

लंदन, 14 फरवरी (भाषा)।

शराब कारोबारी विजय माल्या ने दावा किया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने पिछले चार साल में उसके साथ अनुचित बर्ताव किया है। किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्ताधर्ता माल्या (64) 9000 करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोपों में भारत के प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ अपील कर रहा है।

माल्या के वकीलों ने इस सप्ताह ब्रिटिश हाई कोर्ट में कहा कि वह विमानन उद्योग पर आई विपत्ति के शिकार रहा है और एयरलाइन, जो अब बंद हो चुकी है, के लिए कर्ज मांगने के पीछे उसका कोई छल-कपट का इरादा नहीं था।

भारतीय अधिकारियों की ओर से पक्ष रख रही क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने दावों का खंडन करते हुए कहा कि माल्या के खिलाफ प्रथमदृष्टया मामला बनता है जिसमें उसे भारत की अदालतों में जवाब देना है।

माल्या ने गुरुवार को लंदन में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तीन दिन से अपील पर चल रही सुनवाई के अंत में संवाददाताओं से कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने बैंकों की शिकायत पर संपत्तियों को कुर्क कर लिया कि मैं उनका भुगतान नहीं कर रहा। मैंने पीएमएलए के तहत ऐसा कोई अपराध नहीं किया है कि प्रवर्तन निदेशालय स्वतः संज्ञान लेते हुए मेरी संपत्तियों को कुर्क कर ले। उसने कहा कि मैं कह रहा हूं कि बैंक कृपया अपना पैसा वापस लें। ईडी कह रही है, नहीं, हमारा इन संपत्तियों पर दावा है। इसलिए एक तरफ ईडी और दूसरी तरफ बैंक एक ही संपत्ति पर लड़ रही हैं। वे मेरे साथ चार साल से जो कर रहे हैं, वो पूरी तरह अनुचित है।

आस्ट्रेलिया में पढ़ाई छोड़ सकते हैं चीनी छात्र

सिडनी, 14 फरवरी (एएफपी)।

ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों ने शुक्रवार को आगाह किया कि चीनी छात्र ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में पढ़ाई छोड़ सकते हैं। कैनबरा ने कोरोना वायरस के कारण लगाया गया यात्रा प्रतिबंध बढ़ा दिया है जो अरबों डॉलर के इस क्षेत्र के लिए बड़ा झटका है।

विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले 'ग्रुप ऑफ ऐट' के मुख्य कार्यकारी विकी थॉमसन ने कहा कि करीब 70,000 चीनी वीजा धारकों को आठ शीर्ष विश्वविद्यालयों में अपनी पढ़ाई शुरू करनी है लेकिन एक फरवरी से शुरू हुए प्रतिबंध के कारण वे फंस गए हैं और जिसके कारण छात्र चिंतित हैं।

थॉमसन ने कहा, 'हम अपने छात्रों को यकीन से नहीं कह सकते कि वे वास्तव में कब यहां आ सकते हैं। हम अनिश्चित दौर में जी रहे हैं।' प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने गुरुवार को एलान किया था कि प्रतिबंध को कम से कम एक और सप्ताह के लिए बढ़ाया जाएगा जिस पर चीन ने नाराजगी जाहिर की है।

www.readwhere.com